सी बी (दो) सं० 426

लोक सभा

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

(14 अगस्त, 1997 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अगस्त, 1997 / श्रावण, 1919 (शक)
मूल्य : 36 रुपये

सी बी (दो) सं॰ 426

लोक सभा

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

(14 अगस्त, 1997 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अगस्त, 1997/श्रावण, 1919(शक)
मूल्य : 36 रुपये

2053/LS/F—1-A

प्रवर समिति के संविधान [अनुसूचित जनजातियां] आदेश [संशोधन] विधेयक, 1996 से संबंधित प्रतिवेदन का शुद्धि-पत्र ।

..

पृष्ठ	पैरा	पंक्ति	के स्थान पर	निम्नलिखित पढ़िए
IV	1	3	पराधिकृत	प्राधिकृत
V	16	16	ब्रेवरली के टिप्पण	ब्रेवरली के टिप्पण के नीचे निम्नलिखित जोड़िए । "कि कोच, राजबंशी और पालिया मुख्यत: एक और समान जनजाति हैं । राजबंशी एक अनिश्चित शब्दावली है और संभवत: कुछ लोग अन्य जातियों से संबंध रखते हैं । निचले क्षेत्रों में राजबंशियों को तियार का उप-विभाजन बताया गया है लेकिन दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, कोचबिहर ग्वालपाड़ा जिलों से आ रहे अधिकांश लोग कोच और पालिया जाति के हैं।
17	28	14	श्री गुलाम उसमानी पूर्ण मंत्री	श्री गुलाम उसमानी, पूर्व मंत्री

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. प्रवर समिति की रचना	...(iii)
2. प्रवर समिति का प्रतिवेदन	...(iv)
(एक) कोच राजबंशी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करना	...8
(दो) क्षेत्रगत प्रतिबन्ध हटाना	...15
(तीन) कोटा आरक्षण	...15
(चार) अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना चाय बागान और भूतपूर्व चाय बागान कामगारों को शामिल करना	...16
(पांच) राष्ट्रीय स्तर के जनजातीय अनुसंधान संस्थान का सर्जन	...23
3. विमत टिप्पण	...24
4. प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक	...28
परिशिष्ट-एक —विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के संबंध में समाचार भाग—एक	...31
परिशिष्ट-दो —उन संघों/संगठनों/व्यक्तियों आदि की सूची जिनसे ज्ञापन प्राप्त हुए	...32
परिशिष्ट-तीन —समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने वाले साक्षियों की सूची	...56
अनुबंध-क —असम राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी	...57
अनुबंध-ख —असम के कुछ चाय बागानों की जनजातियों की सूची	...59
परिशिष्ट-चार —प्रवर समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश	...61

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी प्रवर समिति

समिति की रचना

श्री अमर रायप्रधान — सभापति

सदस्य

2. श्री द्वारकानाथ दास
3. श्री ललित उरांव
4. श्री फगन सिंह कुलस्ते
5. श्री पवन सिंह घाटोवार
6. श्री पी० आर० दास मुंशी
7. श्री पिनाकी मिश्र
8. श्री उद्धव बर्मन
9. श्री पी० कोदंड रमैया
10. श्री एस० एस० पलानीमनिकम
11. डा० जयन्त रंगपी
12. डा० अरुण शर्मा
13. डा० परवीन चंद्र शर्मा
14. श्री एम० सेल्वारासु
15. श्री एस० के० कारवींधन

सचिवालय

1. डा० ए० के० पाण्डेय — अपर सचिव
2. डा० जी० सी० मल्होत्रा — अपर सचिव
3. श्री राम अवतार राम — निदेशक
4. श्री पी० एल० चावला — सहायक निदेशक

कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री के० के० बक्शी — सचिव
2. श्री डी० के० मानवालन — अपर सचिव
3. श्री ए० के० चौधरी — संयुक्त सचिव
4. श्री आर० के० श्रीवास्तव — निदेशक

विधि तथा न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री के० एल० मोहनपुरिया — सचिव
2. श्री जैड० एस० नेगी — संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता
3. श्री एस० डी० सिंह — सहायक विधायी परामर्शदाता

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मैं, प्रवर समिति—जिसे असम राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोच-राजबंशी समुदाय को सम्मिलित करने का और प्रावधान करने संबंधी विधेयक* सौंपा गया था, का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए पराधिकृत किए जाने पर, यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. उपर्युक्त विधेयक 12 जुलाई, 1996 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। सभा ने 2 अगस्त, 1996 को हुई अपनी बैठक में विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोक सभा की एक प्रवर समिति को विधेयक इन अनुदेशों के साथ सौंपने के लिए अध्यक्ष को प्राधिकृत किया कि वह शीतकालीन सत्र, 1996 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत कर दें।

तदनुसार, अध्यक्ष ने 15 सदस्यों की प्रवर समिति का गठन किया और उसे विधेयक सौंप दिया। प्रचर समिति का गठन दिनांक 2 अगस्त, 1996 के लोक सभा समाचार भाग-एक में प्रकाशित किया गया था **(परिशिष्ट-एक)**।

3. समिति ने कुल 8 बैठकें कीं **(परिशिष्ट-दो)**। पहली बैठक 26 अगस्त, 1996 को हुई थी। इस बैठक में, समिति ने अपने भावी कार्यक्रम के बारे में विचार किया और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का निर्णय लिया। जिसमें विधेयक की विषयवस्तु के बारे में रुचि रखने वाले विभिन्न संगठनों, विधिज्ञ परिषदों, व्यक्तियों आदि से ज्ञापन आमंत्रित किए गए थे।

4. तदनुसार, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और मेघालय में मौखिक साक्ष्य के लिए ज्ञापन और अनुरोध आमंत्रित करते हुए 9—15, 18 और 20 सितम्बर, 1996 और 2 और 5 अक्तूबर, 1996 को प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गई। आकाशवाणी के महानिदेशक तथा दूरदर्शन, नई दिल्ली के महानिदेशक से भी अनुरोध किया गया था कि वे आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से और दूरदर्शन के असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और मेघालय के सभी केन्द्रों से लगातार तीन दिन तक अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रेस विज्ञप्ति की विषय वस्तु प्रसारित करें।

5. समिति ने विभिन्न संघों / संगठनों और व्यक्तियों आदि से विधेयक के उपबंधों के बारे में टिप्पणियों / सुझावों वाले कुल 281 ज्ञापन प्राप्त किए। **(परिशिष्ट-तीन)**

6. समिति ने 25 सितम्बर, 1996 को कल्याण मंत्रालय के तत्कालीन सचिव (श्री के० बी० सक्सेना) के विचार सुने। **(परिशिष्ट-चार)**

7. समिति ने 15 से 18 नवम्बर, 1996 तक गुवाहाटी और बोंगई गांव का दौरा किया और (एक) जनजातीय अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी, असम; (दो) अलग-अगल संघों / संगठनों / व्यक्तियों; और (तीन) कल्याण मंत्रालय, असम सरकार के प्रतिनिधियों के विचार सुने। समिति ने डिब्रूगढ़ का भी दौरा किया और 6 फरवरी 1997 को विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के विचार सुने। पड़ोसी राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए समिति ने 8 फरवरी 1997 को कलकत्ता का भी दौरा किया और इस विषय के संबंध में (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, कलकत्ता, (दो) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कल्याण अनुसंधान संस्थान, और (तीन) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता के प्रतिनिधियों से जानकारी प्राप्त की।

8. समिति का प्रतिवेदन 1996 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन (अर्थात् 22 नवम्बर, 1996) तक सभा में प्रस्तुत किया जाना था। समिति को बजट सत्र, 1997 के अंतिम सप्ताह तक का समय और दिया गया था।

9. समिति ने 13 मार्च, 1997 को सचिव (श्रीमती आशा दास), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग; महा पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत सरकार (डा० विजय नुन्नी) और सचिव (श्री के० के० बक्शी), कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के विचार सुने। **(परिशिष्ट-चार)**

---

*दिनांक 12.7.96 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2 में प्रकाशित।

10. समिति का प्रतिवेदन बढ़े हुए समय के भीतर अर्थात् बजट सत्र, 1997 के अंतिम सप्ताह तक सभा में प्रस्तुत किया जाना था। परन्तु समिति कार्य को पूरा नहीं कर सकी। अतः समिति को मानसून सत्र, 1997 के अंतिम सप्ताह तक का समय और दिया गया।

11. समिति ने 5 अगस्त, 1997 को हुई अपनी बैठक में विधेयक पर विचार किया।

12. समिति ने 5 अगस्त, 1997 को अपनी बैठक में निर्णय लिया कि उसके समक्ष दिए गए साक्ष्य लोक सभा के पटल पर रखे जायें।

13. समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद समिति को प्राप्त विधेयक के प्रावधानों के संबंध में टिप्पणियों/सुझावों वाले ज्ञापनों के दो सैट—संसद सदस्यों के सन्दर्भ के लिए संसद ग्रन्थालय में रख दिए जायें।

14. समिति ने 5 अगस्त, 1997 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया तथा उसे स्वीकृत किया।

15. विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों के सम्बन्ध में समिति की टिप्पणियां आगे के पैराग्राफों में दी गयी हैं।

कोच राजबंशी को अ॰ज॰जा॰ सूची में सम्मिलित करना।

16. कोच राजबंशियों को अ॰ज॰जा॰ की सूची में सम्मिलित किये जाने के प्रश्न पर समिति ने प्रख्यात जाति शास्त्रियों, इतिहासकारों, सामाजिक विचारकों आदि द्वारा लिखे गये साहित्य का अध्ययन किया था।

अपने किरात जन कृति में श्री एस॰ के॰ चटर्जी लिखते हैं:—

"तबाकत-ए-नसीरी जो सी॰ 1261 में संकलित की गई थी के लेखक मिनहाजू-एस-सिराज के अनुसार कामरूप में क्वन्क और थ्रू लोग जिनकी मंगोल जाति और भाषा है, ने तुर्कों पर एक भिन्न प्रकार की छाप छोड़ी थी, वे भी उसी जाति के थे, इन जातियों का तुर्की स्वरूप था अर्थात् तिरछी आंखें, पिचकी नाक, गालों की ऊंची हड्डियां और पीला रंग, मंगोलों का था और वे प्रमुख भारत की भाषा से 'भिन्न प्रकार' के मुहावरे बोलते थे।"

1849 ई॰ में होगसन रिपोर्ट

"कि हाजो ने कोच राज्य की स्थापना की। कोच तेमूलियन वंश से संबंध रखते हैं और वे आर्य जाति के आने से पहले ही यहां रहते थे। हाजो का पौत्र विश्व सिन्हा हिन्दू बन गया। उसने कोच नाम छोड़ दिया और राजबंशी अपना लिया। उसकी राय में कुवेच कोच के समान है।"

डाल्टन ने यह वर्णन किया है:—

"कि कोच व्यक्तियों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि वे आर्य नहीं थे। उन्होंने उन्हें द्रविडियन वंश और शायद महान भुईंया परिवार से संबंध रखने वाला माना है।"

ब्रेवरली के टिप्पण

डा॰ हंटर यह टिप्पणी करते हैं:—

"कि पंद्रहवीं शताब्दी के अंत में एक कोच राजा हाजो ने कामरूप में राज्य की स्थापना की। उनके पौत्र विश्व सिन्हा ने अपने अधिकारियों और सभी लोगों के साथ अपना धर्म छोड़कर हिन्दू धर्म अपना लिया। इन धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों ने कोच नाम छोड़ दिया और राजवंशी अपना लिया। हंटर ने भी राजवंशी जाति को अर्द्ध रूप में हिन्दू धर्म स्वीकार करने वाले आदिम लोगों के अंतर्गत माना है।"

1981 की रंगपुर की जनगणना रिपोर्ट के बारे में एच॰एफ॰जे॰टी॰ मैक्ग्रायर की टिप्पणियां

"कि राजवंशियों में उन व्यक्तियों जिन्होंने वैष्णव धर्म अपना लिया है और उनमें जो भगवान शिव के अनुयायी हैं, अंतर है। बाद वाले मंगोलिया मूल के होने के कारण कोच प्रतीत होते हैं और उत्तर दिशा से आये हैं। वे कुरि से घनिष्ट रूप से जुड़े हुए हैं और राजवंशी जनजाति का लघु अल्प संख्यक भाग हैं।

गेरिसन की टिपणियां

"इसमें बिल्कुल संदेह नहीं हो सकता है कि मूल कोच बोडो के समान थे। कोच मेग और बारा अथवा बोडो सभी उसी जनजाति के विभिन्न पंथों की तरह थे। वास्तव में कोच नाम से हिन्दू बोडो की ओर संकेत मिलता है जिसने अपने पैतृक धर्म को

हिन्दुवाद के लिए और पैतृक बोडो भाषा को बंगाली अथवा असमियों के लिए छोड़ दिया है। राजवंशी रंगपुर और गोपालपाडा के हिन्दू प्रवर्तित कोच हैं।

17. अनुसूचित जनजाति (मैदानी), असम की सूची में शामिल किये जाने के लिए कोच राजबंशी समुदाय से अभ्यावेदन प्राप्त हो जाने पर यह जांच कराने हेतु, कि क्या कोच राजवंशी समुदाय अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किये जाने का हकदार है, असम इंस्टीट्यूट आफ रिसर्च फार ट्राइब्ल्स एंड शड्यूल्ड कास्ट्स के द्वारा मौके पर जांच कराई गई थी। इंस्टीट्यूट ने असम सरकार के विचार हेतु उसे दो रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस प्रकार प्रस्तुत दोनों रिपोर्ट आपस में एक-दूसरे के विपरीत थी। असम सरकार द्वारा ये रिपोर्ट भारत सरकार को क्रमशः 3 अप्रैल, 1993 और 9 अगस्त, 1994 को एक-एक करके भेजी गई। भारत सरकार को 3 अप्रैल, 1993 को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया था कि कोच राजबंशी असम की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किये जाने के योग्य नहीं है। सरकार को 9 अगस्त, 1994 को भेजी गई दूसरी रिपोर्ट में बताया गया था कि कोच राजबंशी क्षत्रिय को असम में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किये जाने का पर्याप्त औचित्य (आधार) है। असम इंस्टीट्यूट फार ट्राइब्स एंड शड्यूल्ड कास्ट्स की दोनों रिपोर्टों को नीचे पुनः उद्धृत किया जाता है:—

प्रथम प्रतिवेदन

(दिनांक 3.7.1993)

कोच-राजबंशी पर एक रिपोर्ट

(निष्कर्ष और सिफारिशें)

"अखिल असम कोच-राजबंशी युवा छात्र सनमिलानी और संग्राम परिषद ने असम के मुख्य मंत्री को यह अनुरोध करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि कोच-राजबंशी समुदाय के लोगों को असम की अनुसूचित जनजाति सूची में सूचीबद्ध किया जाए। एक अन्य ज्ञापन भारतीय कोच-राजबंशी-क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष ने उपरोक्त समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति (मैदानी) तथा अनुसूचित जनजाति (पर्वतीय) की सूची में शामिल करने हेतु भारत के प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया है। उनका मुख्य तर्क यह है कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय में कोच-राजबंशी को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है और इसलिए उन्हें असम में भी वह लाभ दिया जाना चाहिए। दूसरा, वे दावा करते हैं कि मूल रूप से वे बृहत्तर बोडो जाति के हैं और चूंकि बोडो अथवा बोडो-कचारी असम में अनुसूचित जनजाति है अतः कोच-राजबंशी को भी समान दर्जा दिया जाना चाहिए।

अनेक वर्तमान आम समुदायों की तरह जो अपने सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया में बहुत पहले जनजाति संगठन से निकल चुके हैं, कोच-राजबंशी भी बहुत पहले इसी तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि इस दौरान उनका बृहत्तर बोडो समूह से कुछ संबंध था। परंतु इस बारे में मतभेद है कि क्या "कोच" और "राजबंशी" शब्दों को एक साथ जोड़ा गया है अथवा ये वस्तुतः दो भिन्न समुदाय हैं। यही लोग स्वयं को क्षत्रिय भी बताते हैं। यदि ये क्षत्रिय हैं तो हिन्दू जाति अनुक्रम में उनका स्थान ब्राह्मणों के बाद आता है। उनके द्वारा अब शूद्र बनने का दावा करना और भी अधिक भ्रामक है।

तथापि, हमारा मुख्य संबंध इस बात से है कि इस समय वे क्या हैं, यह नहीं कि वे पहले क्या थे।

कोच-राजबंशी-क्षत्रिय समुदाय के लोगों का जनजातिय दर्जा निर्धारित करने के लिए पांच मानदण्डों को लागू करने के आधार पर हमारा निष्कर्ष निम्नलिखित हैः—

1. **आदिकालीन लक्षणों का संकेत**

यद्यपि समुदाय का मूल मंगोलियन समूह हो सकता है, तथापि आज के सामाजिक ढांचे के संदर्भ में आदिकालीन लक्षणों का कोई संकेत नहीं है। अन्य समुदायों के निकटवर्ती लोगों की तरह वे कृषक बन गए और उनके रहने का ढंग, जीवन पद्धति आदि निकटवर्ती गैर-कोच-राजबंशी-क्षत्रिय लोगों से मूल रूप से भिन्न नहीं है। सांस्कृतिकरण प्रक्रिया ने लोगों को आदिकालीन लक्षणों को लगभग समाप्त कर दिया है।

अतः यह मानदण्ड लागू नहीं होता है।

2. **विशिष्ट संस्कृति**

यह पाया गया है के कोच-राजबंशी असम के पूरे मैदानी जिलों में फैले हुए हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि असम में रहने वाले सभी कोच-राजबंशियों का सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवहार एक समान नहीं है। समग्र ऊपरी असम के सोनितपुर तथा नागांव जिलों के कोचों ने स्वयं को कभी भी राजबंशी नहीं कहा है वे स्वयं को केवल कोच कहते हैं। ऊपरी असम में कोच समुदाय के लोग अपनी भौतिक संस्कृति के संबंध में ग्वालपाड़ा, धुबरी, कोकराझार और बोंगाईगांव जिलों से काफी भिन्न हैं। ऊपरी असम में कोच गांव की किसी अन्य हिन्दू जाति के गांव से कोई स्पष्ट भिन्नता नहीं है। इनकी खाने की आदतों तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं, जैसे जन्म संस्कार, विवाह उत्सवों, मृत्यु संस्कार और अन्य धार्मिक प्रथाओं में कोई भी भिन्नता नहीं है। अतः यह सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है कि कोच गांव कहां से शुरू होता है और कहां समाप्त होता है।

ग्वालपाड़ा, धुबरी, कोकराझार और बोंगाईगांव जिलों में कोच-राजबंशियों के बीच कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक लक्षण देखे गए हैं परंतु यहां भी लोग मुर्गी, सुअर नहीं पालते हैं अथवा चावल की मदिरा नहीं बनाते हैं जो आदिवासी संस्कृति से

अनिवार्य रूप से जुड़ी हैं। हिन्दू समाज के वर्तमान सामाजिक ढांचे में कोच-राजबंशी लोगों को जनेऊ पहनने तथा "दस संस्कार" नामक सभी अन्य सांस्कारिक दायित्व निभाने के कारण अधिक हिन्दू धर्म का माना जाता है। मेघालय की सीमा से लगे ग्वालपाड़ा जिले के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में कोच-राजबंशियों की अपनी कोई भाषा नहीं है। यहां तक कि उन्हें वंशावली, जो आदिवासी समाज की एक महत्वपूर्ण बात है, की भी जानकारी नहीं है। ग्वालपाड़ा, धुबरी, कोकराझार तथा बोंगईगांव जिलों में यह पाया गया है कि लोगों ने कुछ सीमा तक अपनी पुरानी परम्परागत संस्कृति को अभी भी अपना रखा है परन्तु यहां भी यह पाया गया है कि यह उनकी पुरानी संस्कृति तथा निकटवर्ती लोगों की वर्तमान संस्कृति का मिश्रण है।

अतः हमने देखा है कि यह मानदण्ड भी कोच-राजबंशी-क्षत्रिय समुदाय के लोगों पर लागू नहीं होता है।

3. **भौगोलिक अलगाव**

यह पहले ही बताया जा चुका है कि कोच-राजबंशी गांव गैर-कोच-राजबंशी गांवों के आस-पास फैले हुए हैं। अतः ये गांव भौगोलिक रूप से अलग नहीं हैं। निःसन्देह ग्वालपाड़ा, धुबरी, कोकराझार तथा बोंगईगांव जिलों में लोग सुसंबद्ध क्षेत्रों में रहते हैं परंतु यहां भी ये भौगोलिक रूप से अलग नहीं हैं क्योंकि सड़कें, संचार जैसी बुनियादी सुविधायें दूरस्थ गांवों तक पहुंच गई हैं।

अतः यह मानदंड भी यहां लागू नहीं होता है।

4. **अन्य समुदायों के साथ संपर्क करने में संकोच**

पहले भी यह बताया गया है कि नागांव और सोनितपुर से शुरू होने वाले ऊपरी असम के जिलों में कोच गांवों की हिन्दू जाति के अन्य गांवों से अलग पहचान नहीं है। अन्य समुदायों के साथ संपर्क करने में संकोच का मानदंड इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। परंतु पहले के ग्वालपाड़ा जिले में अथवा ग्वालपाड़ा, धुबरी, कोकराझार तथा बोंगईगांव के वर्तमान जिलों में कोच-राजबंशी लोगों पर यह मानदंड कुछ-कुछ लागू होता है। यह इस तथ्य के कारण है कि जमींदारी प्रथा के अंतर्गत अन्य समुदायों के लोगों के साथ इस समुदाय के लोगों का भी अत्यधिक दमन हुआ था जिसके कारण उनमें हीन भावना आ गई। सामाजिक संपर्क बढ़ाने में भी जमींदारी प्रथा आड़े आई जिससे लोग सार्वजनिक जीवन की मुख्यधारा से अलग हो गए। तथापि, शिक्षा के विस्तार तथा लोगों द्वारा विभिन्न सेवाओं तथा व्यवसाय में प्रवेश करने से इस दृष्टिकोण में धीरे-धीरे कमी आई है।

तथापि, अब ये अपने निकटवर्ती अन्य समुदायों के लोगों के साथ संपर्क करने में झिझक महसूस नहीं करते हैं।

5. **पिछड़ापन**

पिछड़ापन एक सापेक्ष शब्द है। किसी समुदाय को एक प्रकार से आधुनिक समझा जा सकता है तो दूसरे प्रकार से यह पिछड़ा हो सकता है। तथापि, हमारे क्षेत्र अध्ययनों से यह पता चला है कि ग्वालपाड़ा, धुबरी, कोकराझार और बोंगईगांव जिलों (पहले का ग्वालपाड़ा जिला) के कोच-राजबंशी असम के अन्य मैदानी जिलों में अपने समकक्षों से आर्थिक रूप से तथा शैक्षिक रूप से अपेक्षाकृत पिछड़े हुए हैं।

यह उल्लेखनीय है कि ग्वालपाड़ा जिले के कोच-राजबंशी क्षत्रिय समुदाय का असम के आर्थिक तथा सांख्यिकीय विभाग द्वारा वर्ष 1969 में किए गए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण को छोड़कर असम के कोच-राजबंशियों के बारे में कोई और व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है । सर्वेक्षण के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि भूमि पर बढ़ते दबाव तथा फालतू श्रम को खपाने हेतु औद्योगिकीकरण के अभाव के कारण ग्रामीण कोच-राजबंशी क्षत्रिय लोगों की स्थिति पूर्व पीढ़ी से बेहतर नहीं थीं (पृष्ठ 50)। यह कथन असम की समग्र ग्रामीण आबादी पर लागू होता है। हमारे अपने क्षेत्र अध्ययनों से पता चलता है कि यद्यपि भूमिहीन परिवार बहुत कम हैं, जोत परिवारों के पास केवल थोड़ी भूमि ही है।

उनके पिछड़ेपन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कारक निम्नलिखित हैं:—

(1) आलसी होना; (2) भाग्यवादी दृष्टिकोण; (3) सामाजिक दायित्वों तथा धार्मिक कृत्यों पर फिजूलखर्ची करना; (4) हाल ही में शुरू हुई "बोरपोन" (दूल्हे का मूल्य) की प्रथा आदि; (5) लड़कियों की छोटी आयु में बड़ी उम्र के व्यक्तियों के साथ विवाह कर देने के कारण बड़ी संख्या में विधवाओं का होना; तथा (6) तत्कालीन जमींदारों द्वारा शोषण।

इस प्रकार हमने देखा है कि ग्वालपाड़ा, धुबरी, कोकराझार और बोंगईगांव (भूतपूर्व गोलपाड़ा जिला) के जिलों में रहने वाले कोच-राजबंशी-क्षत्रियों पर यह पिछड़ेपन का मानदंड लागू होता है। उपरोक्त बताये गये तथ्यों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पांच मानदंडों में से आदिम चिह्न, भिन्न संस्कृति, भौगोलिक अलगाव और समाज से अधिक संपर्क रखने की झिझक असम के

मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले कोच-राजबंशी-क्षत्रिय समाज से संबंधित लोगों पर बिल्कुल लागू नहीं होती। तथापि, यह सच है कि ग्वालपाड़ा, धूबरी, कोकराझार और बोंगाईगांव जिलों (जो भूतपूर्व गोलपाड़ा जिला) में रहने वाले कोच-राजबंशी-क्षत्रियों में कुछ सीमा तक शैक्षिक पिछड़ापन है। इसी कारण से असम सरकार ने उन्हें और अधिक पिछड़ा वर्ग के रूप में सूचीबद्ध किया है।

इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम कोच-राजबंशी/कोच-राजबंशी-क्षत्रियों को असम की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किये जाने की सिफारिश नहीं करते।

दूसरा प्रतिवेदन

(9 अगस्त, 1994)

असम के कोच-राजबंशी-क्षत्रियों के असम की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने पर एक रिपोर्ट

कोच-राजबंशी जाति असम के निवासियों में सब से प्राचीन है। धुबरी, कोकराझार बोंगईगांव, ग्वालपाड़ा और कामरूप जिलों में उनकी संख्या अत्यधिक है, असम के शेष जिलों में भी वे कहीं-कहीं बिखरे हुए हैं। इस समय कोच लोग स्थायी रूप से अविभाजित भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थायी रूप से बसे हुए हैं, पश्चिम में पूर्वी बिहार के पूर्णिया जिले से लेकर पूर्वोत्तर में असम के सदिया, पूर्व में मणिपुर, दक्षिण-पूर्व में त्रिपुरा और चित्तगोंग दक्षिणी सिरे पर बंगलादेश के नौखाली और दक्षिण-पश्चिम में पश्चिम बंगाल के बांकुरा तक फैला हुआ है।[1].

"कोच" शब्द की उत्पत्ति अस्पष्ट है। योगिनी तंत्र में, 16वीं शताब्दी के एक तांत्रिक का काम "कोच लोगों को कुवाचा के नाम से जाना जाता है, और पद्म पुराण में कुवाचा के नाम से जिनके बारे में कहा जाता है कि वे गंदा खाना ग्रहण करते थे और एक जंगली भाषा बोलते थे। यह संभव है कि उनमें ऐसी विभिन्नताओं, विशेष रूप से भोजन संबंधी आदतों और भाषा में अंतर के कारण आर्य/विद्वान उन्हें इस नाम से अथवा कभी-कभी मलेच्छ के नाम से बुलाते थे। के०एल० बरुआ का मत है कि मलेच्छ, मेछ शब्द का संस्कृत रूप हो सकता है। इस मत का समर्थन गेट और एस०के० चटर्जी भी करते हैं। कोच और मेछ लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं, यह इस बात से स्पष्ट है कि जबकि बिसवा सिंह के पिता बारह मेछ परिवारों का प्रतिनिधित्व करते थे, उसकी माता को कोच मुखिया की बेटी के रूप में बताया गया है। एस०के० चटर्जी के अनुसार, कोक शब्द (अथवा कोम्क कहें तो ज्यादा उपयुक्त होगा), कमोका, जिसका समुचित संस्कृत रूप काम्बोजा हो सकता है, की उत्पत्ति मध्य भारत आर्य स्रोत से होती है। उनका आगे कहना है कि बंगाल के कम्बोज लोग स्पष्ट रूप से उत्तर बंगाल के कोच लोगों के पूर्वज हैं। इस मत का समर्थन डी०सी० सरकार जैसे विद्वान भी करते हैं। अतः, यह कहना तर्कसंगत है कि कोच नाम संस्कृत के कम्बोज का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसके हमारे पास अनेकार्थ हैं, जैसे कि लोगों का समूह अथवा ऐसा देश, जहां ये लोग रहते हैं।[2]

जातिगत रूप से उनका संबंध महान भारत-मंगोल जाति तथा भाषायी रूप से उनका संबंध तिब्बत-बर्मा परिवार से है। निःसंदेह विभिन्न विद्वानों ने उनकी जातीय स्थिति के बारे में अलग-अलग विचार व्यक्त किए हैं। ई०ई० डाल्टन ने कहा है कि शारीरिक विशेषतायें आखिरकार किसी जाति के सबसे अधिक अमिट चिह्न हैं। यहां तक कि रक्त संबंधों में भी अलग-अलग जातियों के लक्षणों का प्रायः पता चल सकता है विभिन्न पीढ़ियों में कोई न कोई लक्षण असामान्य रूप से अधिक प्रभावी होता है। मैंने हिन्दू-असमियों के वंशजों को देखा है जो कई पुश्तों से नागा अथवा अबोर पहाड़ों पर रहते थे वे नागा और अबोर लोगों से अधिक चालाक थे लेकिन फिर भी वे जिन लोगों की नकल करते थे, देखने में उनसे बहुत अलग थे और अपने वंशजों से काफी मिलते-जुलते थे। मुझे कोच लोग भी समान रूप से लोहितिक जनजातियों से उत्पन्न हुए प्रतीत होते हैं और उनके बारे में मैंने जो कुछ जानकारी एकत्र की है उससे इस बात की संभावना अधिक लगती है कि मूल रूप से वे काले लोग हैं, जिनसे उनकी शक्ल मिलती-जुलती है तथा जिन्हें उत्तरी तुरानियों अथवा भारत-चीनी परिवार जिनसे वे इतने अलग थे, की अपेक्षा जब चन्द्रवंशियों और सूर्यवंशियों द्वारा मिथिला और मगध साम्राज्यों की स्थापना की गई थी, के समय गंगा-प्रदेशों से निकाला गया था; संक्षेप में मेरे विचार में वे द्रविड़ वंशज हैं.....।[3]

श्री एच०आर० रिसले के अनुसार कोच पूर्वोत्तर क्षेत्र और पूर्वी बंगाल की एक बड़ी द्रविड़ जनजाति है जिनमें मंगोलियनों से कुछ सीमा तक रक्त संबंध होने के आधार हैं।[4]

दूसरी ओर, ब्रियान हाजसान के अनुसार, कोच लोगों का संबंध बिल्कुल ही एक अलग प्रकार के मंगोलिया परिवार से है।[5] इसके अतिरिक्त, एल०एल० वाड्डेल कहते हैं कि निचले असम और उत्तर पूर्वी बंगाल के बीच ब्रह्मपुत्र के मैदानों में बसे हुए ये अर्ध-हिन्दू लोग कई दृष्टियों से अच्छे लोग हैं। जैसाकि कर्नल डाल्टन, मिस्टर रिजले और अन्य लोगों ने बताया है उनका संबंध भारत के काले द्रविड़ आदिमवासियों से नहीं है, बल्कि निश्चित रूप से मंगोलियाई हैं, हालांकि वे कुछ सीमा तक विजातीय हैं। यह

---

1. कोच, सिबेन्द्र नारायण-दिकोचिज देयर माइग्रेशन एंड सैटलमेंट (1) आर्य-स्टार में छपा एक लेख, अप्रैल 29, 1984
2. नाथ डी०-हिस्टरी आफ कोच किंगडम (1515-1615), 1989, पृष्ठ 7
3. डाल्टन ई०ई०-ट्राइबल हिस्टरी आफ ईस्टर्न इंडिया, 1978, पृष्ठ 92
4. रिजले एच०एच०-ट्राइब्स एंड कास्ट आफ बंगाल, खंड-1, 1981, पृष्ठ 491
5. हाजसन, बी०एच० एस्से दा फर्स्ट आन कोच बोडो एंड धीमाल ट्राइब्स, 1874, पृष्ठ-आठ

कोच शब्द एक आदिवासी नाम की तुलना में एक जाति का प्रतीक अधिक बन गया है ताकि कचारी, गारो, राभा, लालुंग और संबद्ध भारत-चीनी पृथक आदिवासी समुदायों को इस जाति के सदस्य के रूप में मान लिया जाए और उसमें चंडाल रक्त संबंध होने की भी थोड़ी गुंजाइश है। इस प्रकार, इन जातियों में से कोई भी जाति एक ब्राह्मणीय-पुरोहित की स्थापना करके और गोमांस खाना छोड़कर कोच बन सकते हैं हालांकि उसे पूर्ण रूप से जानवरों का मांस खाना छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे सरानिया बुलाया जाता है। जिसे असमी भाषा में सामान्यतः "होरोनिया" उच्चारित किया जाता है जिसका तात्पर्य है "शरणार्थी" जिसका निहितार्थ है कि उसने हिन्दू धर्म में शरण ले ली है। इससे अधिक विकसित अवस्था गोमांस और सुअर का मांस तथा मद्यपान का पूरी तरह से त्याग करके ब्राह्मणाचार और हिन्दू धर्म अपनाकर प्राप्त की जा सकती है। उनके इस प्रकार हिन्दू धर्म अपनाकर स्वयं को उस रूप में प्रस्तुत करने से उनके स्पष्ट उद्भव के मद्देनजर अत्यधिक कट्टरपंथी हिन्दुओं द्वारा उन्हें केवल निम्नतम जातियों में से एक का दर्जा प्रदान किया जाता है। इस प्रकार "कोच" शब्द ऐसा नहीं है जिसे बंगाल में अधिक महत्व दिया जाता हो और जहां कहीं जैसाकि कोच बिहार (कुच बिहार), दरांग बिजनी, मछमारा, सिदली, बेलतोला, जलपाईगुड़ी और लाखी में है, उनका अपनी जाति का राज हो, वहां उन्हें प्रायः अपने इस नाम को छोड़ते हुए देखा गया है। ऐसे स्थानों पर वे स्वयं को बहुत ऊंचे लगने वाले नाम "राजबंशी अथवा राजसी जाति से बुलाते हैं"।[6]

असम की जनगणना रिपोर्ट, 1891 में असम की वर्तमान कोच जाति के बारे में श्री गई की कुछ टिप्पणियां उपलब्ध हैं। उनका मत है कि ....मूल कोच जनजाति का चाहे जो भी जातीय मेल रहा हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौजूदा असम की कोच जाति का संबंध द्रविड़ जाति के बजाय मंगोलियाई लोगों से है। श्री डिजले द्वारा की गई जांच में बंगाल में राजबंशी-कोच के द्रविड़ लोगों से अधिक निकटता के प्रमाण मिले हैं। लेकिन असम की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं जनजाति का चाहे जो भी उद्भव रहा हो, जिसने अपना नाम इस विजातीय समूह को दिया इसे अब कोच-राजबंशी के रूप में जाना जाता है। बंगाल में यह अपने आसपास की द्रविड़ जातियों से इतना घुल-मिल गए हैं कि इनके शारीरिक स्वरूप में काफी सीमा तक द्रविड़ अंश आ गया है। दूसरी ओर असम में हालांकि जिस जाति का आधिपत्य तो था परंतु संख्या में हमेशा कम रहती थी, के चारों ओर मंगोलियाई जनजातियां बस गईं, जिसके साथ न केवल इनके अंतर्जातीय विवाह हुए बल्कि इन्होंने इन्हें इतनी अधिक संख्या में अपने में मिला लिया कि इनका मौलिक स्वरूप, कि ये पहले पूर्ण रूप से द्रविड़ थे, काफी सीमा तक समाप्त हो गया है। अब असम में इसे जनजाति के रूप में नहीं बल्कि हिन्दू जाति के रूप में जाना जाता है जिसमें विभिन्न जनजातियों जैसे कचारी, गारो, हाजोंग, लालुंग और मिकिर आदि सभी ने हिन्दू धर्म को अपना लिया है। अतः असम में किसी भी स्थिति में इस समय कोच को बोडो से संबद्ध और उनके माध्यम से मंगोलिया जाति की एक उप-जाति के रूप में समझना वांछनीय प्रतीत होता है।[7]

निम्नलिखित पंक्तियों से भी कोच जाति के लोगों का मंगोलियन मूल के होने का पता चलता है: बुकनान और ढाका ब्लू बुक में उन्हें बोडो और धीमल जाति में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए ऐंडल ने भी राभा, मैक, धीमल, कोच, धीमाचा, हो/जायस, लैलूंग, गैरो, हाजौंग और ऐसी अन्य जनजातियों को बड़ी बोडो जाति में रखा है। गेट के अनुसार इसमें कोई सन्देह नहीं है कि असम की कोच जाति के लोगों का संबंध द्रविड़ियन की बजाय मंगोलियन से है। एस॰के॰ चटर्जी और डा॰ डी॰सी॰ सरकार का भी यही विचार है।[8]

असम के एक प्रसिद्ध फिजीकल एन्थरोपोलोजिस्ट डा॰ बी॰एम॰ दास ने भी कोच जाति के लोगों के मंगोलियन मूल के होने का स्पष्ट उल्लेख किया है। उन्होंने यह बताया है कि राजबंशियों, जिसका कोच जाति के लोगों के रूप में उल्लेख किया गया है, को न केवल सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं बल्कि कतिपय जीव विज्ञान संबंधी प्रक्रिया के संबंध में भी जनजाति के एक बेहतर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

असम में वर्ष 1891 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजबंशी मुख्यतः कोच और मैक जनजाति के व्यक्ति हैं जिन्होंने यह नाम हिन्दू धर्म अपनाने के पश्चात् पाया है। अन्य जनजातियों जैसे राभा, कोचारी, गारो, करबी, तीवा आदि के व्यक्ति भी हिन्दू धर्म अपनाकर कोच अथवा राजबंशी बन सकते हैं। उन्हें हिन्दू समाज में जाति-समूह में एक स्थान दिया गया है। इसलिए राजबंशी मंगोलियन मूल के हैं।[9]

असम के प्रसिद्ध इतिहासकार डा॰ पी॰सी॰ चौधरी ने यह बताया है कि हमारी राय में शारीरिक विशेषताओं और रीति-रिवाजों से कोच अथवा कोचारी जाति के लोगों का पूर्णतया द्रविड़ियन मूल के होने जैसी किसी बात का पता नहीं चलता है। यह भी हो सकता है कि अन्य जनजातियों की तरह उनमें भी उस रक्त का मिश्रण हो। मानवमिति के आधार पर वाड्डेल ने यह दर्शाया है कि

6. वाड्डेल एल॰ए॰—दा ट्राइब्स आफ द ब्रह्मपुत्र वेली, 1978, पृष्ठ 48
7. पर्किटन्न, ई॰ एच॰ सेन्सस ऑफ इण्डिया, 1961 खंड-तीन, असम (1891 की जनगणना रिपोर्ट से पुनर्मुद्रण) पृष्ठ 48।
8. नाथ, डी॰-हिस्टरी आफ दी कोच किंगडम, 1989 पृष्ठ 3
9. दास, बी॰एम॰-पीपल्स आफ असम, 1989, पृष्ठ 13

वे तिब्बती-बर्मी हैं और उनका भारत के द्रविड़ियन आदिवासियों से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में, असम की जनसंख्या में द्रविड़ियन की संख्या तुलनात्मक रूप से नगण्य प्रतीत होती है।[10]

क्षत्रिय और राजबंशी के नामकरण के संबंध में हम निम्नलिखित कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहेंगे:—

"तथापि, बिसवा सिंह के आरम्भिक दिनों में कोच जाति के लोगों को कल्पित क्षत्रिय मूल का श्रेय दिया गया था। इसके तत्काल पश्चात् बिशवा सिंह ने स्वयं को प्रभुत्त-सम्पन्न शासक के रूप में स्थापित किया था जिसका ब्राह्मनों ने पता लगा लिया। उसने यह स्पष्ट किया कि जनजाति के उसके व्यक्ति क्षत्रिय हैं जिन्होंने परशुराम के कोप के समक्ष भागते हुए अपने जनेऊ फैंक दिये थे। जबकि बिशवा ने स्वयं यह घोषणा की थी कि वह किनम्र हरिया मण्डल का पुत्र न होकर भगवान शिव का पुत्र है, अतः सम्भवतः तभी से शाही परिवार के सदस्यों ने स्वयं को क्षत्रिय के रूप में प्रस्तुत किया। तथापि शासी वर्ग से आम जनता तक क्षत्रियमूल की यह धारणा पहुंचने में काफी समय लग गया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि 1881 की जनगणना में कोच बिहार में राजवामसी और 1891 की जनगणना में भंगा क्षत्रिय शब्दों का प्रयोग पहले इन्हीं लोगों के लिए किया गया था और जैसाकि सी॰सी॰ सान्याल द्वारा बताया गया है कि उस वर्ष में जलपाईगुड़ी में राजवामसियों की संख्या में अत्यधिक कमी आई थी। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राजवामसी शब्द का प्रयोग केवल हाल ही में कोच जाति के लोगों के लिए किया गया है लेकिन जैसाकि पहले ही बताया गया है, उनके क्षत्रिय मूल की पुष्टि बिशवा सिंह के आरम्भिक दिनों में ही हो गई थी, हालांकि 19वीं शताब्दी की समाप्ति के समय ही कोच जाति के लोगों ने स्वयं को क्षत्रिय अथवा भंगा क्षत्रिय होने का दावा किया था और यह देखा गया है कि 1921 तक वे सभी क्षत्रिय बन गये।[11]

काका साहेब कालेरकर की अध्यक्षता वाले पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के परिणामस्वरूप अविभाजित असम के कोच-राजबंशियों को वर्ष 1953 के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किया गया था। बाद में, अविभाजित ग्वालपाड़ा जिले के कोच-राजबंशियों को एम॰ओ॰बी॰सी॰ के रूप में मान्यता प्रदान की गई जबकि अन्य जिलों के कोच-राजबंशियों को अन्य पिछड़ा वर्ग माना गया। यहां इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि कोच राजबंशियों को पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है जबकि त्रिपुरा में उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। मेघालय राज्य में कोच जाति को अनुसूचित जनजाति (पहाड़ी) के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। देखिए भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-दो, खंड-एक, संख्या 50, नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1987।

कोच-राजबंशी सनमिलानी वर्ष 1967 से संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत कोच-राजबंशियों को सूची में शामिल करने के लिए प्राधिकारियों की पर्याप्त संख्या में ज्ञापन और अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रहा है। इस संदर्भ में, यहां इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि सनमिलानी ने 1969 में कोच-राजबंशियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग रखी थी। तथापि इसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग का आधार वर्ष 1980 से ही बन रहा है। अप्रैल, 1985 में सनमिलानी ने असम सरकार की मंत्रिमंडलीय उप समिति को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें सनमिलानी ने (क) अपनी मांग के पक्ष में संगत मानवविज्ञान संबंधी तर्कों को पुनः बताया, (ख) यह टिप्पणी की कि अनुसूचित जनजाति/जनजाति में शामिल करने का मानदण्ड देशभर में एक समान नहीं है, (ग) कोच-राजबंशियों को अनुसूचित जनजाति, जनजाति की मूल सूची से निकालने पर रोष प्रकट किया, मेघालय की कोच जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश करते हुए मेघालय विधान सभा द्वारा स्वीकार किये गये प्रस्ताव का उल्लेख किया और यह मांग की कि असम में उन्हें भी वही दर्जा दिया जाये जो उनकी राय में राज्य की एकता, अखण्डता और समग्र विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।[12]

भारत सरकार ने किसी विशेष समुदाय के लिए जनजाति का दर्जा निर्धारित करने हेतु पांच मानदण्ड अपनाये हैं अर्थात् प्राचीन चिन्हों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक पृथकता, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ सम्पर्क बनाने में संकोच तथा पिछड़ापन/असम के कोच-राजबंशी लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की उनकी मांगों पर विचार करने के प्रयोजनार्थ हमने उपर्युक्त मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए कोच-राजबंशी आबादी वाले धुबरी जिले के गोलकगंज, गौरीपुर और बिलासी पाड़ा, पुराना बोंगियागांव, बोंगियागांव, बेतामरी उत्तर और दक्षिण, गोलपाड़ा जिले के दुधनोई, लखीपुर और मनीकचर, कोकराझार जिले के चराईखोला, सरफेन्गुरी, गोरोमगांव, भाटीपारा की क्षेत्रीय जांच की है। इसके अतिरिक्त हमने असम के मोरीगांव, डिब्रुगढ़ और लखीमपुर जिलों के कई गांवों का दौरा किया है।

1. प्राचीन चिन्हों के संकेत

जैसाकि प्रमुख एन्थोग्राफर्स, इतिहासकारों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा पहले ही यह स्थापित किया गया है कि असम के कोच-राजबंशियों की उत्पत्ति मंगोलियन वंश से हुई है। यद्यपि इस समुदाय के लोग असम के सभी जिलों में बस

---

[10] चौधरी पी॰सी॰—दि हिस्टरी आफ सिविलाईजेशन आफ दी पीपल आफ असम टू दी ट्वेल्वथ सैन्चुरी एडी, पृष्ठ

[11] नाथ, डी॰ हिस्टरी आफ दी कोच किंगडम (1515—1615), 1989 पृष्ठ 5

[12] दत्ता, पी.एस.—एथेनिक मूवमेंट्स पोली-कलचरल, 1990, पृष्ठ 167

गए हैं। फिर भी उनका प्रमुख केन्द्र निचले असम के उन क्षेत्रों में पाया गया है जहां सामान्यता बोडो, राभा, गैरो और हाजोंग आदि निवास करते हैं। यह देखा गया है कि उनकी खेती, जीवन और रहन-सहन आदि का तरीका ईद-गिर्द जनजातीय लोगों के तरीके से अलग नहीं है। इसके अतिरिक्त, हमने यह देखा है कि मेघालय के गिरिपीठ के निकट रह रहे असम के कोच जाति के लोग मेघालय के गेरो जाति के लोगों की तरह खेती का पुराना तरीका अपना रहे हैं।

2. विशिष्ट संस्कृति

निःसन्देह, यह कहा जा सकता है कि असम के कोच और राजबंशियों का संबंधी उसी कोच जाति समूह से है। उपरि असम में इस समुदाय के लोग स्वयं को कोच कहते हैं जबकि निचले असम में इसी समुदाय के लोग स्वयं को कोच अथवा राजबंशी कहते हैं, हमारी क्षेत्रीय जांच से यह पता चलता है कि ऊपरि असम में कोच जाति के लोग अन्य समुदायों के साथ मिल-जुल कर रहते हैं। इसके विपरीत, निचले असम के कोच राजबंशी जाति के लोग पूर्णरूप से उसी समुदाय की आबादी वाले गांवों में रहते हैं। उपरि असम में कोच जाति के लोगों का अन्य समुदायों के साथ मिश्रण के परिणामस्वरूप विशिष्ट सांस्कृतिक चिन्ह स्पष्ट नहीं है। लेकिन निचले असम, विशेषतौर पर गोलपाड़ा, धूबरी, कोकराझार और बोंगाईगांव आदि जिलों के कोच राजबंशियों में पृथक सांस्कृतिक और धार्मिक लक्षण अभी भी अवलोकनीय है, जिसके कारण उन्हें अन्य समुदायों से आसानी से अलग किया जा सकता है। बोडो समूह के लोगों की तरह कोच राजबंशी भी चैत्र संक्रांति से बोहग के छठे दिन तक बकरी और कबूतर इत्यादि की बलि से गैर-आर्य देवता शिव की पूजा करते हैं। उसी समुदाय का पादरी (देवरी) बलि की रस्म पूरी करता है। इसके अतिरिक्त देवधानी, इस कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि असम की बोडो और देवरी जनजातियों द्वारा की जाने वाली विभिन्न पूजाओं में भी देवधानी का प्रचलन है। इसके अतिरिक्त गांव में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए देवता के समक्ष बलि देकर गर्जा पूजा भी की जाती है। पहनावे के तौर-तरीके के संबंध में यहां यह उल्लेखनीय है कि बोडो महिलाओं के दाखाना की भांति, इस समुदाय की अधिकांश महलियें, विशेषरूप से निचले असम में, पटानी का प्रयोग करती है। जहां तक खान-पान संबंधी आदतों का संबंध है, इस समुदाय के लोग शुष्क मछली सुकाती और बांस कोंपलों (बैम्बू-शूट्स) इत्यादि को प्राथमिकता देते हैं, जिसका आमतौर पर असम के आदिवासियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, लोग आसपास के जंगलों से खाने योग्य कंदमूल और फल एकत्रित करते हैं। हालांकि कोच-राजबंशियों की भाषा अब अप्रलित है, तथापि मेघालय के सीमावर्ती क्षेत्रों के कोच लोग अभी भी अपनी बोली का प्रयोग करते हैं।

3. भौगोलिक पृथक्करण

हालांकि यह मानदंड अपने वास्तविक रूप में असम के किसी भी समुदाय, चाहे वह जनजातीय हो या गैर-जनजातीय, पर लागू नहीं होता, इसके बावजूद भी यह कहा जा सकता है कि आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क संपर्क इत्यादि के अभाव के कारण गोलपाड़ा, धूबरी, कोकराझार और बोंगाईगांव जिलों के कोच-राजबंशी प्रभुत्व वाले कुछ गांव आंशिक रूप से विलग पाये जाते हैं। उदाहरण के तौर पर धूबरी जिले के उप-खंड गोलोकगंज के अंतर्गत बंगलादेश की सीमा के पास स्थित गांव जैसे भामनडांगा, छुपरीकुटी, पोकालागी, खेरबाड़ी, झासकल और घड़ियालदूबी इत्यादि सड़क और अन्य आधारभूत सुविधाओं से रहित पाये जाते हैं। यह संपर्काभाव बाहरी लोगों से इन लोगों के समुचित संपर्क स्थापित करने के रास्ते में बाधक है। इसी कारण वे भौगोलिक रूप से काफी हद तक विलग प्रतीत होते हैं।

4. समुदाय से अधिक संपर्क रखने में झिझक

अविभाजित गोलपाड़ा जिले के कोच-राजबंशी लोग वर्षों तक जमींदारों के क्रूर दमन के शिकार रहे थे और इससे वह लोग अंततः हीनभावना के शिकार हो गए। और इनमें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का साहस नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त इतिहास बताता है कि इस समुदाय के लोग अनादिकाल से विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों के अधीन विभिन्न प्रकार के दमन का सामना करते रहे थे। वास्तव में, हीनभावना उनके रक्त में ही है। तथापि, आधुनिक शिक्षा के प्रसार के कारण नई पीढ़ी अन्य लोगों के संपर्क में आई है और उसने स्वयं को काफी हद तक हीन भावना से मुक्त कर लिया है। परन्तु पुरानी पीढ़ी के लोग अभी भी हीन भावना की जकड़ में हैं जिसकी वजह से वे खुले दिल से अन्य लोगों के संपर्क में आने से हिचकिचाते हैं।

5. पिछड़ापन

हमारी क्षेत्रीय जांच के अनुसार, असम के राजबंशी सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। हालांकि काका साहब कालेरकर की अध्यक्षता में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ने 1953 में असम के राजबंशियों की अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप

में सिफारिश की थी। गोलपाड़ा जिले के कोच-राजबंशी क्षत्रिय समाज का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्ट आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, असम सरकार, 1969 स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि कृषि भूमि पर बढ़ते हुए दबाव और औद्योगिकीकरण के अभाव के कारण कोच राजबंशी आर्थिक रूप से अपनी पूर्व पीढ़ी की तुलना में अधिक संपन्न नहीं है। तथापि, हमारे क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऊपरि असम के कोच लोग निचले असम के कोच-राजबंशियों की तुलना में आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से बेहतर स्थिति में हैं हालांकि हमने ऊपरि असम के कोच लोगों की सामाजिक-आर्थिक दशा पर सरकारी विभाग/एजेंसी द्वारा किया गया है कोई व्यापक अध्ययन नहीं देखा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपरी असम के कोच लोग अपने पड़ौसी गैर-जनजातीय समुदायों से सभी दृष्टियों से पिछड़े हुए हैं।

कोच-राजबंशियों में शिक्षा और रोजगार की स्थिति पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से हम धूबरी और बोंगाईगांव के कोच-राजबंशी बाहुल्य क्षेत्र-गोलोकगंज और बीतामर्ज (उत्तर और दक्षिण) से एक नमूना पेश करना चाहेंगे। हमने इस समाज के एक साथ 28 गांव अपने अध्ययन हेतु लिए । इन गांवों की कुल जनसंख्या (लगभग) 25,382 है जिसमें हमने पाया कि यहां मैट्रिक 700, स्नातक 152, कला-निष्णात 14, डाक्टर-4, इंजीनियर-8, ए॰सी॰एस॰-1 अर अन्य सरकारी सेवा पदों पर 650 लोग हैं। वास्तव में, यह एक दुःखद स्थिति है। संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि कोच राजबंशी शिक्षा और रोजगार के मामले में अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं।

एक अन्य निराशाजनक कारक यह है कि कोच-राजबंशियों की जनसंख्या बढ़ने के साथ परिवारों के भूमिधारण के तरीके में अत्यधिक बदलाव आया है। यह पाया गया है कि अधिकांश परिवारों के पास 5-7 बीघे जमीन होती है। जिसमें उन्हें अपने परिवारों का गुजर-बसर करने में अत्यधिक परेशानी होती है। कुछ गांवों में भूमि-हीन परिवार भी देखे गये हैं। ऐसा मुख्य रूप से दूल्हें की कीमत अदा करने की प्रथा, विवाह और मृत्यु के मौकों पर अत्यधिक खर्च और अन्य पारिवारिक खर्चें इत्यादि की वजह से हुआ है। दिहाड़ी-मजदूरों की संख्या भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस स्थिति ने उन्हें अपने घर से निकलकर पड़ोसी शहरों में जीविकोपार्जन के लिए आने पर मजबूर किया है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण से हमें यह पता चलता है कि असम के कोच-राजबंशी-क्षत्रियों की उत्पत्ति मंगोलियाई जनजाति से हुई है और भाषायी रूप से वे तिब्बत-बर्मा परिवार से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा जा सकता है कि कोच-राजबंशी-क्षत्रिय कोच जाति समूह के लोगों द्वारा विभिन्न सामाजिक-धार्मिक-राजनीतिक अवसरों पर अपनाई गई मात्र तीन शब्दावलियां हैं। हमारी क्षेत्रीय जांच यह दर्शाती है कि किसी समुदाय को सूचीबद्ध करने के लिए निर्धारित मानदंड अध्ययन के अंतर्गत आने वाले समुदायों में भी विद्यमान हैं।

सभी तर्कसंगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम कोच-राजबंशी-क्षत्रियों को असम की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का पर्याप्त औचित्य पाते हैं।

एक. कोच-राजबंशियों को असम की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव पर भारत के महापंजीयक कार्यालय की टिप्पणी

पहले इस कार्यालय को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था प्रकाशित साहित्य के आधार पर कोच-राजबंशी को असम की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के उस प्रस्ताव की जांच के पश्चात् इस कार्यालय ने दिनांक 11.5.1981 के अपने अर्धशासकीय पत्र सं॰ 8.2.81-एस॰एस॰ के माध्यम से टिप्पणी की थी कि कोच-राजबंशी असम की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित जनजातीय विशेषताओं के मानदंड को पूरा नहीं करते। अतः, यह कार्यालय इस प्रस्ताव से असहमत है।

एक ऐसा ही प्रस्ताव कल्याण मंत्रालय ने इस सुझाव के साथ पुनः भेजा कि इस विषय पर आदिवासी शोध संस्थान, असम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मद्देनजर इस मामले की पुनः जांच की जाए। उक्त रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि कोच-राजबंशियों की उत्पत्ति जनजाति से हुई और ये अपने पड़ोसी गैर-जनजातीय समुदायों से सभी दृष्टियों से पिछड़े हुये हैं। यह भी बताया गया है कि कोच-राजबंशी के असम की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किये जाने का पर्याप्त औचित्य है क्योंकि आदिवासी अनुसंधान संस्थान, असम द्वारा की गई क्षेत्रीय-जांच यह दर्शाती है कि किसी समुदाय को अनुसूची में शामिल करने के लिये

निर्धारित मानदंड के अधिकांश तत्व उनमें विद्यमान हैं। साथ ही पड़ोसी राज्य मेघालय में कोच पहले से ही अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित हैं, जो पूर्व में असम का ही एक अभिन्न अंग रह चुका है।

अतः आदिवासी अनुसंधान संस्थान, असम द्वारा भेजे गये प्रयोग सिद्ध आंकड़ों के मद्देनजर, इस कार्यालय को कोच-राजबंशी को असम की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

18. समिति ने 15 से 18 नवम्बर, 1996 तक गुवाहाटी और बोंगाईगांव का अध्ययन दौरा किया। उसने विभिन्न संघों/संगठनों/व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की तथा उन्होंने समिति को अनेक ज्ञापन दिये। समिति द्वारा उनके साथ की गई चर्चा और प्राप्त ज्ञापनों का उल्लेख निम्नलिखित पैराओं में किया गया है:—

(एक) श्री गोलप बोरबारा, असम के पूर्व मुख्यमंत्री के विचार

प्रवर समिति के पूछे जाने पर, श्री बोरबारा ने बताया कि असम में ऐसे अनेक आदिवासी हैं जिन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने की जरूरत है तथा उन्हें समायोजित करने के आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाये। उसने कोच राजबंशी समुदाय के मामले का समर्थन किया और उन्हें अनुसूचित जनजाति सूची में तत्काल शामिल करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने समिति को सूचित किया कि कुछ अन्य आदिवासी कोच राजबंशियों को सूची में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं। परन्तु मेघालय में उन्हें पहाड़ी जनजातियों के रूप में घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने समिति को यह भी सूचित किया कि पश्चिम बंगाल में कोच-राजबंशियों को अनुसूचित जातियों के रूप में माना जाता है। अतः, उन्होंने बताया कि अब यह आवश्यक है कि कोच राजबंशियों को असम की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाये। उन्होंने आगे बताया कि हालांकि बोडो लोगों का एक भाग इसका विरोध कर रहा है परन्तु उनमें से अधिकांश कोच-राजबंशियों की इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कुछ सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों का उद्धरण दिया, जिन्होंने इस समुदाय को असम की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की सिफारिश की है।

श्री बोरबोरा ने समिति को बताया कि चुटिया जाति के लोगों को एक बार अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया था लेकिन बाद में इन्हें निकाल दिया गया था। देउरिया समुदाय को भी इसमें से निकाल दिया गया था लेकिन बाद में इसे सूची में शामिल कर लिया गया था। उन्होंने समिति को यह भी बताया कि चाय श्रमिक भी यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने समिति से यह अपील की कि उन व्यक्तियों, जो मूल रूप से अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं लेकिन जिन्होंने पश्चिम बंगाल, बिहार आदि से असम में प्रवास किया था, को इस सूची में शामिल न किया जाये। उन्होंने यह उद्धृत किया कि पहाड़ों में करबी जाति के लोगों को जनजाति का माना गया है लेकिन मैदानों में उन्हें जनजाति का नहीं माना गया है।

श्री बोरबारा ने यह राय व्यक्त की कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत से अनधिक की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैदानी जनजाति के लोगों के लिए 10 प्रतिशत और पहाड़ी जनजाति के लोगों के लिए 5 प्रतिशत कोटा बढ़ाया जाये। उन्होंने पुनः बताया कि असम में 13 प्रतिशत जनसंख्या सामान्य समुदाय की है। वे उससे अधिक कुछ प्राप्त कर रहे हैं जितना उन्हें दिये जाने की आवश्यकता है। उनकी राय में असम राज्य में जनजाति के लोगों को 85 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए।

(दो) श्रीमती अनवर तैमूर, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, असम

श्रीमती तैमूर ने समिति को यह बताया कि राजवंशियों की जनजातीय विशिष्टताएं, संस्कृति आदि अलग नहीं है। उन्होंने स्वयं को राज्य की आम जनसंख्या के साथ मिला लिया है। उन्होंने अन्य समुदायों के साथ मिलना-जुलना शुरू कर दिया है। यदि असम

असम राज्य के विभिन्न समुदायों को इस सूची में शामिल करना शुरू कराया गया तो इस समस्या का अंत नहीं होगा। वे पहले ही अन्य पिछड़े वर्ग में हैं। असम में मुसलमान भी हैं। वे भी पिछड़े वर्ग में हैं और अनुसूचित जनजाति के बनना चाहते हैं उनकी राय में कोच और कोच राजबंशी दो अलग अलग समुदाय हैं लेकिन उनमें बहुत कम अंतर है। उसकी राय में कोच राजबंशी के लोग जनजाति के नहीं है। उन्होंने समिति को यह बताया कि कोच राजबंशी जाति के लोग कूच बिहार (पश्चिम बंगाल) से असम में आये हैं। वे पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति के लोग हैं लेकिन उनकी विकसित स्थिति को देखते हुए उन्हें असम में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जाति के लोगों के रूप में घोषित नहीं किया गया है। लेकिन चूंकि असम सरकार ने पहले ही यह सिफारिश की है कि कोच राजबंशियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाये, वह सरकार के दृष्टिकोण के खिलाफ नहीं जाना चाहती।

(तीन) प्रो. बी.एम. दास, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, मानव विज्ञान, गुवाहटी विश्वविद्यालय

प्रो. दास ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर समिति को बताया कि कोच राजबंशियों का जनजातीय इतिहास है लेकिन कोच और राजबंशी अलग-अलग जाति हैं। उन्होंने बताया कि कोच जाति के लोग राजा के बशंज हैं। चुटिया जाति का भी राजा होता था। राजबंशी हिन्दू मूल के हैं। उनका संबंधी कूच बिहार से है। उनका प्रिसले स्टेट्स से भी संबंध है। उन्होंने यह भी बताया कि विगत में कुछ जनजातियों को इस सूची में से हटा दिया गया और कुछ को शामिल कर लिया गया तथा सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए यह प्रक्रिया चलती रही। जब उन्होंने यह देखा कि लाभ है, तो उन्होंने जनजातीय प्रमाण पत्र की व्यवस्था कर ली और जब यह देखा कि लाभ नहीं है तो उन्होंने यह व्यवस्था नहीं की उन्होंने चुटिया जाति के लोगों का उदाहरण उद्धृत किया जो यह नहीं चाहते थे कि उनकी अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान की जाये लेकिन अब जब वे जनजाति के लोगों को प्राप्त हो रहे लाभ देखते हैं तो वे यह प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें भी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाये।

उन्होंने यह महसूस किया कि कोच जाति की जनसंख्या अधिक है। यदि उन्हें इस सूची में शामिल कर लिया गया तो सूची की अन्य जनजातियों के लोगों को घाटा होगा। वे राजनैतिक कारणों की वजह से अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कतिपय समुदायों के जनजाति की सूची में से हटाने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी विशेष समुदाय को इस सूची में शामिल किया जाना अपेक्षित हो तो सम्पन्न वर्ग की अवधारणा पर विचार किया जाये। उन्होंने यह बताया कि सभी समुदायों की जांच की जाये और यह देखा जाये कि उनमें से प्रत्येक अनुसूचित जनजाति की सूची के लाभों का उपयोग करने के योग्य है। उन्होंने सूची से सम्पन्न वर्ग को निकालने का सुझाव दिया।

(चार) यूनाइटेड ट्राइबल नेशनलिस्ट लिबरेशन फ्रंट डारंग, असम से ज्ञापन

ज्ञापन में यह बताया गया है कि कोच राजबंशियों ने अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति और सभ्यता खो दी है उन्होंने स्वंय को पूर्णरूप से असमी बोलने वाले लोगों, संस्कृति और सभ्यता में आत्मसात कर लिया है। कोच राजबंशियों ने स्वेच्छा से असमी संस्कृति, सभ्यता और भाषा के साथ आत्मसात किया है जिसके फलस्वरूप वे अपनी भाषा, संस्कृति और सभ्यता बनाये रखने में असफल रहे हैं। इसका प्रमाण यह है कि कोच राजबंशियों का शिक्षा के किसी भी स्तर दर अनुदेश देने का कोई साधन नहीं है। कोच राजबंशी समुदाय अब शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से इतना विकसित हो गया है कि इसने शरतचन्द्र सिन्हा जैसे बहुत प्रसिद्ध और प्रौढ़ व्यक्ति को जन्म दिया है जो वर्ष 1972 से 1978 तक असम के मुख्य मंत्री रहे हैं और जिनका संबंध तत्कालीन अग्रणी राजनैतिक कांग्रेस पार्टी से था।

समिति ने 4 फरवरी से 8 फरवरी, 1997 तक कलकत्ता और डिब्रुगढ़ का अध्ययन दौरा भी किया। समिति ने अनेक संघ/संगठनों/व्यक्तियों के साथ चर्चा की और समिति के समक्ष उन्होंने कई ज्ञापन प्रस्तुत किए। उनके साथ की गई चर्चा और समिति द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञापनों पर निम्नलिखित पैराओं में विचार किया गया है।

(क) डिब्रुगढ़ नगर देवरी उन्नयन समिति, डिब्रुगढ़, असम

समिति के प्रतिनिधियों ने अप्रैल, 1992 में असम सरकार को प्रस्तुत की गई असम जनजातीय और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी की रिपोर्ट की एक प्रस्तुत समिति को प्रस्तुत की। रिपोर्ट की एक प्रति को इस प्रतिवेदन की पिछले पृष्ठों में पुनः उद्धृत किया गया है।

चर्चा के दौरान, डिब्रुगढ़ नगर देउरी उन्नयन समिति के प्रतिनिधियों ने कोच राजबंशी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का विरोध किया। उन्होंने इस समुदाय की उन्नति के आधार पर यह विरोध किया था। उन्होंने यह टिप्पणी की कि कोच राजबंशी को असम की अनुसूचित जनजाति में शामिल करना अनुचित होगा। संघ के मूल्यांकन के अनुसार कोच राजबंशियों की जनसंख्या लगभग 70 लाख है।

इस आंकड़े की प्रमाणिकता के बारे में उन्होंने समिति को बताया कि वे इस संख्या के बारे में निश्चित नहीं हैं क्योंकि कोई समुदाय-वार जनगणना नहीं की गई है। जहां तक कोच राजबंशी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संबंध है, विरोधात्मक कथन दिये गये हैं उनके अनुसार कोच जाति के लोग राजबंशियों से अलग हैं। उन्होंने बताया कि कोच जाति के लोग राजबंशियों की तुलना में पिछड़े हुए हैं और वे एक दूसरे के शादी समारोह में नहीं जाते। उन्होंने समिति को बताया कि भाषा, संस्कृति, धार्मिक निष्ठा और रहन सहन के ढंग को देखते हुए कोच राजबंशी समुदाय जनजाति के सच्चे अर्थ में नहीं आता। कोच राजबंशी सभी पहलुओं में असम के वर्तमान जनजाति समुदायों की तुलना में अधिक विकसित है। उन्होंने यह भी बताया कि कोच राजबंशियों का असम की अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने से असम की अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए निर्धारित किए गए विकासात्मक कार्यक्रमों का प्रयोजन ही समाप्त हो जाने की आशंका है और इस प्रकार इसके दूरगामी परिणाम निकलें जिनका वर्तमान जनजातीय जनसमूह के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने यह आशंका व्यक्त की थी कि असम की नई अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिक जनसंख्या वाले विकसित कोच राजबंशी अन्य जनजातीय जनसमूहों, जो अभी भी पिछड़े हुए हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में सीमांत जीवन स्तर से नीचे हैं, के साथ अनुसूचित प्रतिस्पर्द्धा करेंगे। वर्तमान जनजातीय जनसमूह जो अत्यधिक विकसित कोच राजबंशियों की तुलना में अभी भी पिछड़ा हुआ है। संविधान और अन्य कल्याण योजनाओं द्वारा दिये गये अधिकारों और सुविधाओं से वंचित हो जायेगा। उन्होंने यह टिप्पणी की कि कोच राजबंशियों को असम की अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषणा करने की सरकार द्वारा की गई प्रतिकूल कार्यवाही से कई अन्य जनसमूहों के लिए ऐसे दावे पेश करने के लिए रास्ता खुल जायेगा जिससे समाज में अत्यधिक जटिल, दुखदायी और गड़बड़ी की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी और एक सुदृढ़ और संयुक्त भारतीय राष्ट्र जोकि पिछड़े जनजातीय समुदायों के लिए संविधान में ऐसे प्रावधान करते समय संविधान निर्माताओं का परम उद्देश्य था, बनाने के संबंध में समान नागरिक के रूप में सभी समुदायों को धीरे-धीरे आत्मसात् करने की प्रक्रिया शिथिल पड़ जायेगी। देउरी उन्नयन समिति द्वारा समिति को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन में यह बताया गया है कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है और इस पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की जानी चाहिए। यदि कुछ वास्तविक जनजातियां रह गई हों तो एक राज्य में मान्यता प्रदान की गई और ऐसे सभी संगत मामलों के लिए दूसरे राज्य में मान्यता प्रदान न की गई जनजातियों के मामले में सरकार को खंड-खंड करके एक अध्यादेश पारित करके असम में केवल कोच राजबंशी की अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषणा करने के बजाए संपूर्ण मामले की पुनः जांच करने हेतु एक आयोग गठित करने पर विचार करना चाहिए। देउरिया उन्नयन समिति के अनुसार अध्यादेश जारी करना सरकार द्वारा जल्दी में उठाया गया कदम है। इसने यह भी बताया कि असम की जनजाति के लोग कोच राजबंशी को असम की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने पर दुखी और क्षुब्ध हैं और उन्होंने यह आशंका व्यक्त की कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे और देश के जनजाति के लोग के विकासात्मक कार्यक्रमों का संपूर्ण ढांचा ध्वस्त हो जायेगा। समिति को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन में सरकार से यह भी अनुरोध है कि वह इस मामले पर पुनर्विचार करे और कोच राजबंशी को असम की अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषणा करते हुए पारित किये गये अध्यादेश को अवैध घोषित करे।

डिब्रूगढ़ नगर देउरी उन्नयन समिति द्वारा समिति को प्रस्तुत किये गये एक अन्य ज्ञापन में यह बताया गया है कि कोच राजबंशी को असम की जनजातीय सूची में शामिल करने का विरोध करने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं (क) कोच राजबंशी किसी भी ऐसे मानदंड को पूरा नहीं करता जो भारत सरकार ने जनजाति के रूप में समुदाय का पता लगाने के लिए निर्धारित किए हैं। (ख) असम की हिन्दू जाति प्रणाली की सामाजिक व्यवस्था में कोच ब्राह्मण और कलित के बाद आते हैं जो वैष्णवी संकरी संस्कृति रखने वाले असमिया समाज की जनसंख्या के प्रमुख घटक हैं। वे जीवन के सभी पहलुओं में असम के अन्य विकसित वर्गों के समान हैं (ग) कोच राजबंशी असम की अनुसूचित जनजाति के वर्तमान समूह से सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन, बुद्धिमता तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों आदि में कहीं अधिक उन्नत है जैसाकि भारत के संविधान में मान्य है। (घ) यदि कोच राजबंशी, जो पहले ही जीवन के सभी क्षेत्रों में काफी आगे हैं और वे अनुसूचित जनजातियों के सभी समूहों को वंचित करते हुए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सुविधाओं का लाभ उठा रही है को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाता है तो इससे अनुसूचित जनजाति के वर्तमान समूह को गहरा धक्का लगेगा। यह उलट प्रक्रिया असम के जनजातिय लोगों के सामाजिक जीवन में उथल-पुथल पैदा कर देगी।

ज्ञापन में यह बताया गया था कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के वर्तमान समूह ने हाल ही में दुखद अनुभव का सामना किया है क्योंकि वे शैक्षिक संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने, भारत सरकार द्वारा पारित अध्यादेश के बल पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अधिकांश सीटें प्रगतिशील कोच राजबंशी प्रत्याशियों द्वारा हासिल करने से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा में सेवाएं प्राप्त करने में विफल रहे हैं। इसी तरह राजनीति में भी कुछ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, कोच राजबंशी समुदाय ने हथिया लिए हैं।

(ख) सोनावल कछारी जातीय परिषद

सोनावल कचारी जातीय परिषद ने कोच राजबंशी को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के विचार का विरोध किया है। परिषद के अनुसार कोच राजबंशी लोग बहुत बुद्धिमान, प्रतिभाशाली तथा सभी मायनों में उन्नत समुदाय हैं। इसलिए इन्हें "उच्च श्रेणी के हिन्दू" माना जाता है और इन्हें जनजातिय सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए उन्होंने यह भी बताया कि सोनावल कचारी समुदाय की अन्य जनजातिय समूहों की तरह अपनी भाषा है जिसे दोवर अंदित कहा जाता है और यह जनजातिय लोगों के आदिकाल का चिन्ह है, परंतु कोच राजबंशियों की न तो अपनी भाषा है और न ही दोवन। सोनावल कचारी लोग इन्हीं स्थानों पर रहना पसंद करते हैं। सोनावल कचारी लोगों नाम घर बनाते हैं जो कोच राजबंशी के नाम घर से भिन्न हैं। सोनावल कचारी लोग धार्मिक उत्सव जैसे बाथो पूजा, गुआई और मोनाई पूजा मनाते हैं परंतु कोच राजबंशी ऐसी कोई पूजा नहीं करते हैं। तीन में से दो उत्सव बीहू उत्सव कोच राजबंशियों से बिल्कुल भिन्न है। एक मोध बीहू है जिसे सोनावल कचारी लोग परम्परागत तरीके से मनाते हैं और अन्य बोहाग बीहू को ये लोग दो चरणों में मनाते हैं। सोनावल कचारी लोग पौधों की पत्तियों और जड़ों से चावल की मदिरा अथवा मोड तैयार करते हैं परंतु कोच राजबंशी चावल की मदिरा बनाना नहीं जानते हैं।

परिषद ने निम्नलिखित कमियां बताई हैं जिनके आधार पर उन्होंने कोच राजबंशियों को जनजातिय सूची में सूचीबद्ध करने का विरोध किया है।

एक. कोच राजबंशी लोक पहले स्वयं को हिन्दुओं की तथाकथित उच्च जाति "क्षत्रिय राजबंशी" बताते रहे और लम्बे समय से मूल जनजातिय लोगों की उपेक्षा और आलोचना करते रहे हैं।

दो. कोच राजबंशी लोग पहले से ही अन्य पिछड़ी जाति की सूची में शामिल हैं और इससे उन्हें लाभ मिल रहे हैं।

तीन. चूंकि ये सभी क्षेत्रों में उन्नत हैं, ये असम के मूल जनजातिय लोगों का 10 प्रतिशत कोटा हथिया लेंगे।

चार. अन्य जनजातिय लोगों के खेल, मेल, और बोंशा है जिसका वे अपनी भाषा के अनुसार समुदाय में उपयोग करते हैं परंतु कोच राजबंशी लोगों के ऐसे कोई खेल, मेल और बोंशा नहीं है।

पांच. कोच राजबंशी लोगों ने पूर्व जनजातिय नेताओं डा. जयन्त रंगपी और रनुज पेगु जिन्होंने कोच-राजबंशी को जनजातिय सूचियों में शामिल करने का विरोध किया था, की प्रतिमा जलाई है। कोच राजबंशी वाभा जैसे राभा कोचारी को नहीं पहचानते।

छ. काका कालेकरसाहेब ने वर्ष 1953 में राजबंशी समुदाय को अन्य पिछड़ी जाति (ओ.बी.सी.) में शामिल करने की सिफारिश की । उन्हें पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया है। उन्हें सितम्बर, 1987 से त्रिपुरा तथा मेघालय राज्यों में अनुसूचित जनजाति (पर्वतीय) माना गया है। असम के कोच राजबंशी असम में पर्वतीय लोग नहीं हैं।

सात. असम के जनजातिय समूह की खाने की आदत भिन्न है जैसे सूखी मछली, सुकेती, बांस शट्टू और उबला खाना जोकि जनजातिय लोगों की खाने की आम आदते हैं परंतु कोच राजबंशी इन आदतों से घृणा करते हैं।

आठ. कोच राजबंशियों ने पिछले पचास वर्षों से स्वयं को हिन्दू जाति घोषित किया है। अब उन्होंने अन्य जनजातिय समूहों के समान रीति-रिवाज और भाषा आदि के बिना भी स्वयं को मंगोलियन मूल का कहना शुरू किया दिया है। वे स्वयं को यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कोच कौन है और राजबंशी कौन हैं और क्षत्रिय कौन है।

उन्होंने बताया कि उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण किया है और यह पता चला है कि असम के कोच राजबंशी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक नैतिक क्षेत्रों आदि जहां असम का सभी मायनों में बड़ा भाग उन्होंने हथिया लिया है, में अधिक विकसित हैं।

सोनावल कचारी जातिय परिषद ने बताया है कि अनुसूचित जनजाति सूची में राजवंशी समुदाय को शामिल करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा पारित अध्यादेश को ध्यान में रखते हुए 20 अगस्त, 1996 तक की अवधि तक निम्नलिखित घटनाएं घटी:—

एक. विधान सभा सीट कोच राजवंशी समुदाय से एक व्यक्ति विधान सभा सदस्य के रूप में जनजातिय आरक्षित सीट पर असम के मझोली निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित।

दो. सेवाएं, असम के सिंचाई विभाग में अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटे पर कोच राजवंशी समुदाय के दो सहायक कार्यकारी अभियंताओं को पदोन्नति मिली।

गुवाहटी के मालीगांव के अधीन रेलवे विभाग में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों पर पांच राजवंशियों में से तीन राजवंशियों को नौकरी मिली।

तीन. असम के गुवाहाटी शैक्षिक संस्थानों, कपड़ा कालेज में प्रवेश

उच्चतर माध्यमिक स्कूल (विज्ञान प्रथम वर्ष) में अनुसूचित जनजाति की 37 आरक्षित सीटों में से कोच राजवंशी समुदाय के 35 प्रत्याशियों को प्रवेश मिला। उच्चतर माध्यमिक स्कूल (कला प्रथम वर्ष) में अनुसूचित जनजाति की 21 आरक्षित सीटों में से कोच राजवंशी समुदाय के 13 प्रत्याक्षियों को प्रवेश मिला।

वर्ष 1996 में बी० एस० सी० के प्रथम वर्ष में अनुसूचित जनजाति की 45 आरक्षित सीटों में से कोच राजवंशी समुदाय के 35 प्रत्याशियों को प्रवेश मिला।

वर्ष 1996 में बी० ए० प्रथम वर्ष में अनुसूचित जनजाति की 50 आरक्षित सीटों में से कोच राजवंशी के 25 अभ्यार्थियों को प्रवेश मिला।

चार. जोरहाट इंजीनियरिंग कालेज, जोरहाट, असम

अनुसुचित जनजातियों के लिए आरक्षित 10 सीटों में से कोच राजवंशी के पास 8 जनजातिय सीटे हैं।

पांच. असम मेडीकल कालेज, असम

अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 42 मेडीकल सीटों में से 25 सीटों पर कोच राजवंशी विद्यार्थी हैं। इसी तरह अनेक अन्य शैक्षिक संस्थानों में आरक्षित जनजातिय सीटों में से अनेक कोच राजवंशी के पास हैं।

अतः परिषद ने अनुरोध किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उन्नतशीलता को देखते हुए कोच राजवंशी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल न किया जाये वरन उन्होंने अनुरोध किया कि असम चाय जनजातियों तथा मोरन को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए।

उनके अनुसार ये दो जनजातिय इसकी पात्र हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सरकार द्वारा कोच राजवंशियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए जारी अध्यादेश का असम के सभी जनजातिय संगठनों ने जोरदार विरोध किया है और आलोचना की है और यदि सरकार द्वारा उठाए गए कदम को रोका नहीं गया तो उन्होंने संघर्ष करने का निर्णय किया है।

सोनावल कचारी परिषद का मत है कि असम राज्य में कोच राजवंशी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने वाले प्रस्तावित विधेयक से असम के क्षेत्रीय जनजातिय लोगों का 10 प्रतिशत कोटा कम नहीं किया जाना चाहिए और यदि ऐसा होता है तो असम की मैदानी अनुसूचित जनजाति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। परिषद ने कोच राजवंशियों के लिए एक पृथक उपबंध, यदि आवश्यक हो, बनाने के लिए संसदीय चयन समिति से अनुरोध किया है।

19. समिति ने कलकत्ता के अपने दौरे के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग, कलकत्ता के सहायक निदेशक डा० संतोष कुमार नासकर के साथ 4.2.1997 को अनौपचारिक चर्चा की उन्होंने बताया कि अब तक उनके कार्यालय को कोच राजवंशी समुदाय से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कोच और राजवंशी समुदायों के बीच अंतर, यदि कोई है, के बारे में अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की। समिति चाहती थी कि वह (डा० कुमार) राजवंशी समुदाय के

उदभव और विकास के बारे में एक अध्ययन करे और समिति को अध्ययन रिपोर्ट उपलब्ध कराये। अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति आयोग, कलकत्ता के सहायक निदेशक द्वारा प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्ट को नीचे पुनः उदधृत किया जाता है:—

> "राजबंशी समुदाय का संबंध उस महान बोडो परिवार से है जो 10वीं शताब्दी ईसापूर्व में पूर्व की दिशा से भारत में आये थे और ब्रहमपुत्र नदी के किनारों पर बस गए थे तथा धीरे-धीरे असम और संपूर्ण उत्तरी तथा पर्वी बंगाल में फैल गये थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के दौरान एक कोच राजा ने कारूप में एक राज्य की स्थापना की तथा राजा ने सभी अधिकारियों, और संपूर्ण जनता के साथ हिंदू धर्म अपना लिया। इस प्रकार धर्म परिवर्तन करने वालों ने कोच नाम छोडकर राजवंशी नाम अपना लिया जिसका शाब्दिक अर्थ 'शाही जाति' है और उन्हें अर्द्ध हिंदू आदिवासी के अंतर्गत वर्गाकृत किया गया है। वे हिन्दू देवताओं की पूजा करते हैं और उन्होंने हिन्दू पद्धतियां और रीति रिवाज अपना लिए हैं।
>
> पश्चिम बंगाल में 22,58,760 राजवंशी हैं जो राज्य की कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या का 14.05 प्रतिशत है और वे अधिकाशंतः जलपाईगुडी, कूच बिहार, दार्जिलिंग उत्तर तथा दक्षिण दिराजपुर तथा मालदा जिलों में फैले हुए हैं।

अन्य शब्दों में कुल राजवंशी जनसंख्या का 77% मुख्यतः इन जिलों में बसा हुआ है। कुल राजवंशी जनसंख्या में से 24.65% लोग साक्षर हैं।

कुल मिलाकर इस जाति के 85% कृषक कहे जा सकते हैं यद्यपि इनमें से अनेक मछुआरों, बढ़ई, लुहार आदि के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। इनमें से 52% किसान हैं और अधिकांश राजवंशी अधिभोगाधिकार के साथ अथवा बिना रियात की खेती कर रहे हैं, कुछ भूमिहीन दिहाड़ी मजदूर (33%) हैं जिन्हें नगद अथवा इसके बदले अन्य चीजों का भुगतान किया जाता है। अपने जीवनकाल में ये विभिन्न धार्मिक कृत्य तथा कर्मकाण्ड करते हैं। अधिकांश मामलों में यह देखा गया है कि उनमें जनजातीय और हिन्दु रीति-रिवाजों का मिश्रण है। वे अपनी बेटियों का विवाह अक्सर बचपन में ही करना पसंद करते हैं और विधवा पुनर्विवाह सामान्यतः स्वीकृत प्रथा नहीं है। रूढ़िवादी राजवंशी अपने मृतक को जलाते हैं और इस जाति के कम हिन्दुत्व वाले सदस्य सुविधानुसार या तो मृतक को दफनाते हैं अथवा दाह-संस्कार करते हैं।

अपने कर्मकाण्ड और मान्यताओं को देखते हुए राजवंशी हिन्दु हैं। वे मानसा, भगवान शिव, देवी सिद्धेश्वरी की पूजा करते हैं। वे शिवरात्रि भी मनाते हैं और साथ ही ये स्थानीय देवता जैसे तिस्तू बुई आदि की भी पूजा करते हैं।

उन्होंने क्षत्रियकरण आन्दोलन में भाग लिया और क्षत्रिय होने का दावा किया फिर भी राजवंशियों का सामाजिक दर्जा अभी भी बहुत नीचे है और कोई भी उच्च जाति उनके हाथों से पका खाना नहीं लेगी।

कोच और राजवंशी दोनों को 1930 में अनुसूचित जनजातियों की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। इस संदर्भ में यह नोट किया जाए कि कोच जाति ने अपनी जनजातिय पहचान खो दी और हिन्दु जाति में आ गए। इस समय 9,714 कोच हैं जो पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या का 0.06% है। इनमें से 93% उत्तर बंगाल के छह जिलों में केन्द्रित हैं। कोच में 15.19% साक्षर हैं। जो लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं वे श्रमिक वर्ग का 88% है यद्यपि 60% कृषि श्रमिक बतलाए गए हैं।

उपरोक्त सभी पहलुओं पर विचार करते हुए यह उल्लेखनीय है कि कोच और राजवंशी सभी मायनों में समान है यद्यपि उन्हें अलग-अलग सूचीबद्ध किया गया है। दोनों समूहों में बहुत पहले अपनी जनजातीय पहचान खो दी है और क्षत्रिकरण आंदोलन के प्रभाव में हिन्दु बन गए।

समिति का मत है कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र संभवत विश्व का सबसे अधिक विविधतापूर्ण समाज है और पूर्वोत्तर से अधिक विविधता विश्व में कहीं दिखाई नहीं देती। यहां जातियों, धर्मों और भाषाओं का असाधारण मिश्रण देखने को मिलता है। मानव सांस्कृतिक चेतना के बढ़ने से भारत के विभाजन ने भूराजनैतिक अलगाव बढ़ा दिया है।

इसके विकास में जातीयता, शासन, विद्रोह तथा विकास की समस्याएं आई। पूर्वोत्तर में मंगोलियाई मूल विशिष्ट जातीय सांस्कृतिक क्षेत्र को स्पष्ट करता है। जिसका बाहय इतिहास, संस्कृति तथा वाणिज्यिक संपर्क महान है जिसका गहन अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को मुख्यतः सात बहनों के नाम से जाना जाता है और इनमें से एक है।

20. प्रतिष्ठित विद्वानों, मानवजाति वैज्ञानिकों, इतिहासकारों तथा सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा लिखे गए साहित्य, दिसपुर स्थित जनजातीय अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त द्वारा की गई टिप्पणियों तथा लिए गए साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद समिति महसूस करती है कि कोच-राजवंशियों अभिभाजित असम के प्राचीन निवासियों में से एक हैं। वे मुख्यतः धुबरी, कोकराझार, बौंगाईगांव, ग्वालपाड़ा, और कामरूप जिलों में तथा असम के शेष जिलों में यत्र-तत्र निवास करते हैं और वे मंगोलिया मूल के हैं। इसके अलावा, कोच-राजवंशी तीन शब्दों अर्थात् कोच, राजवंशी और कोच-राजवंशी से जाने जाते हैं जिनका कोचों द्वारा विभिन्न सामाजिक धार्मिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों में जो अविभाजित समग्र असम पर हावी रही, में उपयोग किया गया। यह पाया गया है कि उनको खेती करने का तरीका, जीवनपद्धति तथा जीवनयापन के माध्यम इत्यादि उनके आसपास के जनजातीय लोगों से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। यह भी देखा गया है कि असम के कोच जो मेघालय के पर्वतों के निचले हिस्सों के पास रहते हैं, मेघालय की गारो जाति के लोगों की तरह खेती की स्थानान्तरित करने के चिर-प्राचीन तरीके को ही अपनाते रहे हैं।

21. यह भी पाया गया है कि यह समुदाय, जो ऊपरी असम में रहता है अपने आपको कोच कहता है और निचले असम में रहने वाले जो इसी समुदाय के लोग हैं वे स्वयं को कोच राजवंशी कहते हैं। ऊपरी असम में रहने वाले कोच अन्य समुदाय के लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं जबकि निचले असम विशेषतौर पर बोंगाईगांव, ग्वालपाड़ा धूबरी और कोकराझार जिलों में रहने वाले कोच राजवंशी अलग-अलग रहते हैं और उन्हें आसानी से अन्य समुदायों से अलग पहचाना जा सकता है। वे शिव, अनार्य देवता की पूजा, बकरी, कबूतर इत्यादि की बलि चढ़ाकर करते हैं। कोच राजबंशी सूखी मछली, सुक्ती तथा बांस की शाखायें इत्यादि खाना पसन्द करते हैं जोकि असम के जनजातीय लोगों में सामान्यतः इस्तेमाल किए जाते हैं। वे आसपास के जंगलों से खाद्य वृक्ष, मूल तथा फल एकत्रित करते हैं। समिति यह भी महसूस करती है कि बौगाईगांव, ग्वालपाड़ा, धूबरी तथा कोकराझार जिलों के कोच-राजवंशी जाति बहुत कुछ गांव आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण अलग-अलग हैं। समिति ने यह भी महसूस किया है कि कोच राजबंशी समुदाय की पुरानी पीढ़ी के अधिकांश लोग हीन भावना से ग्रस्त हैं और अन्य समुदाय के लोगों से खुल कर मिलने में संकोच करते हैं। समिति ने यह भी नोट किया कि ऊपरी असम के कोच अपने पड़ोसी गैर-जनजातीय समुदायों से हर प्रकार से पिछड़ेपन की स्थितियों में रहते हैं।

22. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद समिति ने देखा है कि असम में कोच-राजबंशियों के जनजातीय मूल के होने के पर्याप्त संकेत हैं और उनमें बहुत सी जनजातीय विशेषताएं भी विद्यमान हैं। इसके अलावा भारत के महापंजीयक ने भी असम की जनजातियों की सूची में कोच-राजबंशियों को शामिल करने में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है। समिति ने यह भी देखा है कि मेघालय में कोच एक अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित है जोकि पूर्व असम का अभिन्न अंग था इस प्रकार कोच राजवंशी समुदाय की असम की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का पर्याप्त औचित्य है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि कोच राजबंशी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाये ताकि वे सार्वजनिक जीवन की मुख्य धारा में आ सकें।

(दो) क्षेत्रगत प्रतिबन्ध को हटाना

23. असम में अनुसूचित जनजाति की दो श्रेणियों, यथा अनुसूचित जनजाति (मैदानी) तथा अनुसूचित जनजाति (पर्वतीय), की वर्तमान प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप से रूपांतरित किया जाना चाहिए:—

अनुसूचित जनजाति (पर्वतीय) को स्वायत्त जिला क्षेत्रों में भी अनुसूचित जनजाति (पर्वतीय) में समझा जाये। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति (मैदानी) को स्वायत्त जिलों में भी अनुसूचित जनजाति (मैदानी) समझा जाना चाहिए।

(तीन) कोटा आरक्षण

24. दिनांक 15 से 18 नवम्बर, 1996 तक गुवाहटी तथा बोंगईगांव के अपने अध्ययन दौरे के दौरान प्रवर समिति ने 17.11.1996 को असम विधानसभा के अध्यक्ष के साथ चर्चा की।

25. माननीय अध्यक्ष (श्री गणेश कुट्टम) ने समिति को बताया कि जनजातियों की अनेक समस्याएं हैं। जनजातीय लोग

उन्हें दिए गए 10% आरक्षण से खुश नहीं हैं। असम में 7 राज्यों की स्थापना भी समस्या का समाधान नहीं कर पाई है। लोगों ने आन्दोलन किया है। मैदानों तथा पर्वतों में कत्लेआम होता रहा है। सरकार द्वारा किए गए प्रयास पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि असम सरकार ने कतिपय समुदायों को जनजातीय सूची में शामिल करने की कोशिश की है। इससे अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण कोटे में कमी आई है। इससे लोगों में बहुत अधिक रोष उत्पन्न हुआ है। यदि कोच-राजबंशी को सूची में शामिल किया जाता है तो कोई भी जनजाति इस सूची से बाहर नहीं होगी। इन्हें शामिल किए जाने के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता होगी अन्यथा राज्य सरकार स्थिति को सम्भाल नहीं पाएगी।

उन्होंने आगे समिति को बताया कि अगर कोच राजबंशियों का अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाता है तो उनके लिए एक अलग कोटे की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। उनके अनुसार, वर्तमान 10 प्रतिशत की तुलना में 15 प्रतिशत का कोटा एक आदर्श उपबंध होगा।

26. माननीय अध्यक्ष ने यह भी बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियां 5 प्रतिशत तथा मैदानों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त कर रही है। असम राज्य में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां क्रमशः 7 प्रतिशत और 15 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त कर रहीं हैं। भारत उच्चतम न्यायालय के 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण न दिए जो के निर्णय के बावजूद भी असम राज्य में 13 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की गुंजाइश है और अगर आवश्यकता हो तो कुछ प्रतिशत कोटा अन्य पिछड़ा वर्ग से भी लिया जा सकता है और अनुसूचित जनजातियों को दिया जा सकता है क्योंकि राजवंशी, जिनकी जनसंख्या काफी है, अन्य पिछड़ा वर्ग सूची से निकल जायेगी।

समिति ने असम राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को भेजे गये उसके पत्र सं॰ टी॰ ए॰ डी॰/एस॰ टी॰ 59/97/5 दिनांक 17.3.97 (अनुबंध एक) में अंतर्विष्ट उसके विचार भी नोट किए हैं। इसमें बताया गया है कि वर्ष 1996-97 के दौरान राज्य की अन्य अनुसूचित जनजातियों (मैदानी) की तुलना में कोच राजवंशी समुदाय की उन्नत स्थिति होने के कारण उसे बड़ी संख्या में मेडिकल सीटें मिल गई।

27. समिति यह भी महसूस करती है कि यदि कोच-राजबंशी लोगों को अनुसूचित जनजतियों की सूची में शामिल कर लिया जाता है तो आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग हकदार हो जायेंगे जिससे अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान 15 प्रतिशत आरक्षण कोटा (10 प्रतिशत मैदानी तथा 5 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले के लिए) समाप्त हो जायेगा जिससे मूल जनजातियां जो तुलनात्मक दृष्टि से कम विकसित है, के बीच बहुत प्रतिक्रियायें/असंतोष/क्षोभ व्याप्त हो जायेगा। समिति यह पाती है कि इस समय अनुसूचित जनजातियों के लिए 15 प्रतिशत (10 प्रतिशत मैदानों तथा 5 प्रतिशत पहाड़ों में रहने वालों के लिए) 7 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए तथा 17 प्रतिशत अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण है। इस प्रकार आरक्षण कोटा कुल 39 प्रतिशत बनता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कोई भी राज्य 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं कर सकता। समिति यह टिप्पणी करती है कि सर्वोच्च न्यायालय को ध्यान में रखते हुए 11 प्रतिशत और आरक्षण किए जाने की अभी भी गुंजाइश है। समिति का यह विचार है कि सरकार को अनुसूचित जनजातियां के लिए पर्याप्त कोटा बढ़ाने की संभावना का पता लगाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण कोटे में कमी की जा सकती है क्योंकि राजबंशियों चुटियाओं तथा अन्य लोगों की बड़ी संख्या को अन्य पिछड़ी जाति की सूची से अनुसूचित जातियां की सूची में अंतरित किया जायेगा। इस आनुपातिक कोटे को अनुसूचित सूची में भी शामिल किया जा सकता है। सरकार कोच-राजबंशी तथा अन्य समुदायों जो इन विधेयक द्वारा अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाएगे, के लिए पृथक आरक्षित कोटा सृजित करने की संभावना का भी पता लगाए ताकि अधिसूचित जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण लाभ प्रभावित न हों।

(चार) अन्य आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना

अन्य आदिवासी लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के प्रश्न पर समिति ने लोगों के साथ बातचीत की तथा विभिन्न पक्षों से ज्ञापन प्राप्त किए जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:—

आल असम गारो स्टूडेंट्स यूनियन हैडक्वार्टर्स, निसानग्राम, जिला ग्वालपाड़ा, असम से ज्ञापन

यह ज्ञापन असम के गारो लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की मांग करता है। उन्होंने कहा है कि गारो

लोग अविभाजित असम के समय से मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में सदियों से रह रही असम की आदिम जनजातियों में से एक है। जातिगत साक्ष्य दर्शाते हैं कि गारो लोग महान बोडो परिवार की एक शाखा है और ऐसी ही जातियां जैसे बोडो, कचरियों और राम्भा इत्यादि जो असम की जनजातियां है के समरूप है। मूलरूप से गारो लोग ब्रहमपुत्र घाटी में बहुत पहले आकर बसे लोगों में से एक हैं। समय के साथ गारो लोगों का एक भाग ब्रहमपुत्र की घाटी से असम के पर्वतीय जिलों में जाकर बस गया जबकि उसी जाति का एक बड़ा भाग ब्रहमपुत्र की मैदानी घाटियों में रह गया।

उसने यह भी बताया कि जब असम का अभी विभाजन नहीं हुआ था और सभी पूर्वोत्तर राज्य एक ही राज्य थे, उस समय गारो लोगों से उनके निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना समान व्यवहार किया जाता था। ऐसा केवल तब हुआ जब असम के पर्वतीय जिलों को स्वयात्ता दी गई, तत्पश्चात केवल गारो जाति को उनके पर्वतीय और मैदान क्षेत्रों में अवास के आधार पर श्रेणीकृत किया गया। गारो लोग जो स्वायत्त राज्य में थे, उन्हें पहचान दे दी गई और अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर लिया गया वही उनके ही संबंधी उनके भाइयों और बहनों को जो स्वायत्त राज्य से बाहर रह गये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 17 तक दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हुए अनुसूचित जनजाति के दर्जे से पूरी तरह वंचित रखा गया। उसमें आगे बताया गया है कि उसी परिवार के बच्चों को आंशिक रूप से अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करना पूर्ण रूप से असंवैधानिक है।

श्री गुलाम उसमानी, पूर्ण मंत्री (राजनेता) के विचार

श्री उसमानी ने समिति को सुझाव दिया कि वे सभी समुदाय व असम में अनुसूचित जनजाति का लाभ प्राप्त नहीं कर रही है परंतु अन्य राज्यों में प्राप्त कर रही है, को असम राज्य में भी लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जाये। एक उदाहरण देते हुए, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में संथाल अनुसूचित जनजाति है उन्हें असम में भी यह लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जाये।

असम की कार्यकारी समिति आहोम सभा तथा असम की ताई ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सोसायटी डिब्रूगढ़, असम

इस संगठन ने समिति से अनुरोध किया है कि आहोम जनजाति को असम की अनुसूचित जनजाति को असम की अनुसूचित जनजाति की सूची में, शामिल किया जाये। यह बताया गया है कि आहोम जनजाति के लोग ताई जाति की शाखा के रूप में पूर्वोत्तर भारत में रहते हैं, जो इस समय दक्षिण पूर्वी एशिया में पाये जाते हैं तथा वे तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ में पटकोई श्रेणी को पार करके उन्नान में माओलोंग से वर्तमान भारत के इस भाग में आ गए थे और ऐसा करके वे अपने साथ अपनी प्रथा, धर्म, भाषा, परम्परायें और अन्य सांस्कृतिक विशेषताएं साथ ले आये जो अभी भी असम में और दक्षिण पूर्वी भारत में फलफूल रही हैं। आगे यह कहा गया है कि ब्रिटिश काल, जो आक्रामक और आहोम शासन को समाप्त करने वाले थे, के दौरान आहोम जाति की भावनाएं सुदृढ़ हुई। इस घटना ने अधिकांश आहोम लोगों को कभी पहले रहे अपने राज्य के दूर दराज के अलग-अलग क्षेत्रों में बसने के लिए मजबूर कर दिया। परिणामतः इस समय वे उचित संपर्क के अभाव में अलग अलग क्षेत्रों में रहे हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ने आहोम लोगों को अन्य लोगों की तुलना में सामाजिक तथा राजनीतिक रूप के अतिरिक्त शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा बना दिया है।

इस संगठन ने अपने ज्ञापन में यह उल्लेख किया है कि अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय के ताई भाषाई लोग पहले ही अनुसूचित जनजाति की सूची में हैं। अतः उन्होंने अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने का दावा पेश किया है।

यूनाइटेड मुट्टाक मोरान, चुटिया, आहोम एसोसिएशन, डिब्रूगढ़ असम

इस संघ ने समिति से जैसाकि पहले ही असम सरकार ने सिफारिश की है स्वयं के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश करने का अनुरोध किया है। यह कहा गया है कि असम सरकार ने उचित जांच पड़ताल के पश्चात् केन्द्र सरकार से छह जाति समूहों के नाम की सिफारिश की है जिन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाना चाहिए तथा वह मामला केन्द्र सरकार के पास लंबित है। इन छह जातिय समूहों में अन्य के साथ-साथ मोरान, चुटिया, आहोम तथा मुट्टाक जातियां शामिल हैं। कोच राजबंशी समुदाय का अन्य जनजातिय समूहों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर रखने की सिफारिश निराशाजनक है।

आल असम मट्टाक संमिलन

आल असम मट्टाक संमिलन के प्रतिनिधि 6 फरवरी, 1997 को डिब्रूगढ़ में प्रवर समिति के सम्मुख उपस्थित हुए और भारत सरकार के साथ उनके हुए पत्राचार की कुछ प्रतियां पेश की। पत्राचार में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित बताया गया है:—

(क) मट्टाक समुदाय के अपने संगठन (सदान असम मट्टाक संमिलन) द्वारा की गई जनगणना के अनुसार इस समय मट्टाक समुदाय की जनसंख्या 12 लाख से अधिक है। उनमें से अधिकांश इस समय डिब्रूगढ़ जिला, जो कभी उनके साम्राज्य का एक बड़ा भाग था, में रहते हैं। शेष ब्रह्मपुत्र की घाटी, मुख्य रूप से शिवसागर, लखीमपुर, दारांग और नौगांव में फैले हुए हैं। अब वे असम के अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल हैं।

(ख) मट्टाक लोग तीन अलग-अलग शब्दावलियों, अर्थात् मट्टाक, मोरान, माओमरज, जो असम की आदिम जनजातियां हैं, से जाने जाते हैं। मट्टाक स्वयं को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करवाने के लिए भारत सरकार को भेजे गये विभिन्न अभ्यावेदनों और ज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई लाभ नहीं हुआ है।

(ग) असम सरकार मटक जाति के हित को बार-बार नजरअंदाज करती रही है हालांकि भारत सरकार ने मार्च, 1984 में इस संबंध में एक रिपोर्ट देने के लिए कहा था।

(घ) मटक जाति के लोग शैक्षिणक रूप से केवल 10% साक्षर हैं और आर्थिक रूप से अत्यधिक पिछड़े हुए हैं तथा विकास के प्रारंभिक चरण में है जो उनके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में झलकता है।

(ङ) सभी कोच-राजबंशी, चुटिया और मटक जनजाति के लोगों का संबंध एक ही बोडो / मंगोलियन समूह से है और वे पुराने कामरूप के निवासी हैं। उन समुदायों के साथ भारत के संविधान के अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 की सूची में भेदभाव किया गया है जबकि उसी बोडो समूह की बोडो, रावा, दिमाच, लालुंग, सौनवाल, कचारी आदि जैसी अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति आदेश, 1950 में पहले ही सूचीबद्ध कर दिया गया है।

(च) कोच राजबंशी जाति त्रिपुरा और मेघालय में अनुसूचित जनजाति और पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति के रूप में पहले ही सूचीबद्ध है और उनका पुराने कामरूप में हिन्दु जातीय बोडो जनजाति शासक समूह था जिसे अब असम और उत्तरी बंगाल में विभाजित कर दिया गया है। भारत सरकार से पहले ही यह अनुरोध किया गया है कि वह सभी बोडो जातीय जनसमूहों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करके उपर्युक्त विसंगति को दूर करे। केन्द्र सरकार को यह भी सुझाव दिया गया है कि यदि सरकार वास्तव में बोडो समस्या का समाधान करना चाहती है तो बोडो वार्ता के दौरान सभी बोडो मंगोलियन समूह को आमंत्रित किया जाये।

(छ) मटक जाति के लोग, जिनकी संख्या अब 13 लाख से भी अधिक है और जिनका असम के तिनसुकिया, डिब्रुगढ़ और सोनीतपुर, नवगांव, मुरीगांव, शिवसागर और जोरहाट जिलों में वर्चस्व है, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट है और उन्होंने यह विनती की है कि उन्हें असम में अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की उनकी शेष मांग को पूरा किया जाये।

(ज) मटक जनजाति के लोगों ने असम की अन्य जनजातियों के लोगों की तरह अपनी जनजातीय संस्कृति, रीति-रिवाजों, विश्वास और पद्धतियों को अभी भो बनाये रखा है। मटक जनजाति के लोगों के रहन-सहन के ढंग की वही विशिष्ट विशेषता है जो असम के सामान्य रहन-सहन के ढंग से बिल्कुल भिन्न है।

(झ) सामान्यता, मटक जाति के लोग सांस्कारित विवाह प्रणाली के अलावा सह-पलायन विवाह को पसन्द करते हैं। मटक जाति के लोगों में "कदान" का भुगतान करने की प्रथा है जिसका अर्थ, दुल्हन द्वारा अपने माता-पिता को कतिपय राशि का भुगतान करना है, जैसाकि असम की अन्य जनजातियों में प्रचलित है। मटक जाति के लोगों ने "यौवनारंभ विवाह" समारोह की प्रणाली अपनाई है जो अद्वितीय है और जिसे बड़े रंग-चाव से सम्पन्न किया जाता है।

(ञ) विभिन्न बीमारियों और मानसिक विकार पर नियंत्रण पाने के लिए तंत्रवाद बदौरब (जंगली जड़ी-बूटी) और जादुई गीतों (मंत्र) का उपयोग मटक जाति के लोगों के दिन-प्रति दिन के जीवन से जुड़ा हुआ है।

(ट) मटक जाति के लोग अभी भी प्राचीन देवी-देवताओं की पूजा करते हैं और भोज की व्यवस्था करके विभिन्न प्राचीन देवी-देवताओं की संतुष्टि के लिए बत्तख, बकरी, कछुए आदि की बलि चढ़ाते हैं। उनका कृषि करने, मछली पकड़ने, शिकार करने, रेशम का उत्पादन करने का पुराना तरीका है और अन्य बांस तथा लकड़ी के बने घर हैं। मटक जाति के लोग चूड़ियां पहनते हैं और अपने सिरों पर सफेद कपड़े के टुकड़ों की पगड़ी बांधते हैं जो उन्हें असम की शेष जनसंख्या, जिनका गोमछा प्रायः लाल रंग के किनारे के साथ सफेद होता है, से भिन्न करती है। मटक औमन जाति के लोग आरम्भ में छाती से टखने तक एकमात्र वस्त्र पहनते हैं और सिर पर भूरे रंग का गोमछा लपेटते हैं। समान्यतया, मटक जाति के लोगों के वस्त्र साधारण सूत से बने हुए होते हैं।

(ठ) मटक जाति के लोगों की निवास के लिए प्रायः निर्जन स्थानों का चयन करने की अदादत है। मटक जाति के लोगों की निर्जन स्थानों पर रहने की इस आदत के फलस्वरूप इसकी जनसंख्या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलती रहती है।

(ड) मटक जाति के लोगों की भाषा बोडो मूल की है।

(ढ) वे इतने गरीब है कि वे विद्यालयों में अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते। उनकी बस्तियों में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। उनके गांवों में कोई बेहतर संचार साधन नहीं है।

(ण) मटक जाति के लोगों की आबादी वाले क्षेत्र बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए स्वर्ग स्थल बन गये हैं और मटक जनजाति के लोग अपने ही पूर्व क्षेत्र में अल्पसंख्यक हो गये हैं। इस प्रकार मटक जाति के लोगों का राजनैतिक भविष्य अन्धकारमय है और सम्भवतः समाप्त हो गया है।

(प) अपने घरों को छोड़ने और उन्हें बाहरी व्यक्तियों को देने के कारण मटक जाति के लोग जंगलों के निवासी बन रहे हैं लेकिन अब उनके रहने के लिए अधिक जंगल नहीं है। मटक जनजाति की अनुमानतः कुल 13 लाख की जनसंख्या में से 10% शिक्षित युवक उद्देश्यहीन हो रहे हैं जबकि वे रोजगार पाने के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं। उनका विधान सभा सदस्य और संसद सदस्य जैसा कोई राजनैतिक प्रतिनिधि नहीं है जो उनकी सहायता कर सके और रोजगार के लिए उनके मामलों की सिफारिश कर सके। यह नोट करके आश्चर्य होता है कि कभी असम की शासक जनजाति रहने वाली मटक जनजाति के लोगों का असम सिविल सेवा में कोई प्रतिनिधि नहीं है। मटक जनजाति के विद्यार्थी असम राज्य के चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि और अन्य कालेजों में प्रवेश पाने के लिए अन्य समुदायों के विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में असमर्थ हैं। हालांकि वे किसी भी तरह अन्य समुदायों के अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कमजोर अथवा कम बुद्धिमान नहीं हैं। मटक जाति के विद्यार्थी मुश्किल से मैट्रिक स्तर तक ही शिक्षा प्राप्त करते हैं।

उपर्युक्त विस्तृत विवरण देते हुए मटक सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने विगत में भारत सरकार को यह सुझाव दिया है कि मटक जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 244(क) (1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाये लेकिन इस सुझाव को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है।

अखिल चुटिया जाति सनमिलान

चुटिया सनमिलान के प्रतिनिधि 6.2.1997 को समिति के समक्ष उपस्थित हुए और समुदाय के लिए अपने ज्ञापन की एक प्रति सौंपी ताकि समिति उसका अवलोकन कर सके। इस ज्ञापन में यह बताया गया है कि चुटिया जाति के लोगों को असम की मैदानी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की उनकी बार-बार की गई मांग के बावजूद उन्हें संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 में शामिल नहीं किया गया है। यह भी बताया गया है कि कोच जाति के लोगों को लगभग 4 दशक पहले लोका कालेलकर द्वारा तैयार किये गये अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कर लिया गया था। वर्ष 1972 में असम सरकार ने चुटिया जाति के लोगों सहित कुछ समुदायों की अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में घोषणा की जिसमें कोच जाति के लोगों को शामिल नहीं किया गया था। मुख्य मंत्री का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् श्री शरत् चन्द सिन्हा, जो स्वयं राजबंशी (कोच) थे, ने कोच जाति को अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल करा दिया। उपरि असम में स्वयं कोच जाति के लोगों की

स्थिति हिन्दुओं में विकसित समुदायों की स्थिति जैसी है और वे तो चुटिया लोगों से घृणा करते हैं और उनके साथ कभी भी अन्तर्विवाह नहीं करते। इससे यह पता चलता है कि उनका (कोच जाति) जनजाति से कोई संबंध नहीं है। निसन्देह, अविभाजित ग्वालपाड़ा जिले के राजबंशी अभी भी पिछड़े हुए हैं।

शास्त्रों में केवल कोच और कलित जाति के लोगों (हिन्दु वैष्णवी प्राणी) को भक्तों (धार्मिक कार्यकर्ता) के रूप में स्वीकार किया गया है। कोच जाति के लोगों ने स्वयं की "क्षत्रिय" के रूप में घोषणा की है जो हिन्दु धर्म में ब्राह्मणों के पश्चात् दूसरे नम्बर पर आते हैं।

राजनैतिक क्षेत्र में कोच जाति के लोग इतने विकसित हैं कि उनके असम के दो मुख्यमंत्री (स्वर्गीय श्री विष्णु राम मेधी और श्री शरत् चन्द्र सिन्हा) हुए हैं। उनके कई संसद सदस्य (लोक सभा और राज्य सभा के) और असम सरकार में अनेक मंत्री और विधान सभा सदस्य हैं। वर्तमान संयुक्त मोर्चे में असम से एक कोच केबिनेट मंत्री (श्री बीरेन वैश्य) हैं।

प्रशासन में कोच जाति के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और असम सिविल सेवा के कई अधिकारी हैं। इसके अलावा, उनके अनेक डाक्टर, इंजीनियर और अन्य व्यावसायिक तथा उच्च अधिकारी हैं।

कोच जाति के लोग कभी भी भीतरी क्षेत्रों में नहीं रहे जहां बेहतर संचार और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उपरि असम में कोच जाति के लोगों की जनजातीय प्रणाली जैसे कोई समस्या, चावल से बनी बीयर पाने तथा पक्का सकल जैसी कोई कुरीति नहीं है। **कोच जाति के लोगों को पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति और मेघालय में अनुसूचित जनजाति के लोग माना गया है।** चुटिया शब्द का प्रयोग अनादरपूर्ण ढंग से किया जाता है। चुटिया जाति को सामाजिक रूप से समाज के सामान्य वर्गों से अलग कर दिया गया है। कलित और कोच जैसी जातियों के हिन्दु लोग एक ही नामग्रह (प्रार्थना घर) में एकत्रित होते हैं। चुटिया जाति के लोगों को कभी भी आगे बैठने की अनुमति नहीं दी जाती। इस प्रकार, हिन्दुओं की ऊपरि जातियों द्वारा चुटिया जाति के लोगों को अभी भी अछूत माना जाता है।

राजनैतिक क्षेत्र में चुटिया जाति के लोगों की उपस्थिति नगण्य है। इस तथ्य के रहते हुए कि असम में चुटिया जाति की जनसंख्या लगभग 1.5 मिलियन है, उनका वर्तमान विधान सभा में केवल एक विधान सभा सदस्य है। इस जनसंख्या पर उनके कम से कम 7 विधान सभा सदस्य होने चाहिएं। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के 49 वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी चुटिया जाति का एक भी संसद सदस्य नहीं है। उनकी यह दयनीय दशा, उनकी आदिवासी झिझक, अलगाव, जीने का आदिम-जातीय तरीका, छितरी भौगोलिक स्थिति के कारण है। चूंकि पहले से ही विकसित समुदाय राजनीतिक क्षेत्र में अग्रणीय है, चुटिया लोगों को हीन समझा जाता है और उन्हें चुनाव के समय अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। चुटिया लोगों में एक व्यक्ति भी आई०ए०एस० अथवा आई०पी०एस० अथवा आई०एफ०एस० और इस प्रकार के किसी पद पर नहीं हैं। केन्द्र सरकार में किसी के उच्च अधिकारी होने की तो बात ही छोड़िए। चुटिया लोगों में केवल असम सरकार प्रशासन में श्रेणी-एक के दो अधिकारी हैं। उनके बीच डाक्टरों और इंजीनियरों की संख्या बहुत ही कम है। इस समुदाय का किसी भी राज्य मंडल, निगम, उपक्रम, आयोगों, समिति असम लोक सेवा आयोग तथा असम सहकारिता शीर्ष बैंक इत्यादि में न तो कोई अध्यक्ष है और न एक भी सदस्य। ऐसा उनकी गरीबी और अशिक्षा के कारण है। वे अपनी जीविका के लिए अधिकाशतः कृषि पर निर्भर करते हैं और अत्यधिक पुराने कृषि-तरीके अपनाते हैं। उनके पास कृषि के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है और वे अपनी जरूरतें मुश्किल से ही पूरी कर पाते हैं। शैक्षिक रूप से वे अन्य विकसित समुदायों से काफी पिछड़े हुए हैं। इस समुदाय के काफी लोग अभी भी "चांद-घरों" (देवरीज और मिरिंग निशिंग जैसे अन्य आदिवासियों की भांति जमीन से आंशिक ऊपर निर्मित बांस और घास-फूस की छतों से बने मकानों) के भीतरी स्थानों में रहते हैं।

यदि असम के कोच तथा राजबंशी पश्चिम बंगाल और मेघालय के कोच लोगों के क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में होने की सिफारिश के आधार पर अनुसूचित जनजाति बनाया जा रहा है तो असम की चुटिया जाति को भी उसी राज्य में उनकी दो जनजातियों (देवरीज और मिशिंग) के शामिल किए जाने के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना पड़ेगा। चुटिया से अलग हुई अरूणाचल प्रदेश की मिसमिस जाति को पहले से ही अनुसूचित जनजाति माना जाता है। असम की चुटिया जाति मौजूदा अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के मूल निवासी हैं।

आगे यह बताया गया है कि किसी को भी यह स्पष्ट नहीं है कि अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग करने वाली इतने

अधिक समुदायों में से भी संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 में केवल कोच-राजबंशी के मामले पर ही क्यों विचार किया जा रहा है। ऑल चुटिया जाति सम्मेलन ने समिति से उसे अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश करने का अनुरोध किया है। ऐसा करने के लिए असम की अनुसूचित जनजाति का कोटा बढ़ाया जा सकता है।

यूनाइटेड शिड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी, अगोती, असम का ज्ञापन

यह ज्ञापन समिति को 17.11.1996 को अगोती में दिया गया था। इसका संबंध असम की अनुसूचित जनजाति सूची में आहोम, चुटिया, मोट्टोक और मौरान जनजातियों को शामिल करने से संबंधित है। यह बताया गया है कि यूनाइटेड शिड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी असम के आहोम, चुटियाओं, मोट्टोक और मोरानों का एक अग्रणीय संगठन है। यह भी बताया गया है कि ये जनजातियां मंगोलियाई मूल की हैं और उनमें काफी सामानतायें हैं। आगे यह बताया गया है कि इनमें से प्रत्येक जाति ने असम की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने का अपना दावा पेश करते हुए अपने अलग-अलग ज्ञापन दिए हैं। इन समुदायों की मांगों को असम सरकार पहले ही उचित ठहरा चुकी है। उन्होंने समिति से उन्हें कोच राजबंशी के साथ अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने के लिए उन पर विचार करने का अनुरोध किया।

29. उपरोक्त को देखते हुए समिति ने यह टिप्पणी की कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य राज्यों में कतिपय ऐसे समुदाय रह रहे हैं जो अनुसूचित जनजाति की सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं लेकिन इन्हीं समुदायों को असम राज्य में ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। समिति सिफारिश करती है कि ऐसे सभी समुदायों जैसे चौरई, सकाचिप, रूपिनी, आईमाल, रंगलौंग (अथवा) हलाम, रंगमनी, फाल्के, डावनिया आदि को असम में भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए।

समिति ने सिफारिश की कि असम के निम्नलिखित समुदायों को भी अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाए:—

1. चुटिया
2. गारो
3. ताई आहोम
4. मटक
5. मोरान
6. हजोंग
7. सिंगपो

30. समिति को चाय बागान और भूतपूर्व चाय बागान कामगारों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संबंध में भी बड़ी संख्या में ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। उनके द्वारा की गई कुछ मांगें इस प्रकार हैं:

असम, चाय और भूतपूर्व चाय बागान जनजाति युवक संगठन

इस संगठन ने कोच राजबंशी समुदाय को असम की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के विचार का विरोध नहीं किया है। परंतु उन्होंने असम की चाय जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का अनुरोध किया है जैसाकि अन्य राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि में किया गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि चाय जनजातियां सभी मायनों में अधिक पिछड़ी हुई हैं और ये गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं तथा इनमें जनजातियों के सभी पांच आदिकालीन लक्षण मौजूद हैं।

उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार असम में चाय जनजाति समुदाय की जनसंख्या छह लाख से अधिक है। ये मूलतः बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि के हैं और भारत की स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजी चाय बागान मालिक चाय बागानों में काम करवाने हेतु इन्हें असम में लाए थे। ये 200 वर्षों से अधिक समय से असम में बसे हुए हैं। उन्होंने अपनी जनजातीय संस्कृति, भाषाओं, परम्पराओं को सुरक्षित रखा। केन्द्र सरकार द्वारा गठित अनेक समितियों तथा आयोगों ने असम का दौरा किया उनकी रहन-सहन की स्थितियों की जांच की तथा केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। परंतु राजनैतिक कारणों

से इन्हें अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह भी बताया गया है कि वे पिछड़े हुए हैं तथा उनमें साक्षरता की प्रशितता लगभग 9% है। मैट्रिकोत्तर तथा स्नातकोत्तर चाय और भूतपूर्व-चाय बागान विद्यार्थियों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। असम में रहने वाली चाय जनजातियों के लिए रोजगार का मुख्य साधन चाय उद्योग है। जनजातियों की बड़ी संख्या चाय बागानों की निकटवर्ती भूमि के कृषि भूखण्ड और असम में अन्यत्र रहती है और इन्हें सामान्यतः भूतपूर्व-चाय बागान जनजातियां कहा जाता है। जो लोग चाय बागानों में रहते हैं उन्हें चाय बागान जनजातियां कहा जाता है। चाय जनजातियों की आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय है और इनमें से लगभग 90% गरीबी की रेखा से नीचे बसर करते हैं।

असम चाय और भूतपूर्व चाय बागान जनजाति युवक संगठन ने समिति से अनुरोध किया है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए सिफारिश की जाए जैसाकि भारत के अन्य सभी राज्यों में किया गया है।

असम आदिवासी परिषद् की ओर से ज्ञापन

असम आदिवासी परिषद के उपाध्यक्ष ने बोंगईगांव में समिति को प्रस्तुत किए गए एक ज्ञापन में बताया है कि असम में रहने वाले लगभग 40 लाख आदिवासी जैसे संथाल, मुंडा, औरन, गौंडा, भील आदि। (सामान्यतः चाय और पूर्व-चाय बागान जनजाति के नाम से जाना जाता है) जो असम में 850 चाय बागानों में कार्य कर रहे हैं और असम की समृद्धि में तथा भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में शान्तिपूर्वक योगदान कर रहे हैं, ने अपने को अनुसूचित जनजाति के रूप में माने जाने के लिए आवश्यक सभी मानदण्ड पूरे किए हैं।

उन्होंने यह भी बताया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 342(ख) के प्रावधान के अनुसार असम सरकार ने अगस्त, 1977 को केन्द्र सरकार को भेजे गए अपने पत्र में 9 जनजातियों यथा गौंडा, मुंडा, ओरन, संथाल, सवार, पान, प्रयास, भील और कोया की सिफारिश की थी। इन 9 जनजातियों के अतिरिक्त असम सरकार ने मई, 1995 में 21 और चाय और भूतपूर्व चाय बागान जनजातियों (आदिवासियों)—असुर, भूमिज, बेदिया, बेगा, बिजिया, बीर, होर, ब्रिजिया, चीरो, धनवर, जोंडा, जोरात, कोरमाली, कोरवा, कोल, खेरिया, खिरवार, लोढा, महाली, माल पहाड़िया, नागसिया, पनिका को भी अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी।

यह भी बताया गया था कि ये आदिवासी सम्पूर्ण असम राज्य में सभी मायनों, शैक्षिक तथा सामाजिक रूप से सबसे कमजोर तथा अत्यधिक पिछड़े हुए हैं और इन्हें अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों से वंचित करना असम में अन्य जातियों अथवा जनजातियों की तरह समाप्ति के कगार की ओर धकेलना होगा।

उन्होंने यह भी बताया है कि कोच राजबंशियों, जो असम में इन आदिवासियों की तुलना में सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से अधिक उन्नत हैं, को सूची में शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। कोच-राजबंशी (क्षत्रिय राजाओं के वंशज) को भारत में कहीं भी अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं मिली है। वे असम में स्वयं को कोच-राजबंशी क्षत्रिय कहलवाना अधिक पसन्द करते हैं।

उन्होंने बताया कि हाल ही में विभिन्न जनजातियों की आशाओं और आकांक्षाओ को पूरा करने के लिए अनेक स्वायत्त परिषद जैसे बोडोलैंड स्वायत्त परिषद, राभा हसोंग, तिवा, लालुंग और करबी आंगलोंग स्वायत्त परिषदों का गठन किया गया है इन परिषदों को अधिक शक्तियां दी गई हैं। अनुसूचित जनजाति के दर्जे के बिना इन स्वायत्त परिषदों में रहने वाले आदिवासी केवल दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए हैं और वहां उनके अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया है।

अतः, असम आदिवासी परिषद के उपाध्यक्ष ने प्रवर समिति से अनुरोध किया है कि वे उपरोक्त 30 जनजातियों (आदिवासियों) को असम की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की सिफारिश की जाए जैसाकि देश के अन्य राज्यों में किया गया है।

असम आदिवासी परिषद

उन्होंने अनुरोध किया है कि भारत के आदिवासियों से सर्वतोमुखी विकास के लिए क्षेत्रगत प्रतिबंध हटाया जाए। यह बताया गया है कि चाय और भूतपूर्व चाय बागान कामगार, असम के उपनिवेशी असम की जनसंख्या का 25% है। ये मूल रूप से बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश आदि के हैं। यह लोग एक शताब्दी पूर्व से असम में बसे हुए हैं। उनमें अभी भी सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से जनजातीय लक्षण मौजूद हैं। इन जनजातियों को वर्ष 1947 से पहले असम में

अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता मिली थी परंतु 1947 के पश्चात् इन जनजातियों को किसी सिद्धांत के आधार पर नहीं अपितु पूर्णतया राजनैतिक आधारों पर अनुसूचित जनजाति की सूची से निकाल दिया गया। उन्होंने अनुरोध किया कि आदिवासी (चाय और भूतपूर्व चाय बागान श्रमिकों) को अनुसूचित जनजाति की राज्य सूची में शामिल किए जाने की सिफारिश की जाए।

31. उपरोक्त से समिति ने देखा है कि इन कामगारों को अंग्रेजी बागान मालिकों द्वारा बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि अन्य राज्यों से बंधक मजदूर के रूप में असम लाया गया था। ये कामगार अपने मूल राज्यों में विभिन्न समुदायों के हैं। इनमें से अधिकांश का ऐसे समूहों से संबंध है जो अपने राज्यों में सामाजिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उनके पूर्वजों का भी उन सामाजिक समूहों से संबंध रहा होगा और उन समूहों को उन राज्यों में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

असम की कुछ चाय बागान जातियों की सूची, जहां उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है, के ब्यौरे सहित असम के अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है, संलग्न है। (परिशिष्ट-दो)

समिति सिफारिश करती है कि चाय बागान कामगारों की उपजातियों सहित उन जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए जिन्हें प्रवास के समय और वर्तमान में भी अपने मूल स्थान पर अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

समिति महसूस करती है कि असम में अभी भी ऐसी अनेक जनजातियां हैं जो सभी दृष्टि से अर्थात् शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर तथा पिछड़ी हुई हैं, अलग-थलग पिछड़े तथा संकोचशील होने के कारण उन्हें अपने अधिकारों की कोई जानकारी नहीं है। वे अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं समिति की राय है कि भारत सरकार को व्यापक सर्वेक्षण करके इन सभी आदिवासी समुदायों का पता लगाने और इन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु समुचित विधान लाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिएं ताकि उन्हें विनाश से बचाया जा सके तथा उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके।

(पांच) राष्ट्रीय स्तर के जनजाति अनुसंधान संस्थान का सर्जन

समिति यह नोट करती है कि यद्यपि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातीय आयोग है, फिर भी जनजातीय समुदाय के मामलों को देखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई जनजाति अनुसंधान संस्थान नहीं है। केन्द्र सरकार पूर्ण रूप से राज्यों की क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों पर निर्भर करती है जिनकी भूमिका किसी राज्य विशेष तक ही सीमित है। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने भी ऐसे राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान संस्थान के सृजन की राय व्यक्त की है। इसलिए समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि जनजातियों का पता लगाने, उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने/निकालने और जनजाति के मामलों को देखने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जनजातीय अनुसंधान संस्थान बनाया जाये। संस्थान को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किया जाए।

नई दिल्ली;
दिनांक: अगस्त, 1997

अमर रायप्रधान,
सभापति,
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश
(संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी प्रवर समिति।

विमत टिप्पण

जिस आधार पर असम के कोच-राजबंशी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश की गई वह अवैज्ञानिक है और इस समुदाय का मेघालय के कोच समुदाय, जो अपने राज्य में अनुसूचित जनजाति है, के साथ तुलना करना अन्यायसंगत है। यह तुलना निंदनीय है क्योंकि नाम पद्धति में कुछ समानता का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि दोनों समुदाय समान हैं। मेघालय की कोच नामक छोटी सी जाति एक अलग जनजाति है जो गारो तथा राभास जनजातियों के समान प्रकृति के हैं और असम के कोच-राजबंशियों का प्रतिरूप नहीं है। मेघालय के कोच जो बोली बोलते हैं वह असम अथवा पश्चिम बंगाल के कोच-राजबंशियों को समझ में नहीं आती है। (कृपया लिंगविस्टिक सर्वे आफ इंडिया, खण्ड-तीन, भाग-एक, पृष्ठ-95 देखें, कृपया ई॰टी॰ डेल्टन, कलकत्ता-1872 की पुस्तक ट्राइबल हिस्ट्री आफ ईस्टर्न ईंडिया, पृष्ठ-89-92 भी देखें) पैरा 20 में की गई यह टिप्पणी की "मेघालय की निचली पहाड़ियों के समीप रहने वाले असम के कोच लोग "झूम खेती" की वर्षों पुरानी पद्धति को अपना रहे हैं" भी सच्चाई को तोड़-मरोड़ कर कही गई बात है। असम-मेघालय के इन कोच जाति के लोगों की संख्या बहुत कम है और ये वास्तव में मेघालय की कोच जनजाति का प्रतिरूप है उनका असम के कोच-राजबंशियों से कोई संबंध नहीं है। उस क्षेत्र का दौरा किए बिना तथा मेघालय के कोचों से बातचीत किए बिना इनके बारे में रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है। मेघालय की निचली पहाड़ियों के समीप रहने वाले असम के कोच जाति के लोगों ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें यह बताया गया है कि वे असम के शेष भागों के कोच-राजबंशियों के समान नहीं हैं। यह आश्चर्य की बात है कि रिपोर्ट में इन कोच लोगों द्वारा दिए गए ज्ञापन पर चर्चा नहीं की गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कोच-राजबंशी एकल समुदाय है। यह सही नहीं है। ये दो समुदाय हैं अर्थात् कोच और राजबंशी। इन्होंने थोड़ी सी प्रगति की और क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ लिया जो उनकी सामाजिक उन्नति का स्पष्ट संकेत है और अतः यह हमारी समझ से परे है कि इस उन्नत समुदाय को कैसे जनजाति समझा जा सकता है।

2. असम सरकार के मैदानी जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का कल्याण संबंधी विभाग के आयुक्त और सचिव, ने इस समिति को बताया है कि पुरातनता, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक पृथकता, अन्य समुदायों से सम्पर्क करने में संकोच तथा समग्र पिछड़ेपन के मानदण्ड के संदर्भ में असम के पर्वतीय जिलों में स्थिति अधिक खराब है तथा राज्य के मैदानी जिलों में स्थिति कुछ ठीक है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए असम राज्य के पर्वतीय जिलों में जो समुदाय आरंभ से अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबंद्ध हैं उन्हें असम के पर्वतीय जिलों में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध समुदाय से अलग सूचीबद्ध किया गया है। पर्वतीय जिलों की अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा तथा उनके हितों के लिए आरक्षण का अलग कोटा तथा छठी अनुसूची का संवैधानिक प्रावधान संविधि में उल्लिखित है। अतः पृथक और विशिष्ट आरक्षण कोटा सहित असम में अनुसूचित जनजातियों की दो श्रेणियों, यथा अनुसूचित जनजाति (पर्वतीय) और अनुसूचित जनजाति (मैदानी), की मौजूदा प्रणाली को जारी रखना अनिवार्य है। अत्यधिक पिछड़ेपन, पर्वतीय जनजातियों की अलग पहचान तथा पर्वतीय क्षेत्रों में संवेदनशील स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र प्रतिबंध हटाने के लिए समिति की सिफारिश बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ऐसी सिफारिश का बहुत गंभीर प्रभाव पड़ेगा जिससे सामाजिक तनाव और राजनैतिक खलबली उत्पन्न होगी।

3. इसके बाद पहचान की समस्या है। कोई भी असम की उच्च जाति का गैर-ब्राह्मण कोच होने का दावा कर सकता है। दावे की जांच करने के लिए कोई भी मार्गनिर्देश निर्धारित करना असंभव है। इस स्थिति से प्रमाणितकर्त्ता अधिकारियों द्वारा सुविधा का दुरूपयोग होगा अथवा इन अधिकारियों की अनभिज्ञता के कारण न्याय की हत्या होगी। दिनांक 5.8.1997 को समिति की बैठक के दौरान तथा पूर्व अवसरों पर भी यह मुद्दा उठाया गया था। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के सचिव ने भी इसी तरह की आशंका व्यक्त की है। प्रारूप प्रतिवेदन में किन्हीं कारणों से इन आशंकाओं का उल्लेख नहीं किया गया। अतः प्रतिवेदन में ये गंभीर अशक्तताएं हैं।

4. समिति ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कोच राजबंशी असम की मूल जनजातियों की तुलना में उन्नत है और यह भी स्वीकार किया कि वर्ष 1996-97 के दौरान मेडीकल कालेजों तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों के दाखिले में कोच-राजबंशी समुदाय के अभ्यर्थियों ने असम में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा की सीटें बड़ी संख्या में हथिया ली हैं। ऐसा, अध्यादेश

जारी होने के पश्चात हुआ है जिसके अंतर्गत कोच-राजबंशियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। कोच-राजबंशियों के उन्नत दर्जे को स्वीकार करने के पश्चात् हमें यह सिफारिश करने में कोई औचित्य नहीं दिखता है कि इस उन्नत समुदाय को हर मायने में पिछड़ी अन्य जनजातियों के साथ अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाए। यह परस्पर विरोधी है।

5. रिपोर्ट कहती है कि सरकार कोच-राजबंशियों के लिए पृथक आरक्षण कोटा बनाने की संभावना का पता लगाए। संविधान में समुदाय अथवा जनजाति-वार आरक्षण के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे आरक्षण के संबंध में संविधान के प्रावधानों के मूल ढांचे पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा इससे भानुमती का पिटारा खुल जाएगा क्योंकि प्रत्येक समुदाय अलग कोटा मांगेगा जिससे आरक्षण के मामले में अव्यवस्था फैल जाएगी। अतः हम महसूस करते हैं कि रिपोर्ट विश्वासनीय नहीं है, इस समय समिति को यह याद दिलाना उचित होगा कि वर्ष 1955 में कालेलकर आयोग, 1965 में लोकुर समिति, 1967 में संसद की संयुक्त समिति तथा 1970 में मंडल आयोग ने कोच-राजबंशियों को अनुसूचित जनजाति समझने के प्रश्न पर विचार किया था। ये सभी समितियां सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में कदापि शामिल नहीं किया जाए। अस्सी के अंत में और 90 के आरंभ में जनगणना महापंजीयक तथा असम जनजातीय अनुसंधान संस्थान ने स्पष्ट रूप से यह बताया कि यह समुदाय अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी जाति अथवा समुदाय को शामिल करने हेतु निर्धारित करने वाले चार अथवा पांच मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं। वर्ष 1994 में असम संस्थान और महापंजीयक ने इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के पक्ष में अपनी राय दी जोकि मामले में उनकी पूर्व राय के एकदम उलटा है जिससे उनकी अनुवर्ती सिफारिशें उपहास बन गई हैं। यह स्पष्ट है कि यह परिवर्तन अध्यादेश द्वारा विधान की प्रक्रिया के माध्यम से वर्ष 1996 में आम चुनाव की पूर्वसंध्या पर राजनैतिक दबाब के कारण हुआ।

6. असम में अनेक समुदाय हैं जिन्होंने अनुसूचित जनजातियों के दर्जे का दावा किया है। ये दावें एक दशक से लंबित हैं। यह पता नहीं है कि इन समुदायों के दावों की अनदेखी किस तरह की गई है और अध्यादेश के माध्यम से केवल कोच-राजबंशियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। यहां तक कि प्रारूप प्रतिवेदन अपूर्ण है क्योंकि कोच-राजबंशियों के साथ जिन कुछ समुदायों को अब अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की सिफारिश की गई है वे समुदाय अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए पांच मानदण्डों के अनुसार नहीं हैं। इसके अलावा यह कैसी बेतुकी बात है कि राजबंशी समुदायों से अधिक प्रगतिशील समुदाय ताई-अहोम को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की सिफारिश की गई है जबकि अधिक पिछड़े समुदायों, जैसे मैदानों के कारबिस, डायमासस तथा पर्वतीय क्षेत्रों के तिवास, जिनका मामला उचित है, जो इस सूची में शामिल नहीं किया गया है।

7. समिति के पास कोच-राजबंशियों की जनसंख्या के विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं। जनगणना के बिना कोई कोटा निर्धारित करना असंभव है। असम के कोच-राजबंशियों ने अपनी जनसंख्या 70 लाख होने का दावा किया और तत्पश्चात् इसे कम करके 40 लाख और बाद में 20 लाख होने का दावा किया। असम सरकार ने इनकी जनसंख्या 15 लाख आंकी है जो किसी आधार के बिना लगाया गया एक अनुमान है। असम में विभिन्न समूहों के साथ चर्चा करने के पश्चात् हमारा मत है कि कोच-राजबंशियों की जनसंख्या 50 लाख है और ये स्वीकार्य रूप से अन्य समुदायों से अधिक प्रगतिशील हैं। इनकी जनसंख्या इतनी अधिक है कि ये उन मूल जनजातियों के आरक्षण को गंभीर रूप से अव्यवस्थित कर देंगे जो अभी भी पिछड़े हुए हैं और राजबंशियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं।

पूर्ववर्ती तथ्यों को देखते हुए हम रिपोर्ट और इसके साथ संलग्न संशोधित विधेयक का विरोध करते हैं और आग्रह करते हैं कि इसे अस्वीकार किया जाए और असम की वास्तविक जनजातियों के व्यापक हित में यथास्थिति बहाल करते हुए अध्यादेश को व्यपगत होने दिया जाए।

हम यह भी ध्यान दिलाना चाहते हैं कि विभिन्न समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने और निकालने के लिए देश के विभिन्न भागों में कई दावे और प्रति-दावे किए गए हैं जिनका विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए और एक व्यापक विधेयक लाया जाए ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची में अंतर्निहित विवादों को समाप्त किया जा सके और विगत में उत्पन्न हुई विसंगतियों को दूर किया जा सके।

नई दिल्ली;
7 अगस्त, 1997

डा॰ जयन्त रोंगपी
पी॰ कोदण्ड रमैय्या

MINUTE OF DISSENT

The foundation on which the recommendation of giving Scheduled Tribes status to Koch-Rajbongshi of Assam is the unscientific and unwarranted comparison of this community with Koches of Meghalaya who are STs in that State. The comparision is odious, because some similarity in nomenclature can't be stretched to mean that the two communities are same or similar. The microscopic tribe named Koches of Meghalaya is a different tribe akin to the Garos and the Rabhas and not the counterparts of Koch-Rajbongshis of Assam. These Koch people of Meghalaya speak a dialect not at all inelligible to the Koch-Rajbongshis of Assam or West Bengal. (Please *see* Linguistic Survey of India, Vol-III, Part-I, Page-95; also *see* Tribal History of eastern India by E.T. Delton, Calcutta-1872, pages 89-92). The observation made in para 20 that 'the Koches of Assam living near the foothills of Meghalaya have been practising the age old method of shifting cultivation' is also a distortion of truth. These Koches of Assam-Meghalaya broder are very small in number and they are actually counterparts of the Koch tribe of Meghalaya. They have nothing to do with the Koch-Rajbongshis of Assam. The report arrived at this conclusion about the Koches of Meghalaya without visiting the area and interacting with the people. The Koches of Assam living near the foothills of Meghalaya have also given a memorandum stating that they are not the same group as the Koch-Rajbongshis of the remaining parts of Assam. It is surprising that the memorandum given by these Koches has not been discussed in the report. It is stated in the Report that Koch-Rajbongshis are a single community. This is not correct. There are two communities *viz.* Koches and Rajbongshis. They have gone a step further and added the suffix of Kshatriya which is a clear indication of their social advancement and it is beyond our understanding therefore as to how this advanced community can ever be treated as a tribe.

2. The Commissioner and Secretary to the Government of Assam, Department of Welfare of Plain Tribes and Backward Classes has informed this Committee that in reference to the criteria of primitiveness, distinctive culture, geographical isolation, shyness regarding contact with other communities at large and overall backwardness, the situation is more acute in the Hill districts of Assam and less so in the plain districts of the State. It is in view of this that since the beginning the communities listed as Scheduled Tribes in the hill districts of the State of Assam have been listed separately from the communities listed as Scheduled Tribes in the plain districts of Assam. It is in the interest of protection of rights and interests of the STs of Hills that a separate quota of reservation and constitutional provision of 6th Schedule are on the Statute. It is therefore essential to continue with the present system of two categories of Scheduled Tribes in Assam, namely Scheduled Tribes (Hills) and Scheduled Tribe (Plains) with separate and exclusive reservation quota. The recommendation of the Committee for removal of area restriction is not at all acceptable considering the extreme backwardness, separate identity of the hills tribal people and sensitive nature of the situation in the hills. Such recommendation will have very serious implications leading to social tension and political turmoil.

3. Then there is the problem of identification. Any non-Bramin upper caste Assamese can claim to be a Koch. It is impossible to lay any guidelines for ascertaining the claim. This position will lead to misuse of the facility by the certifying officials or miscarriage of justice due to the ignorance of these officials. This point was raised during the meeting of the committee on 5.8.1997 and also on earlier occasions. The Secretary, Ministry of Welfare Government of India has expressed similar apprehensions. The draft report for reasons not specified, ignored these apprehensions. The report, therefore, suffers from these serious infirmities.

4. The Committee has, accepted the fact that the Koch-Rajbongshis are advanced as compared to the original tribals of Assam and how also admitted that in the admissions of Medical Colleges and other educational institutions during 1996-97, candidates belonging to Koch-Rajbongshis community have taken away a large number of seats out of the quota reserved for the STs in Assam. This has

2053/LS/F—5-B

happened after the promulgation of the Ordinance giving ST status to the Koch-Rajbongshis. After admitting the advanced status of the Koch-Rajbongshis, we find no justification to recommend inclusion of this advanced group in the ST list along with tribes which are backward in every respect. This is self-contradictory.

5. The Report says 'Government may explore the possibility of creating separate reservation quota for Koch-Rajbongshis. There is no such provision in the constitution for community or tribe-wise reservation. This recommendation cannot be accepted as it affects the basic structure of the provisions of the constitution in respect of reservation. Further, it will open a pandoras box, as individual communities will seek seperate quotas which will lead to uttar chaos in the matter of reservations. We, therefore, feel that the report does not stand the test of credibility. It would be appropriate at this juncture to remind the Committee that the question of treating Koch-Rajbongshis was considered by Kalelkar Commission in 1955, by Lokur Committee in 1965, the Joint Committee of the Parliament in 1967 and by Mandal Commission in the late 70's. All these Committees have come to the unanimous conclusion that this community has no case to be included in the list of STs. Even in late eightees and early ninties the Registrar General of Census and the Assam Institute of Tribal Research categorically stated that this community does not satisfy four of the five criteria determining the inclusion of any caste or community in the list of STs. It is only in 1994 that their strength to be 70 lakhs and thereafter brought it down to 40 lakhs and further to 20 lakhs. The Government of Assam estimated the population at 15 lakhs which is an assumption without any basis. We are of the view after our discussion with the various groups in Assam, that Koch-Rajbongshis constitute 50 lakhs and they are admittedly more advanced than other communities. The number is so big that it would seriously jeoparadise the reservation of the original tribal who continue to be backward and who cannot compete with Rajbongshis.

In view of the forgoing facts we oppose the Report and the amended bill enclosed thereto and urge that they be rejected and the ordinance allowed to lapse thereby restoring *status quo ante* in the larger interests of the real tribes of Assam.

We also wish to point out that there are many claims and counter-claims in different parts of the country for inclusion and exclusion of various communities calling for detailed study and a comprehensive bill to be brought forward so as to set at rest the contradictions inherest in the SC and STs list and to eliminate anomalies that have crept in the past.

NEW DELHI;
7 August, 1997

Dr. JAYANTA RONGPI
P. KODANDA RAMAIAH

1997 का विधेयक संख्यांक--------

[दि कान्स्टीट्यूशन (शेड्यूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (अमेंडमेंट) बिल, 1997 का हिंदी अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1997

(प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट किए गए रूप में)

[अधोरेखांकित या पार्श्व-रेखांकित शब्द समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों को उपदर्शित करते हैं]

असम राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों
की सूची में कतिपय समुदायों को
सम्मिलित करने का उपबंध
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1997 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (क) और खंड (ख) के उपखंड (ii) के उपबंधों से भिन्न अन्य उपबंध 27 जनवरी, 1996 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे, और धारा 2 के खंड (क) और खंड (ख) का उपखंड (ii) उस तारीख को प्रवर्तन में आएंगे जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 2 में,— संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन।

(क) अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—इस भाग के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि, इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, इस भाग में विनिर्दिष्ट जनजाति समुदाय के सदस्य को संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारंभ से ही, यथास्थिति, स्वशासी जिले के लिए या स्वशासी जिले को छोड़कर असम के भाग के लिए इस तथ्य पर विचार किए बिना कि वह असम राज्य के किसी भाग में निवास करता रहा है अथवा नहीं, उस जनजाति समुदाय का सदस्य माना जाएगा।

(ख) "2. स्वशासी जिलों को छोड़कर असम राज्य में" शीर्षक के अधीन:—

(i) मद 9 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"10. कोच-राजबंशी।";

(ii) मद 10 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण, मदें और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण— मद 10 और उससे संबंधित प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, कोच-राजबंशी समुदाय के केवल वे ही सदस्य जो जिला जनजाति समूहों के हैं, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारंभ पर कोच-राजबंशी समुदाय के सदस्य माने जाएंगे।

11. छुटिया।
12. गारो।
13. ताई अहोम।
14. मटाक।
15. मोरन।
16. हजोंग।
17. सिंग्फो।
18. चोरी।
19. सकचेप।
20. पुरिनी।
21. ऐमोल।
22. रंगलोंग (या) हलाम।
23. असुर।
24. भूमजी / भूमिजी।
25. बादिया / बोरी।
26. बेगा।
27. भील / तेलंगा।
28. बिजिया।
29. बिरहार।
30. बिरिजिया।
31. चोरो।
32. धनवार।
33. गंडा।
34. गोरेइत।
35. कोरवाली।
36. कोरवा।
37. कोल।
38. खाड़िया।
39. कोरवाल।
40. कोया।
41. लोढा / लोढी।
42. महाली / माहली।
43. माहली।
44. मल पहाड़िया।
45. पणिका / तारी।
46. नागासिया।
47. गोंड।
48. मोंडास / मुंडा।
49. सेव / सोवर / सूहा।

50. संथाल या सांथल।
51. औरेना / उरांव।
52. भुइयन / घाटोवार।
53. भाट्टा।
54. बेजारा / बंजारा।
55. चिकबारिया / बाराइक।
56. कोवार (केवल कोवार)।
57. कुम्हार (केवल कामर)।
58. काशन / किसान।
59. लहार / लोहार।
60. मदारी।
61. मंकी।
62. मिरधार / मिरधा।
63. नागबंशी।
64. पारजा / प्रोजा।
65. प्रधान / विस्वाल।
66. कर्मकार या कामर।
67. सोहारा / सोरिया / साबर / सहारिया।
68. कोंड / खांड / कोंढपन।
69. पान / पानो।
70. कुर्मी / महतो।

1996 का अध्यादेश सं॰ 30

3.(1) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) के उपखंड (i) द्वारा संशोधित उक्त आदेश के अधीन की गई समझी जाएगी।

परिशिष्ट—एक

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 2)

विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव

"कि असम राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोच-राजबोंग्शी को शामिल करने का उपबंध करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को इस अनुदेश के साथ भेजा जाये कि वह शीतकालीन सत्र, 1996 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :—

1. श्री अमर राय प्रधान
2. श्री द्वारकानाथ दास
3. श्री ललित उरांव
4. श्री फगन सिंह कुलास्ते
5. श्री पवन सिंह घाटोवार
6. श्री पी.आर. दासमुंशी
7. श्री पिनाकी मिश्र
8. श्री उधव बर्मन
9. श्री पी. कोदण्ड रमैय्या
10. श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम
11. डा. जयन्त रंगपी
12. डा. अरूण शर्मा
13. डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा
14. श्री एम. सेल्वारासु
15. श्री एस. के. कारवींधन"

परिशिष्ट—दो

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 5)

इन एसोसिएशनों, संगठनों, व्यक्तियों आदि की सूची जिनसे प्रवर समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए।

1. श्री नरेश्वर मशारी, अध्यक्ष,
   आल असम ट्राइबल संघ, जातिया,
   गुवाहाटी-6

2. डा. डी. चामना, महासचिव,
   आल असम कोच-राजवोंग्शी सम्मिलानी,
   गुवाहाटी, कैम्पः असम भवन,
   सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली - 110001

3. श्री पृथ्वी मजनी, विधायक, पूर्व-संसद सदस्य,
   असम शाखा, इंटक लेजिस्लेटिव फोरम,
   दिसपुर, गुवाहाटी (असम)

4. डा. हरेन्द्रन दत्त एन.आर. दत्ता,
   पूर्व अध्यक्ष, आल असम कोच-राजबोंग्शी,
   सम्मिलानी, असम

5. सहायक महासचिव,
   आल बोडो स्टूडेण्ट्स यूनियन,
   कोकराझार

6. श्री उरखाव ग्वरा ब्रह्मा,
   अध्यक्ष, आल बोडो स्टूडेन्ट्स यूनियन,
   कोकराझार

7. श्री बी. देवरी भराली,
   अध्यक्ष, डिब्रूगढ़, नगर डेपोरी उन्नयन समिति,
   डिब्रूगढ़, (असम)

8. श्री जे.एन. देवरी, उपाध्यक्ष,
   डिब्रूगढ़ नगर देवरी उन्नयन समिति,
   डिब्रूगढ़ (असम)

9. श्री जे.एन. पेगू महासचिव,
   मिसिंग अगम क्यांग, आल असम,
   मिसिंग / मिरी साहित्य सभा

10. श्री रवीन्द्र रंगपी,
    संयोजक, ट्राइबल स्टूडेन्ट्स फेडरेशन,
    ट्राइबल रेस्ट हाउस,
    पलटन बाजार, गुवाहाटी (असम)

11. डा. रनोज पेगू, सचिव,
ट्राइबल पीपुल्स फ्रन्ट, कैपिटल,
ट्रैवल्स के समीप, मणिपुरी बस्ती,
गुवाहाटी, (असम)

12. श्री पी. कोन्दण्डरमैय्या, संसद सदस्य,
संख्या 59, वी.पी. एक्सटेंशन,
चित्रदुर्ग-कर्नाटक

13. डा. पूर्ण नरायण सिन्हा, भूतपूर्व संसद सदस्य,
अध्यक्ष, भारतीय कोच-राजबोंगशी,
महासभा, वार्ड 12, तेजपुर

14. श्री श्रीकान्त हजारिका,
अध्यक्ष, ओ.पी.एफ. फोरम

15. श्री बी. देवरी भराली, अध्यक्ष,
डिब्रूगढ़ नगर देवरी उन्नयन समिति,
डिब्रूगढ़

16. श्री भुवन चन्द्र देवरी भराली,
अध्यक्ष, डिब्रूगढ़ नगर देवरी उन्नयन समिति, पव चौकीडिंघी,
(पी डब्ल्यू डी कालोनी के पीछे)
डाकखाना डिब्रूगढ़, असम

17. श्री रवीन्द्र रंगपी, संयोजक,
ट्राइबल स्टूडेन्ट्स फेडरेशन,
ट्राइबल रेस्ट हाउस, पलटन बाजार,
गुवाहाटी, असम

18. श्री मिलन सोनोवाल, सचिव,
ट्राइबल स्टूडेन्ट्स फेडरेशन,
ट्राइबल रेस्ट हाउस, पलटन बाजार,
गुवाहाटी, असम

19. डा. रनोज पेगू, सचिव,
ट्राइबल पीपुल्स फ्रण्ट,
कैपिटल ट्रेवल्स के समीप, मणिपुरी बस्ती,
गुवाहाटी, असम

20. श्री सुशील कुमार राय, महासचिव,
संयोजन समिति बोरी गारो एण्ड
कोच-राजबोंगशी कम्युनिटीज ऑफ असम

21. लीला बोरो, अध्यक्ष,
सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल संघ, असम

22. श्री लखन बोंगअंग, महासचिव,
असम पैंक्स गरबी अदर लोन, गुवाहाटी असम

23. श्री नगैन कंवर,
कांउसिल आफ गोभा टिवा किंग आफ गोभा किंगडम,
असम

24. श्री तिलेश्वर कोच, कनिष्ठ अध्यापक,
गर्वेन्टमेंट टाउन, सेकेन्डरी स्कूल, खोनसा,
तिरप जिला, अरूणाचल प्रदेश

25. श्री हेम चन्द्र लस्कर, प्रख्याता,
कानपुर विद्यालय,
डाकखाना कानपुर

26. श्री मोटेश्वर फोनंग, अध्यक्ष,
आल असम ट्राइब संग,
बोन्डा ब्रांच, गुवाहटी-26

27. डा० दीन चन्द दास,
रेलवे हायर सेकेन्डरी स्कूल, मालीगांव,
गेट सं०-1, मालीगांव
गुवाहटी-11

28. श्री माधुरी प्रसाद बोरा,
सोनवाल क्चारी जटिया परिषद,
डिब्रूगढ़, जिला डिब्रूगढ़, असम

29. डा० भूपेन्द्र कामन, अध्यक्ष,
मिसिंग पीपुल्स पार्टी,
धेमाजी, असम

30. श्री रीमल अम्सिह, अध्यक्ष,
आल टीवा स्टुडेन्टस यूनियन,
सेन्ट्रल कमेटी, एच०ओ० जागीरोड,
जिला मोरीगांव, असम

31. पूर्णिमा दत्त बरूआ, अध्यक्ष,
आल असम कोच राजबोंग्शी महिला सम्मिलानी,
गुवाहटी-28

32. उपहिंग मसलई, महासचिव,
आटोनामी डिमांड स्ट्रालिंग फोरम,
एच०ओ० जागीरोड, असम

33. श्री करनेश्वर डोले, अध्यक्ष,
मिसिंग आर्ट एण्ड कल्चर सोसाइटी

34. श्री रबिन्द्र रंगपी, समन्वयक
ट्राबल स्टुडेन्टस फेडरेशन,
ट्राबल रेस्ट हाऊस, पलटन बाजार,
गुवाहाटी, असम।

35. डा॰ नोमल पेगु, सेवानिवृत्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
डाकखाना, सी आर भवन,
डिब्रूगढ़, असम।

36. अध्यक्ष, कोच-राजबोंगसी,
कर्मचारी कल्याण संघ,
बोंगईगांव जिला, गुवाहटी।

37. अध्यक्ष, चिलारे तरपन समिति,
धालीगांव (असम)

38. अध्यक्ष, आल असम कोच राजबोंग्सी साम्मिलानी,
जी॰एस॰ रोड, गुवाहाटी।

39. श्री अम्बिका चोरन, चौधरी,
सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य,
डाकखाना तथा जिला बोंगईगांव, असम।

40. महासचिव,
आल असम मटक सांमिलन,
डाकखाना-पानीटोला, जिला डिब्रूगढ़।

41. श्री हेम चन्द बोरो

42. आल असम ट्रिबल कर्मचारी संघ,
जिला-तेजपुर।

43. श्री सुशील कुमार राय,
महा सचिव, समन्वय समिति,
बोरो गोरो एवं कोच, राजबोंगशी
कम्युनिटीज आफ गोलपारा एण्ड साउथ कामरूप जिला

44. श्री लाबा कुमार राय, सचिव
गोपालपाड़ा जिला कोच-राजबोंगशी
सांमिलानी, डाकखाना-डडहोल,
जिला गोपालपाड़ा, असम

45. महासचिव
कोलिघे ट्राइबल स्टुडेन्टस आफ असम,
मोरी गांव।

46. जिला अध्यक्ष, जनता दल,
गोनेशघाट, तेजपुर

47. अध्यक्ष, जागोरोड गांव पंचायत,
मोरीगांव, असम

48. श्री धारसुश कुमार संगमा,
महासचिव,

आल असम गारो स्टुडेन्टस यूनियन,
गोलपारा (असम)

49. श्री खाटूराम राभा,
महासचिव,
आल राभा नेशनल काउंसिल,
जटिया, गुवाहाटी।

50. श्री निरंजन प्रसाद राभा,
अध्यक्ष, ग्रेटर गुवाहाटी आंचलिक,
राभा जातीय परिषद,
आनन्दपुर, गुवाहाटी-6

51. श्री तारनाथ खानीकर, महासचिव,
आल असम मट्टक सानमिलन,
पानीटोला, तिनसुखिया।

52. श्री मिगांग घनश्याम ताये,
अध्यक्ष, नोरोहाट मिसिंग बंगके अगोम
(साहित्य सभा) केबंग, जोरहाट।

53. अध्यक्ष,
ग्राम सुरक्षा और विकास समिति,
हलीमपुर-जमालपुर-मुंगेर।

54. श्री बी०आर० देवरी, पूर्व-मंत्री,
मैदानी जनजातीय और पिछड़ी जाति कल्याण,
असम सरकार।

55. श्रीमती लतिका हजोरी, अध्यक्ष,
आल बोडो महिला कल्याण संघ,
कोकराझार (असम)

56. श्री कुलाधार चुटिया, अध्यक्ष,
आल चुटिया जाति सांमिलन असम,
गुवाहाटी।

57. श्री भास्कर पेगु, चुनाव अधिकारी,
चराईदेव सोनारी, सिबसागर, असम।

58. श्री एस०के० बिस्वनुसथरी, चेयरमेन
बोडो लैण्ड स्टेट मूवमेंट काउंसिल,
कोकराझार (असम)

59. श्री दाधी राम मेधी, अध्यक्ष,
नलबाड़ी जिला जनजाति संघ,
नलबाड़ी।

60. श्री पी०आर० मिलि, क्षेत्रीय सचिव,
अखिल भारत अ०जा०/अ०ज०जा० कर्मचारी

कल्याण संघ, बी-65, ओ एन जी सी,
ई आर बी सी (असम)

61. अध्यक्ष, आल असम जनजाति संघ,
जिला समिति, जोरहाट।

62. श्री उरखाव ग्वारा ब्रहमा, अध्यक्ष
आल बोडो विद्यार्थी संघ,
कोकराझार (असम)

63. श्री पूर्ण सिंह देवरी, अध्यक्ष,
आल असम देवरी विद्यार्थी संघ,
जोरहाट जिला समिति, जोरहाट
देवरा भवन, जे॰बी॰ रोड जोरहाट।

64. श्री मिगंग नलिनीधर बंगम,
अध्यक्ष, जोरहाट मिसिंग रोबंग,
जोरहाट, असम।

65. श्री अजीत दोलसी मिगंग, अध्यक्ष,
मिसिंग निनांग कसंग, जोरहाट जिला
समिति, जोरहाट।

66. श्रीनारन श्याम, अध्यक्ष,
जोरहाट जिला जनजाति समन्वय समिति
जोरहाट।

67. श्री नारेश्वर मचारी, अध्यक्ष,
आल असम ट्राइब्ल संघ, जटिया,
गुवाहाटी-6 (असम)

68. श्री जगत बरूवा, अध्यक्ष,
ताल अही काउंसिल,
असम, गुवाहाटी-3

69. श्री जी॰ दास नरजारी, जोनल अध्यक्ष,
अखिल भारत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
रेलवे कर्मचारी संघ, पूर्वोत्तर रेलवे जोन, 60/बी,
सेन्ट्रल गोटानगर, मालीगांव, गुवाहाटी।

70. श्रीमती मीनाक्षी माजारिका, महासचिव,
असम मैदानी जनजाति कर्मचारी संघ,
गुवाहाटी-5

71. श्री तुलसी मानस राभा, अध्यक्ष
आल राभा विद्यार्थी संघ,
डाकखाना-बेरोमा,
जिला नलबाड़ी, असम।

72. श्री एन॰सी॰ ताया, महासचिव,
असम सचिवालय जनजाति कर्मचारी मंच,
दिसपुर मंच, दिसपुर, गुवाहाटी-6

73. श्री माखन चन्द्र देलोय, महासचिव,
आल असम जनजाति कर्मचारी संघ,
गुवाहाटी-5

74. श्री रविन्द्र रोंगपी, समन्वयक,
जनजाति विद्यार्थी फेडरेशन, असम
जनजाति विश्राम गृह, पल्टन बाजार,
गुवाहाटी-8, असम।

75. श्री फानी माधी, अध्यक्ष,
आल असम कोच राजबोंगशी सांमिलानी
गुवाहाटी।

76. श्रीमती तारा पाठक, अध्यक्ष,
गुवाहाटी महानगर, सिटी महिला सांमिलानी,
गुवाहाटी।

77. श्री थारसु आद्र के॰ संगना,
महासचिव, आल असम गारस विद्यार्थी संघ,
जिला गोलपाड़ा, असम।

78. श्री मनोज पेगु, महासचिव,
ट्राइबल पीपल्स फ्रंट, असम,
कैपिटल ट्रेवल्स के पास, माटीपुरी,
जिला गुवाहाटी (असम)

79. श्री गोपाल प्रसाद, सचिव
आल असम (दुसाध जोटी) पास संघ,
ग्राहम बाजार, जिला-पट्टी,
डिब्रूगढ़ (असम)

80. श्री किरसा कुमार गोगई,
अधिवक्ता अध्यक्ष, फरालोंग,
बुद्ध संस्कृति समाज।

81. श्री श्रीकान्त हजारिका, अध्यक्ष,
आल असम अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि मंच,
गुवाहाटी।

82. श्री निराज चन्द डोका, सचिव,
कोच-राजबोंगसी छात्र चान्था,
जिला-नागांव (असम)

83. श्री अजित कुमार बराह, अध्यक्ष

84. श्री बारीहंग हेनरी, सभापति,
नेशलिस्ट ट्राइबल लिबरेशन टाइगर्स।

85. श्री बी॰ सेपरी भाराली, अध्यक्ष,
डिब्रूगढ़ नगर देपरी उन्नयन समिति,
डिब्रूगढ़।

86. डा॰ जागेश्वर बेराह,
आल असम भगैल रचारी संगठन,
जिला-मार्थ लखीमपुर।

87. श्री फानी मेधी, अध्यक्ष,
आल असम कोच राजबोंग्सी
सामिलानी, गुवाहाटी।

88. श्री द्वारका नाथ दास, संसद सदस्य।

89. श्री अजित कुमार बोराह, प्रेजीडेंट

90. श्री गलोक बोराह, सचिव,
आल असम कोच राजबोंग्शी, युवा छात्र सामिलानी,
तेजपुर, असम

91. श्री हैदर अली अहमद,
गांव-मोवानाड़ी, डाकखाना कलगारहिया,
जिला बारपोटा, असम।

92. श्री कुशराम दास,
सं॰ 2, तीताबार बाबेजला कचारी
गढ़, डाकखाना तीताबार, जोरहाट असम।

93. श्री बुडुराम देवरी,
ट्राइबल्स आफ धेमाजी जिला (असम)

94. श्री भुगेन सोनोवाल, अध्यक्ष
धेमाजी जिला जनजाति संघ,
जनजाति विश्राम गृह धेमाजी,
डाकखाना, धेमाजी, पिन-787057

95. श्री सुबुन्गोहा मुशहरी, अध्यक्ष,
बोडो स्टुडेन्टस लिटरेरी सोसाइटी।

96. श्री के॰ सी॰ पाठक,
मनमाओ, डी आई चांगलंग
अरूणाचल प्रदेश।

97. श्री गोविन्द चन्द मेदेरेक,
वरिष्ठ व्याख्याता, धेमाजी कालेज,
डाकखाना धेमाजी, 787057, असम

98. श्री दिम्बेश्वर बरूआ, अधिवक्ता,
घेमाजी बार एसोसिएशन,
घेमाजी—787057, असम

99. श्री देमबिरम पांगिग,
महासचिव,
सुबसागर जिला, जनजाति बेरोजगार संघ,
असम।

100. श्री एवन रावा,
राज्य मंत्री, असम विधान सभा।

101. श्री हेमचन्द लागाशु,
महासचिव, मिसिंग बी एः एन सी,
कबांग, डाकखाना घेमाजी—7687057,
जिला घेमाजी, असम।

102. श्री केशव चन्द्र सोनोवाल,
अध्यक्ष, सोनोवाल कचारी,
जातीय परिषद,
डिब्रूगढ़-786001

103. श्री एकन रावा,
राज्य मंत्री, असम
असम विधान सभा।

104. श्री शशी मोहन दास, सचिव,
चिलाराई अनुसंधान केन्द्र,
सिलपुखुरी, गुवाहाटी-3 (असम)

105. अध्यक्ष,
आल असम जनजातिय संघ,
मजुली जिला समिति,
मुख्यालय जोटिया, गुवाहाटी (असम)

106. श्री सापाल डोले, अध्यक्ष,
टाकममिसिंग पोटिन कोबंग,
(आल मिसिंग स्टूडेन्टस यूनियन)
मजुली जिला समिति,
डाकखाना गोगामुख (असम)

107. श्री बीनेश्वर ब्रहमा, अध्यक्ष,
बोडो साहित्य सभा,
डाकखाना कोकराझार—783370 (असम)

108. श्री जे॰ एन॰ पेगु, महासचिव,
मिसिंग एणोम कबंग,
(आल असम मिसिंग/मिरि साहित्य सभा)
मुख्यालय तथा डाकखाना,
जिला धामाजी, असम।

109. श्री बी॰ देवरी, अध्यक्ष,

आल असम देवरी, सांमिलन, दिसपुर,
गणेशपुरी, कचारी बस्ती,
गुवाहाटी-6 (असम)

110. श्री खामचिनपाऊ जोऊ, अध्यक्ष,
अखिल भारतीय जनजाति विद्यार्थी संघ,
107, मानसरोवर होस्टल,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

111. श्री फिलोमोन बास्के, अध्यक्ष,
दि आदिवासी काउंसिल आफ असम,
मुख्यालय तथा डाकखाना ऊदलगुडी,
जिला दारंग-784509 (असम)

112. सचिव,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,
(मार्क्सवादी-लेनिनवादी), लिबरेशन,
सागारिका पथ, चिड़ियाघर रोड,
गुवाहाटी-24 (असम)

113. श्री बिश्वरूप सैकिया, अध्यक्ष,
रीजनल इंजीनियरिंग कालेज असम,
जनजाति विद्यार्थी यूनियन, सिलचर (असम)

114. श्री एम०जी० थानेश्वर पेंजिंग,
सहायक महासचिव,
मिसिंग एगम कबांग,
मुख्यालय तथा डाकखाना तथा जिला धेमाजी,
असम।

115. श्री प्रदीप कुमार सैकिया, प्रधानाचार्य,
विकलांग संस्थान, अमर प्रगति सांस्कृतिक
छोटा एण्ड समाज उन्नयन केन्द्र,
पोस्ट बाक्स 190, गुवाहाटी-78101 (असम)

116. श्री अजय बरूआ, अध्यक्ष
आल चुटिया जाति युवा—छात्र सांमिलन,
कमारबन्धा अस्पताल के पास,
गोलाघाट, असम।

117. श्री अजय बरूआ, अध्यक्ष,
आल चुटिया जाति युवा छात्र सांमिलन
कमारबन्धा अस्पताल के पास,
गोलाघाट, असम।

118. श्री सुनाराम कचारी,
पब बंगाल पुखुरी,
ना-अली जोरहाट, डाकखाना जोरहाट—785001
असम।

119. श्री कंचन कुमार सरकार,
संयुक्त सचिव, पश्चिम बंगा चेन,
समाज उन्नयन समिति, 59/ए
बी०टी० रोड, कलकत्ता—700002।

120. श्री देबेश्वर बनई,
गांव बाटाबारी, डाकखाना कपासी पारा,
जिला साउथ गारो हिल्स,
(मेघालय)

121. उप सचिव,
असम सरकार,
मैदानी जनजाति और पिछड़ी जाति कल्याण विभाग,
दिसपुर, गुवाहाटी-6 (असम)

122. श्री नव ज्योति सैकिया, अध्यक्ष,
आल चुटिया जाति युवा-छात्र सांमिलन
असम, घनसिरी जिला समिति,
सारूपेथर-785601

123. श्री पद्मेश्वर देव, अध्यक्ष,
आल असम कोच राजबोंग्शी सांमिलानी,
जी०एस० रोड, गुवाहाटी-5 (असम)

124. श्री नारेश्वर मशरी,
अध्यक्ष, (आई/सी) आल असम,
जनजाति संघ, जोटिया, गुवाहाटी-6
असम।

125. श्री भैरव बोरदोलोई,
अध्यक्ष, जिला—कोच राजबोंग्शी,
सांमिलानी, नागांव (असम)

126. डा० दुरलव चामुआ,
महासचिव,
आल असम कोच राजबोंग्शी
क्षेत्री सांमिलानी डाकघर खानापारा,
पंजाबाड़ी बाजार सुकाफ पथ,
गुवाहाटी-22

127. अध्यक्ष,
नार्थ सलमारा जिला,
कोच राजबोंग्शी सांमिलानी,
अभयपुरी

128. श्री मिलन सोनोवाल,
सचिव, ट्राइबल स्टूडेन्टस फेडरेशन
करबी स्टूडेन्टस होस्टल,
अम्बिकागिरी नगर, गुवाहाटी

129. श्री सुकान्त कोच,
महासचिव, आल असम कोच एसोसिएशन,
जिला धुबरी, आदर्श मंजूरीगांव,
डाकघर—बोरकोना-784105 (असम)

130. डॉ॰ पूर्ण नारायण सिन्हा,
भूतपूर्व संसद सदस्य तथा अध्यक्ष,
कोच राजबोंग्शी इंटरनेशनल,
महाजाति पथ, तेजपुर-784001 (असम)

131. श्री बालेन्द्र नारायण सिन्हा,
अध्यक्ष, आल असम कोच राजबोंग्शी क्षेत्रीय
युवा छात्र साम्मिलानी तथा सुश्री पूर्णिमा दत्त बरूआ,
अधयक्ष, आल असम कोच-राजबोंग्शी
क्षेत्रीय महिला संम्मिलानी

132. डॉ॰ पूर्ण नारायण सिन्हा,
भूतपूर्व संसद सदस्य, अध्यक्ष
कोच राजबोंग्शी इण्टरनेशनल,
महाजाती पथ, तेजपुर-784001 (असम)

133. श्री किरिप चालिहा,
संसद सदस्य, लोक सभा,
185, साउथ एवेन्यू,
नई दिल्ली-110011

134. श्री रोबगंग ब्रहमा, अध्यक्ष,
पीपुल्स डैमोक्रटिक फ्रण्ट, उदलगुडी,
जिला डारंग, बोडोलैण्ड (असम)

135. दि सेम्टीनेल,
गुवाहाटी

136. श्री जी॰ दास नरजारी,
जोनल अध्यक्ष,
आल इण्डिया एससी एण्ड एसटी रेलवे इम्प्लाइज
एसोसिएशन, एनएफ रेलवे जोन,
60/बी, सेन्ट्रल गोटानगर, मालीगांव,
गुवाहाटी-781011 (असम)

137. श्री गणेश कुटुम, अध्यक्ष,
असम विधान सभा, दिसपुर,
गुवाहाटी-781006

138. श्री सतीश मेघी, महासचिव,
गुवाहाटी सिटी डिस्ट्रिक्ट, कोच-राजबोंग्शी
साम्मिलानी, कछार डिस्ट्रिक्ट कमेटी, हरिनगर कछार।

139. महासचिव, आल असम कोच राजबोंग्शी सांमिलानी,
कछार डिस्ट्रिक्ट कमेटी, हरिनगर, कछार।

140. श्री एन॰सी॰ ताया, महासचिव,
असम सेक्रेटेरिएट ट्राइबल इम्प्लाइज फोरम,
दिसपुर, गुवाहाटी-6

141. अध्यक्ष,
कोच राजबोंग्शी साम्मिलानी, डिब्रूगढ़, असम।

142. श्री सुशील कुमार राय,
महासचिव, संयोजन समिति
बोरो गोरो एण्ड कोच-राजबोंग्शी कम्युनिटीज,
आफ गोलपाड़ा एण्ड साउथ कामरूप डिस्ट्रिक्ट
डाकघर दुधन बोई, जिला गोलपाड़ा (असम)

143. अध्यक्ष, बिलासीपाड़ा जिला
कोच-राजबोंग्शी साम्मिलानी, सब-डिवीजन,
बिलासीपाड़ा।

144. श्री भावेन्द्र नाथ डेका, महासचिव
मारीगांव डिस्ट्रिक्ट कोच राजबोंग्शी सांमिलानी,
डाकघर मारीगांव, जिला मारीगांव, असम

145. श्री गिरीश चन्द्र नेओग, अध्यक्ष,
शिवसागर डिस्ट्रिक्ट कोच राजबोंग्शी सांमिलानी

146. असम ट्रिब्यून, गुवाहाटी

147. श्री जी॰एस॰ राय,
कार्यवाहक अध्यक्ष,
आल असम कोच राजबोंग्शी सांमिलानी,
असम भवन, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली-1

148. श्री गणेश कुटुम, अध्यक्ष,
असम विधान सभा, दिसपुर
गुवाहाटी-781006

149. श्री लखी कान्त सैकिया,
ग्राम हरिगांव, कालियाबार,
जिला न्यूगांव (असम)

150. श्री एस॰के॰ विश्वमुथियारी
चेयरमैन, बोडोलैण्ड स्टेट मूवमेन्ट काउन्सिल
मुख्यालय एवं डाकघर जिला कोकराझार
पिन-783370, बोडोलैण्ड (असम)

151. सुश्री राजलक्ष्मी सैकिया,
एवरेस्ट अकादमी, बेलटोला,
गुवाहाटी-28

152. श्री माल चन्द्र पेगू, भूतपूर्व विधायक,
असम

153. अध्यक्ष, आर सी जनता दल,
सोनितोर जिला,
गणेशघाट, तेजपुर-784001

154. श्री किरण कुमार गोगोई, अध्यक्ष,
असम फ्रालंग बुद्धिस्ट काउन्सिल,
प्रथम बाई लेन, अजन्ता पथ,
बेलटोला, गुवाहाटी-781028

155. श्री सोना राम मजूमदार,
लेक्चरर, कानपुर कालेज,
कानपुर-782426
जिला नागांव (असम)

156. श्री सागर चन्द्र डालू,
ग्राम हवाखाना, मण्डल टिल्ला,
डाकघर टुरा, जिला वेस्ट हेरो हिल्स,
(मेघालय)

157. डा॰ बिलास पेगू, अध्यक्ष,
डीओएनवाईआईपीओ : एलओडीओ : एलयूएनजीकेए
एसवीएनजी, केसीबी, एएनजी, बिशनपुर
डाकघर चिन्नामारा-8, जोरहाट (असम)

158. श्री विमल आमसिव सचिवालय सदस्य,
ट्राइबल स्टूडेंटस फेडरेशन तथा
डॉ॰ जयन्त रंगपी, संसद सदस्य,
ट्राइबल पीपुल्स फ्रंट, असम

159. श्री एस॰ खोरेन, महासचिव,
आदिवासी काउन्सिल आफ असम (सेन्ट्रल कमेटी)
डाकघर तथा मुख्यालय उड़ावगुड़ी
जिला डारंग-784509 (असम)

160. सचिव,
ट्राइबल रिसर्च सेन्टर, गोल्चा मार्ग,
पोस्ट सदर बाजार, सदर नागपुर-440 001

161. श्री श्रीकांत कुमार जेना,
संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली-110001

162. सचिव,
"नीपको" ट्राइबल इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन,
कठालगुड़ी यूनिट।

163. श्री कंचन कुमार सरकार,
संयुक्त सचिव, पश्चिम बंगा,
चैन समाज उन्नायन समिति,
59/ए, बी॰टी॰ रोड, कलकत्ता-700002

164. श्री किरन कुमार गोगोई, अधिवक्ता,
प्रेजीडेंट, सोसाइटी आफ फ्रालंग बुद्धिस्ट कल्चर,
फस्ट-बाई लेन, अजंता पोथ, बेल्टोला,
गुवाहाटी-781028

165. श्री उपेन्द्र हारि कोच, प्रेजीडेंट,
आल असम कोच एसोसिएशन, पे॰आ॰ बोरकोना,
जिला दुबरी-794105 (असम)

166. श्रीमती जैरी पाठक, प्रेजीडेंट,
गुवाहाटी महानगर जिला कोच-
राजबोंग्शी महिला सनमिलानी

167. श्री पी॰ बरेह, महासचिव,
जेरहाट जिला कोच राजबोंग्शी

168. श्री सशी मोहन दास, सचिव,
चिलाराई अनुसंधान केन्द्र,
सिलपुखरूई, गुवाहाटी-3

169. श्री बीरन राजबोंग्शी, महासचिव,
नेलबाड़ी जिला कोच-राजबोंग्शी सनमिलानी
नालबाड़ी

170. डा॰ हरेन्द्र मारायर दत्ता, एम॰एस॰सी, पी॰एच॰डी॰
सांख्यिकी विभाग में रीडर,
डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय

171. श्री प्रफुल्ला बोरटेमूटी, महासचिव,
कोच राजबोंग्शी क्षेत्रीय सनमिलानी, गोलाघाट जिला समिति

172. प्रेजीडेंट, उदलगुड़ी जिला,
कोच राजबोंग्शी, सनमिलानी

173. श्री चन्दीचरण चालिहा, प्रेजीडेंट,
आल दारंग जिला कोच-राजबोंग्शी
सनमिलानी मंगलदोई

174. आल असम कोच-राजबोंग्शी
सनमिलानी

175. डा॰ द्विजेन्द्र नाथ भक्त, व्याख्याता,
चिलाराई कालेज गोलगंज, असम

176. श्री उपेन्द्र हरि कोच, प्रेजीडेंट,
आल असम कोच एसोसिएशन,
आदर्श मंजूरी गांव, डाकखाना बोरकाना—7694105
जिला दुबरी, असम

177. श्री पदमाकान्ता डेका, प्रेजीडेंट,
जिला कोच राजवोंगशी सनमिलानी
डाकखाना मोरीगांव, जिला मोरीगांव,
असम

178. श्री जी०एस० राय प्रेजीडेंट
आल असम कोच राजबोंगशी सनमिलानी,
जैपोमिगोग
गुवाहाटी—5

179. श्री एस०आर० डेमारि प्रेजीडेंट,
समन्वय समिति, बोरा, गारो और
कोच-राजबोंगशी कम्युनिटी आफ गोलपाड़ा
एंड साउथ कामरूप, जिला, डाकखाना
दूधनई, जिला गोलपाडा, असम

180. श्री सतीश मेधी, महासचिव,
गुवाहाटी सिटी जिला, कोच राजबोंगशी
सनमिलानी, चुइसटियन बस्ती,
गुवाहाटी—781005

181. श्री रिमोल अमसिंह, प्रेजीडेंट,
ट्राईबल स्टूडेंटः फेडरेशन ट्राइबल,
रेस्ट हाउस, पल्टनबाजार, गुवाहाटी—781008
असम

182. श्री कमला कान्त सैकिया,
महासचिव, आल कोनोवाल
कचहरी जटिया परिषद
डिब्रूगढ़—786003

183. श्री एम० बोरडोला, अध्यक्ष
असम सचिवालय जनजातीय कर्मचारी
फोरम, दिसपुर, गुवाहाटी—6

184. श्री एम० जी० थानेश्वर पेनगइंग,
सहायक महासचिव,
मिसिंग एगोम कोबनग, एच० ओ० और पो० आ० और जिला धीमाजी

185. बिनय कुनगुर बासुमतारी, प्रेजीडेंट,
यूनाइटिड ट्राइबल नेशनलइस्टस,
लिबरेशन फ्रंट, एच०ओ० हरसिंघा
दारंग, असम—784510

186. श्री जी॰ दास नरजारी, प्रेजीडेंट
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति और
अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारी
एसोसिएशन, उत्तरी-पूर्वी रेलवे जोन
60/बी॰ सेन्ट्रल गोतानगर मालीगांव
गुवाहाटी-781011

187. महासचिव, आल असम अन्य पिछड़ी जातियां
एसोसिएशन, कमला बरूआ, एस॰आई॰ बरूआ पथ
गुवाहाटी-6

188. श्री एस॰ के॰ कान्निकर, सलाहकार
आल छुटियाजाति सनमिलानी, असम

189. श्री मानेश्वर काथर, प्रेजीडेंट
काम्बी विद्यार्थी, यूनियन, एच॰ओ॰
कारबी विद्यार्थी हास्टल, बोगकिमी
गुवाहाटी-24

190. श्री मुकुल सिंह छुटिया, महासचिव, यूआरएमसी॰ए॰

191. श्री जितन सैकिया, सलाहकार
आल छुटिया जाति युवा-छात्र सनमिलानी
ए॰एस॰टी॰सी॰ का ब्लोक रूम—ii
पल्टन बाजार, गुवाहाटी-781008

192. श्री कुलाधर छुटिया, प्रेजीडेंट
आल छुटिया जाति सनमिलानी, आसाम
एम॰आई॰जी॰चार, हाउसिंग बोर्ड काम्पलेक्स,
हैंगरबारी, गुवाहाटी—781006

193. श्री प्रभात दास, प्रेजीडेंट
सादों आसोम अनुसषिता जाति, युवा छात्र
परिषद, मुख्यालय दिसपुर गुवाहाटी-5

194. श्री बिपिन चन्द्र महतो, प्रेजीडेंट
असम चाय और पूर्व चाय बागान,
जनजाति युवा एसोसिएशन, केन्द्रीय समिति

195. श्री करूणा कान्त बरूआ, प्रेजीडेंट
यूनाइटेड एस टी मांग समिति,
कमला कान्त बरूआ भवन,
ओ॰बी॰सी॰ काम्पलेक्स, गुवाहाटी-781022

196. प्रेजीडेंट ताई-ए॰एच॰ओ॰ काउन्सिल असम

197. श्री बिजोय कुमार अधिकारी, प्रेजीडेंट,
गोसाई गांव जिला, कोच राजबोंग्शी
क्षेत्रीय सम्मेलन

198. श्री प्रभात बेशाण्व, प्रेजीडेंट
असोम गाना परिषद
बोगाईगांव—783380

199. प्रेजीडेन्ट, असोम गाना परिषद
बिजनी जिला समिति, बिजनी
जिला बोगाई गांव (असम)

200. श्री रबिन्द्र नाथ दास
प्रेजीडेंट, आल बोगइगांव जिला
विद्यार्थी यूनियन मुख्यालय स्वाहीद भवन
बोगइ गांव

201. श्री धम्रवाजिपति दास
प्रेजीडेंट, आल असम कोच राजबोंगशी
युवा छात्र सनमिलानी, बारपेटा
जिला समिति पो॰ओ॰ सिमला गुड़ी
जिला बारपेटा—781 315 (असम)

202. श्री घनीराम दास, सचिव
सोरभोग नगर कोच राजबोंगशी
सनमिलानी, सोरभंग

203. प्रेजीडेन्ट, बारपेटा, जिला
कोच राजबोंगशी सनमिलोनी

204. श्री उद्धब चन्दर दास, प्रेजीडेंट
बडनगर आंचलिक कोच—राजबोंगशी
सनमिलानी, सोनभोग

205. श्री यामिसियन रे, प्रेजीडेन्ट
बादल एंड कोच—राजबोंगशी, सनमिलोनी असम

206. श्री कैशव चौधरी, राय, प्रेजीडेंट
गोलपाडा, जिला कोच राजबोंगशी
क्षेत्रीय सनमिलानी, मुख्यालय
फेफोई, पो॰ आ॰ दुधरोई, असम

207. श्री हरेन्द्र चन्द्र दास, प्रेजीडेंट
चिलारे तरपन, समिति
पो॰आ॰ धालीगांव, जिला बोगई गांव—783385

208. श्री अंबिका चरण चौधरी, प्रेजीडेंट
चिलाराई स्मृति संरक्षण समिति
बोगई गांव

209. श्री उत्तम राय, प्रेजीडेंट
आल कोकराझार जिला कोच-राजबोंगशी
विद्यार्थी यूनियन

210. श्री गिरिन सिंघा, प्रेजीडेंट
आल बोंगाईगांव, जिला कोच-राजबोंगशी
विद्यार्थी यूनियन

211. श्री अक्षय कुमार चौधरी, प्रेजीडेंट,
बरपाड़ा, नवज्योति क्लब, बोंगाईगांव

212. श्री तपन कुमार राय, प्रेजीडेंट,
आल असम कोच-राजबोंगशी युवा-छात्र
सनमिलानी, मुख्यालय गुवाहाटी, असम

213. आल ढुबरी जिला कोच-राजबोंगशी
विद्यार्थी यूनियन

214. श्री हिमांगशी रे, प्रेजीडेंट,
बोंगाईगांव, जिला कोच-राजबोंगशी
सनमिलानी, बोंगाईगांव

215. श्री अश्विनी कुमार अधिकारी,
महासचिव, बोंगाईगांव,
जिला कोच-राजबोंगशी कर्मचारी
कल्याण एसोसिएशन

216. श्री कनक चन्द्र डेका, प्रेजीडेंट,
नगांव जिला कोच-राजबोंगशी
क्षेत्रीय सनमिलानी

217. श्री निरिपेन चौधरी, प्रेजीडेंट,
बोंगाईगांव टेप बिमयुत केन्द्र,
कोच-राजबोंगशी श्रमिक कर्मचारी मंच
बी० टी० पी० एस०, ए० एस० ई० बी० सालाकाटी-7832369

218. श्री रमेश चन्द्र राय, प्रेजीडेंट,
दुबरी, जिला कोच-राजबोंगशी
सनमिलानी कार्यालय-गोलकगंज,
जिला दुबरी (असम)

219. डा० रमेन्द्र नाथ अधिकारी, प्राचार्य,
प्रोगाति कालेज, अगोमोनी, जिला दुबरी (असम)

220. श्री उपेन्द्र नाथ सरकार, व्याख्याता,
असमी विभाग, पी० बी० कालेज,
गोरीपुर (असम)

221. श्री मंगलेश्वर चौधरी, प्रेजीडेंट,
कोकराझार, जिला समिति,
कोच-राजबोंगशी युवा छात्र,
सनमिलानी, कोकराझार

222. श्री निर्मल कुमार राय, प्रेजीडेंट,
आल-कोच-राजबोंगशी विद्यार्थी यूनियन
बोंगाईगांव

223. श्री उपेन्द्र नारायन राय, प्रेजीडेंट,
उत्तरी सलमारा, जिला कोच राजबोंगशी
सनमिलानी, अभयापुरी

224. श्री रोमेश चन्द्र राय, प्रेजीडेंट,
दुबरी, जिला कोच-राजबोंगशी सनमिलानी,
जिला दबरी (असम)

225. सचिव, उत्तरी सलमेरा, जिला महिला
कोच-राजबोंगशी सनमिलानी,
अभयापुरी

226. श्री सुधीर चन्द्र राय, प्रेजीडेंट,
बिलासीपाड़ा जिला कोच-राजबोंगशी
सनमिलानी, डाकखाना, छापर, जिला
दुबरी, असम—783371

227. श्री फ्नी मेधी, प्रेजीडेंट,
आल असम कोच-राजबोंगशी सनमिलानी,
केन्द्रीय स्वागत समिति
बोंगाईगांव—783380

228. कुमारी स्वप्ना दास, प्रेजीडेंट,
आल असम कोच-राजबोंगशी महिला
सनमिलानी, बारपेटा, जिला

229. प्रेजीडेंट, बोड़ो बाजार कोच-राजबोंगशी सनमिलानी

230. श्री फनी माधी, प्रेजीडेंट,
केन्द्रीय स्वागत समिति,
प्रवर समिति फार शेडयूलिंग कोच-राजबोंगशी,
पो॰आर॰/जिला बोंगाई गांव—783380 (असम)

231. श्री सतीश चन्द्र बासुमतेरी, प्रेजीडेंट,
बिजनी जिला जनजाति संघ

232. प्रेजीडेंट, अखिल असम जनजाति संघ
बोंगाई गांव जिला, मुख्यालय एव डाकखाना
उत्तरी काजलगांव

233. श्री सुकुमार बरूआ, सचिव,
अखिल भारतीय बुद्धिष्ट मिशन, अम्बेडकर हाल,
नतुनपाण्डा, बोंगई गांव—783380

234. श्री धारसुश के॰ संगमा, महासचिव,
आल असम गारो विद्यार्थी
यूनियन, मुख्यालय निवानकाम

235. श्री साइमन सोरेन, महासचिव,
टी आदिवासी काउन्सिल आफ असम
मुख्यालय और डाकखाना ऊदल पुरी,
जिला दारंग—784509 (असम)

236. श्री प्रदीप हजारिका, महासचिव,
असम गण परिषद, मुख्यालयःजी॰ एन॰
बरदोलोल रोड़, अम्बारी,
गुवाहाटी — 781001

237. श्री दिगेन चन्द्र बोरा,
खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री,
असम सरकार, गुवाहाटी

238. निदेशक, अनुसूचित जाति और जनजाति
असम अनुसंधान संस्थान

239. श्री आलोक पेरटी, सचिव,
डब्ल्यू॰ पी॰ टी॰ एंड बी॰ सी॰ विभाग,
दिसपुर

240. श्री पी॰ पी॰ वर्मा,
कामरेड और सचिव, असम सरकार
डब्ल्यू॰ पी॰ टी॰ और बी॰ सी॰ विभाग,
दिसपुर

241. श्री छत्तीस चन्द्र घाल, पूर्व विधायक,
बारीपाड़ा और प्रेजीडेंट मयूर भंज
जिला कृषक जनता

242. श्री गोलप बारबोरा, पूर्व मुख्यमंत्री,
असम और प्रेजीडेंट समाजवादी पार्टी, असम

243. श्री आंतकिन के संगमा,
असम में गारों की अखिल दल
संगठनों के प्रतिनिधियों की ओर से

244. श्री भुबन चन्द्र देओरि, भराति
प्रेजीडेंट डिबरूगढ़ नगर देओरि
उन्नयन समिति पूर्वी ब्रोकिडिगही,
लोक निर्माण विभाग कालोनी के पीछे, डिबरूगढ़

245. श्रीमती माधुरी प्रसाद बोरा, प्रेजीडेंट,
सोनोवाल कचारी जात्या परिषद,
डिबरूगढ़, जिला डिबरूगढ़

246. डा॰ नरेन्द्र नारायण दत्त, पूर्व प्रेजीडेंट
आल असम कोच राजबोंगशीज
सनमिलानी, असम

247. श्री भुबन बोरा, महासचिव
आल असम कोच राजबोंगशी सनमिलानी
डिबरूगढ़

248. श्री आर॰ डी॰ प्रसाद, आल असम
(दुसाध जाति) पासवान संघ
डिबरूगढ़, असम

249. श्री तारानाथ खनिकर
महासचिव, आल असम मटक, सनमिलानी
बरूआहाला, तिनसुकिया

250. श्री तोरासन पेगु
आल असम ट्राइबल संघ, मुख्यालय
जोतिया, गुवाहाटी, मजूली जिला समिति

251. डा॰ बी॰ एन॰ बोरदोलोई, निदेशक
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए
असम की अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी

252. डा॰ जे॰ बोरा, प्रेजीडेंट
डिबरूगढ़ जिला जनजाति संघ
मिलन नगर, डिबरूगढ़

253. श्री हेरम्बा सोनोवाल, प्रेजीडेंट
तिनसुकिया जिला जनजाति संघ
रूपल सिंदिंग

254. श्री पदमेश्वर दास, प्रेजीडेंट
आल असम कोच राजबोंगशी, सनमिलानी

255. श्रीमती मुलया राबोंगशी, प्रेजीडेंट
विल्टन बारदोलोनी महिला समाज
तेगाखत मोरा, डिबरूगढ़

256. श्री हेमोराम बोरा, प्रेजीडेंट
धेमाजी जिला, कोच राजबोंगशी
सनमिलानी

257. श्री टी॰ एन॰ सैकिया, प्रेजीडेंट
जोरहाट जिला, कोच राजबोंगशी
सनमिलानी, जोरहाट

258. श्री चाऊ प्रसन्ना तुरूंग, प्रेजीडेंट
आल असम मैन (ताईटुसपीकिंग स्टेट्स)
यूनियन, बुद्धिस्ट टैम्पल, मुख्यालय जोरहाट

259. श्री चाओं गिरिन बरूआ, प्रेजीडेंट
आल असम मोहन, देवधारी, बेलंग
1(सनमिलानी

260. श्री निरोन गोगोई, प्रेजीडेंट
आल असम अहोम सभा, लचित नगर शिशु कल्याण समिति
डिबरूगढ़

1
261. श्री डी॰ बोरी, प्रेजीडेंट
डिबरूगढ़ टाउन मिसिंग केबंग

262. श्री एम॰ एस॰ खानदेत, महासचिव
1 असम चाह मजदूर संघ

263. श्री बी॰ के॰ हजारिका, निदेशक
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए असम अनुसंधान संस्थान, असम

1 264. श्री दीपक सैकिया, प्रेजीडेंट
आल असम सोनोवाल कचारी स्टूडेंट्स
यूनियन, डिबरूगढ़

1 265. श्री विपिन हजारिका, प्रेजीडेंट
कोच राजबोंगशी क्षेत्रीय सनमिलानी गोलाघाट जिला समिति

1 266. श्री संजीव देओरि, प्रेजीडेंट
आल असम देओरि स्टूडेंट्स यूनियन
जिला डिबरूगढ़

1 267. श्री मणिक चन्द्र नियोग, प्रेजीडेंट
आल असम कोच राजबोंगशी सनमिलानी

268. श्री ललित दत्ता, प्रेजीडेंट
1 नजीरा जिला, कोच राजबोंगशी,
सनमिलानी

269. श्री एस॰ आई॰ एका, प्रेजीडेंट
1 आदिवासी काउन्सिल आफ असम
डिबरूगढ़

1 270. श्री कुलाधर चुटिया, प्रेजीडेंट
यूनाइटिड मुत्तक, मोरन, चुटिया,
1 अहोम, एसोसिएशन

271. श्री गिरीश के॰ नियोग, प्रेजीडेंट
सिवसागर जिला, कोच राजबोंगशी
सनमिलानी

272. श्री रोहस्वर बोरवान
आल चुटिया जाति सनमिलानी, जिला डिबरूगढ़

273. श्री जस्टिना लाकरा, प्रेजीडेंट
आल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन आफ असम
(ए॰ ए॰ एस॰ ए॰) मिस्सा, नागांव

274. श्री सर्वाश्री गोहेन
नामफाके सामाजिक कल्याण केन्द्र, नहारकटिया

275. आबजर्वेशन आफ कल्चरल रिसर्च
इंस्टीट्यूट

276. पश्चिम बंगाल के कल्याण विभाग द्वारा समिति को

277. कुकी राष्ट्रीय विधान सभा,
कार्बी एंगलोंग, असम

278. श्री मालजन एम॰ संगमा
महासचिव,
आल इंडिया गारो यूनियन,
मुख्यालय शिलांग
अमजद अली रोड़
लबान शिलांग-4

279. श्री अकोन राबा
राज्य मंत्री, असम

280. प्रेजीडेंट, ताई-ए एच ओ कांउसिल
असम

281. श्री बिनाई खुगुंर बासुमतारी
प्रेजीडेंट, युनाइटेड ट्राइब्ल
नेशनलिष्टस लिबरेशन फ्रन्ट
मुख्यालय हरिसिंगा
असम-784510

परिशिष्ट—तीन

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा-7)

प्रवर समिति के सम्मुख मौखिक साक्ष्य देने वाले साक्षियों की सूची

1. श्री के० के० बख्शी,
   सचिव, कल्याण मंत्रालय,
   भारत सरकार।

2. श्री के० बी० सक्सैना,
   पूर्व सचिव, कल्याण मंत्रालय,
   भारत सरकार।

3. श्रीमती आशा दास,
   सचिव,
   राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग।

4. डा० एम० विजय अन्नुमी,
   भारत के महापंजीकार और जनगणना आयुक्त।

अनुबन्ध-क
तत्काल

असम सरकार

मैदानी जनजातियां और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

दिसपुरः गुवाहाटी-781006

सं॰टी ए डी/एस टी/59/97/5 दिनांक 17 मार्च, 1997

प्रेषक

श्री पी॰ पी॰ वर्मा, आई॰ ए॰ एस

असम सरकार के आयुक्त और सचिव

सेवा में,

श्री ए॰ के॰ चौधरी,

भारत सरकार के संयुक्त सचिव

कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110001

विषय: संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी प्रवर समिति।

संदर्भ: 5 मार्च, 1997 का आपका अर्धशासकीय पत्र

महोदय,

उपर्युक्त के संदर्भ में, मुझे आपके उपर्युक्त उद्धृत पत्र में उल्लिखित प्रश्नों के संबंध में राज्य सरकार की टिप्पणियां प्रस्तुत करने का निदेश हुआ है:

1. वर्ष 1996-97 के एम॰बी॰बी॰एस॰ में राज्य के मैदानी जिलों के अनुसूचित जनजातियों, जिसे आमतौर पर अनुसूचित जनजाति (मैदानी) के रूप में जाना जाता है, के विद्यार्थियों के लिए राज्य में राज्य सरकार के अंतर्गत 3 मेडिकल कालेजों में 32 सीटें आरक्षित की गई थीं। इनमें से 25 सीटों पर कोच राजबंशी समुदाय (जिसे अब असम राज्य में अनुसूचित जनजाति (मैदानी) में सूचीबद्ध किया गया है) के 25 विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है। इस स्थिति का कारण राज्य के अन्य अनुसूचित जनजाति (मैदानी) की तुलना में कोच राजबंशी की अग्रवर्ती स्थिति है और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है तथा अनुसूचित जनजाति (मैदानी) के अधिकांश लाभों का प्रयोग कोच राजबंशी समुदाय के लोगों द्वारा किया जाएगा।

2. असम में कोच राजबंशी समुदाय को हाल ही में अनुसूचित जनजाति (मैदानी) की सूची में शामिल किये जाने तक इसे अन्य पिछड़ा वर्ग माना गया था। उन्हें पिछले 50 वर्षों के दौरान विकास प्रक्रिया द्वारा समाज के अन्य वर्गों की तरह लाभ दिया गया है और यह कहना उचित नहीं होगा कि वे अनुसूचित जनजाति के दर्जे का दावा करने के लिए इस अवधि के दौरान पिछड़े बन गये हैं।

3. पुरातनता, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक पृथक्करण, अन्य समुदायों के साथ संबंध बनाने में सकुचाहट और समग्र पिछड़ेपन के मानदण्ड के संदर्भ में असम के पहाड़ी जिलों में स्थिति अधिक और राज्य के मैदानी जिलों में कम

गंभीर है। यह इस परिप्रेक्ष्य में है कि आरम्भ से ही असम राज्य के पहाड़ी जिलों में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध समुदायों को असम के मैदानी जिलों में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीवद्ध समुदायों से अलग सूचीवद्ध किया गया है।

भवदीय,

ह०/-
(पी० पी० वर्मा)
आयुक्त तथा सचिव
असम सरकार

अनुबंध-ख

असम की कुछ उन चाय बागान जनजातियों की सूची, जिन्हें असम के और अधिक पिछड़े वर्ग अधिसूचित किया गया है:—

1. असुर
2. भूमजी / भूमिज
3. बाडिया / वाउरी
4. बैगा
5. भील / तेलंगा
6. विंजिया
7. बिरहर
8. विरिज़िया
9. चोरो
10. धनवर
11. गांडा.
12. गोरिट
13. कोरवाली
14. कोरवां / कोरुआ
15. कोल
16. खरिया
17. खोरवार
18. कोया
19. लोदा / लोदी
20. महाली / माहली
21. माहली
22. मल पहाडिया
23. पनिका / तुरी
24. नागासिया
25. गोंडस
26. मोंडास / मुंडा
27. सेवर / सोवार / सूरा

28. संथाल्स अथवा संथाल

210. 29. उरना/उरांव

30. भूयान/घाटोवार

211 31. भट्टा

32. बैजारा/बंजारा

21: 33. चिकबारिक/बारिक

34. कोवर

21 35. कुम्हार

36. काशन/किसान

2' 37. लाहर/लोहार

38. मदारी

2 39. मानकी

40. मिर्धार/मिर्धा

41. नागबंसी

: 42. परजा/प्रोजा

43. प्रधान/बिस्वाल

44. कर्मकार या कामार

45. सहोरा/सोरिया/सबर/सहारिया

46. कोंध/खंध/कोंधपान

47. पान/पानो

48. कुर्मी/महतो

परिशिष्ट—चार

प्रवर समिति की बैठकों का सारांश

एक

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी प्रवर समिति की पहली बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 26 अगस्त, 1996 को 0930 बजे से 1045 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री पी॰आर॰ दास मुंशी—सभापति

सदस्य

2. डा॰ अरुण शर्मा
3. श्री द्वारकानाथ दास
4. डा॰ जयन्त रंगपी
5. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते
6. श्री पवन सिंह घाटोवार
7. डा॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा
8. श्री पिनाकी मिश्र
9. श्री एस॰ के कारवेंधन
10. श्री उद्धव बर्मन

सचिवालय

1. श्री जे॰पी॰ रत्नेश — संयुक्त सचिव
2. श्री राम अवतार राम — उप सचिव

कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री के॰बी॰ सक्सेना — सचिव
2. श्री ए॰के॰चौधरी — संयुक्त सचिव
3. श्री ए॰एम॰ खान — निदेशक
4. श्री पी॰एल॰ यादव — अनुसंधान अधिकारी

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री जेड॰एस॰ नेगी — संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
2. डा॰ एस॰डी॰ सिंह — सहायक विधायी परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम सभापति ने प्रवर समिति के सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् उन्होंने विधेयकों के प्रावधानों की ओर उनका ध्यान दिलाया और समिति के समक्ष कार्य के महत्व और तत्कालिकता का उल्लेख किया। (परिशिष्ट)

3. समिति ने अपने भावी कार्यक्रम पर विचार किया और यह निर्णय किया कि इस विधेयक की विषयवस्तु में रुचि रखने वाले विभिन्न संगठनों, बार काउंसिलों, व्यक्तियों आदि के ज्ञापन आमंत्रित करने के लिए एक प्रेस प्रकाशनी जारी की जाए। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि प्रेस प्रकाशनी के तथ्यों का आकाशवाणी और दूरदर्शन आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए। समिति ने विधेयक के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करने के लिए तीन सप्ताह का समय निर्धारित किया गया। सभापति को, यदि वह आवश्यक समझें तो यह समय बढ़ाने हेतु प्राधिकृत किया।

4. सभापति ने उन संगठनों, व्यक्तियों आदि, जिनसे ज्ञापन आमंत्रित किए जा सकते हैं, के नामों का सुझाव देने हेतु सदस्यों से अनुरोध किया।

5. समिति ने यह भी निर्णय किया कि उन संगठनों, यक्तियों के नामों पर जिन्हें समिति के समक्ष साक्ष्य देने हेतु बुलाया जा सकता है, केवल ज्ञापन प्राप्त करने के बाद ही विचार किया जाए। समिति उस समय यह भी निर्णय कर सकती है कि क्या वह मौके पर अध्ययन करने के लिए असम का दौरा कर सकती है।

6. समिति ने निर्देश दिया कि कल्याण मंत्रालय को कतिपय सूचनाएं, यथा असम में कोचराज भौंगसी समुदाय की निर्वाचक क्षेत्रवार जनसंख्या, सामाजिक संगठनों की सूची तथा विधेयक के उपबंधों पर वर्तमान असम सरकार का सरकारी दृष्टिकोण समिति के विचारार्थ भेजने को कहा जाये।

7. समिति ने यह इच्छा भी व्यक्त की कि कल्याण मंत्रालय को ज्ञापन में से समिति को प्रस्तुत किए जाने वाले मुद्दे चुनने और समिति के विचारार्थ उन पर अपनी टिप्पणी भेजने को कहा जाए।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी प्रवर समिति

समिति की 26.8.1996 को होने वाली प्रथम बैठक में सभापति का स्वागत भाषण

मुझे संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी समिति कि इस पहली बैठक में माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, इस विधेयक का आशय (स्वायत्तशासी जिलों को छोड़कर) कोच-राजबंशी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने का उपबंध करना है।

जैसाकि आपने इस विधेयक के साथ संलग्न उददेश्यों और कारणों के कथन से अवश्य ही यह देखा होगा कि असम में कोच-राजबंशी समुदाय को उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था। असम राज्य सरकार ने उस राज्य के संबंध में (स्वशासी जिलों को छोड़कर) अनुसूचित जनजातियों की सूची में इस समुदाय को सम्मिलित किए जाने की सिफारिश की थी। चूंकि उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में इस समुदाय को सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार से लगातार मांग की जा रही थी और संसद का सत्र नहीं चल रहा था, अतः राष्ट्रपति ने उपर्युक्त प्रस्ताव को लागू करने के लिए 27 जनवरी, 1996 को संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996 प्रख्यापित किया। अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए एक विधेयक लोक सभा में 29 फरवरी, 1996 को पुरःस्थापित किया गया था लेकिन वह विधेयक पारित नहीं हुआ था। उक्त विधेयक दसवीं लोक सभा विघटन हो जाने के साथ ही व्यपगत हो गया चूंकि उक्त अध्यादेश 7 अप्रैल, 1996 को समाप्त होना था, इसलिए 27 मार्च, 1996 का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 1996 प्रख्यापित किया गया। चूंकि उक्त पुनः प्रख्यापित अध्यादेश की वैधता जुलाई, 1996 के प्रथम सप्ताह में समाप्त होनी थी और चूंकि संसद सत्र में नहीं थी, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा 27 जून, 1996 को संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 प्रख्यापित किया गया ताकि असम राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोच-राजबंशी समुदाय को लगातार सम्मिलित किया जा सके। इस विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना है।

मैं इस समिति में अपने माननीय साथियों के सहयोग की आशा करता हूं जिससे हम सौंपे गये कार्यों को पूरा कर सकेंगे। मैं इस संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये बहुमूल्य सुझावों का हमेशा स्वागत करूंगा। यदि कोई सदस्य अभी भी कोई सुझाव देना चाहता है तो ऐसा करने के लिए उसका स्वागत है।

चूंकि समिति के प्रतिवदेन को शीतकालीन सत्र, 1996 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक सभा में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय निकालकर समिति की बैठकों में भाग लेने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

गोपनीय

संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी प्रवर समिति की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 10 सितम्बर, 1996 को 15.30 बजे से 16.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री अमर रायप्रधान — सभापति

सदस्य

2. श्री द्वारकानाथ दास
3. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते
4. श्री पवन सिंह घाटोवार
5. श्री पिनाकी मिश्र
6. श्री उद्धव बर्मन
7. श्री एस॰ एस॰ पलानीमनिक्कम
8. डा॰ जयंत रंगपी
9. डा॰ अरुण शर्मा
10. डा॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा

सचिवालय

1. श्री राम अवतार राम — उप सचिव
2. श्री जे॰ पी॰ जैन — अवर सचिव

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और तत्पश्चात् सदस्यों ने उन्हें समिति का सभापति नियुक्त होने पर बधाई दी।

3. तत्पश्चात् समिति को, समिति के कार्य में प्रगति के बारे में अवगत कराया गया।

4. समिति की बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि समिति को मात्र यह अधिकार प्राप्त है कि क्या असम की कोच-राजबंशी जनजाति को असम की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जाये अथवा नहीं। जबकि कुछ अन्य सदस्यों का यह विचार था कि समिति को असम की अनुसूचित जनजाति की सूची में असम राज्य की दूसरी जनजातियों को शामिल करने के दावों पर विचार करने की शक्ति भी प्राप्त है।

5. सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए अलग-अलग विचारों को मद्दे नजर रखते हुए समिति ने यह निर्णय किया कि इस मामले को माननीय अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाए और समिति के जांच/विचार-विमर्श संबंधी कार्य क्षेत्र के बारे में उनसे यह पता लगाया जाए कि क्या समिति केवल कोच-राजबंशी जनजाति के दावों पर विचार-विमर्श करने के लिए अपने आपको सीमित रखे अथवा असम की दूसरी जनजातियों के दावों के बारे में भी विचार किया जाना सभा द्वारा अपेक्षित है।

6. तत्पश्चात् समिति ने 25 सितम्बर, 1996 को अपनी अगली बैठक आयोजित करने का निर्णय किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी प्रवर समिति की तीसरी बैठक का कार्यवाही-सारांश

समिति की बैठक 25 सितम्बर, 1996 को 14.30 बजे से 16.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री अमर रायप्रधान — सभापति

सदस्य

2. श्री ललित उरांव
3. श्री पवन सिंह घाटोवार
4. श्री पी॰ आर॰ दास मुंशी
5. श्री पिनाकी मिश्र
6. श्री उद्धव बर्मन
7. डा॰ जयन्त रंगपी

सचिवालय

1. श्री जे॰ पी॰ रत्नेश — संयुक्त सचिव
2. श्री जे॰ पी॰ जैन — अवर सचिव

कल्याण मंत्रालय

1. श्री के॰ बी॰ सक्सैना — सचिव
2. श्री ए॰ के॰ चौधरी — संयुक्त सचिव
3. श्री ए॰ एम॰ खान — निदेशक

सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के कार्य में हुई प्रगति के बारे में समिति को सूचित किया। उन्होंने समिति को यह भी जानकारी दी कि उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय से समिति के जांच/विचार-विमर्श के क्षेत्र के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था, जिन्होंने यह बताया था कि प्रवर समिति असम राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोच राजबंशी सहित असम के विभिन्न समुदायों के शामिल होने संबंधी दावों तक अपने कार्यक्षेत्र को सीमित रखेगी।

2. तत्पश्चात्, समिति ने विभिन्न व्यक्तियों/संगठनों से प्राप्त ज्ञापनों पर विचार किया और यह निर्णय किया कि सभी ज्ञापनों/अभ्यावेदनों को तालिकाबद्ध करके निम्नलिखित प्रकार से समिति के समक्ष रखा जाये:—

(एक) कोच राजबंशी को सूची में शामिल करने के पक्ष में ज्ञापन दर्शाने वाला विवरण तथा उसमें दिये गये तर्क।

(दो) कोच राजबंशी को सूची में शामिल करने के विरोध में ज्ञापन दर्शाने वाला विवरण तथा उसमें दिये गये तर्क।

(तीन) सूची में अन्य जनजातियों के शामिल करने के दावे संबंधी ज्ञापनों को दर्शाने वाले जनजातिवार विवरण तथा उसमें दिये गये तर्क।

3. तत्पश्चात् समिति ने संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 के संबंध में कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों से पूछताछ की।

4. मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने विधेयक की पृष्ठभूमि बताते हुए बताया कि 27 जनवरी, 1996 से पहले, असम राज्य के संबंध में कोच-राजबंशी को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया था। 27 जनवरी, 1996 को एक अध्यादेश के प्रख्यापन के माध्यम से संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में संशोधन के माध्यम से असम (स्वायत्तशासी जिलों के अतिरिक्त) में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कोच-राजबंशी को शामिल किया गया था। साथ ही इस समुदाय को असम राज्य के संबंध में अन्य पिछड़ी जातियों की केन्द्रीय सूची से एक अलग अधिसूचना द्वारा निकाल दिया गया था और राज्य सरकार को अपनी सूची के विषय में समान कार्यवाही करने के लिए कहा गया था।

अध्यादेश का स्थान लेने के लिए एक विधेयक दसवीं लोक सभा के अंतिम सत्र में पुरःस्थापित किया गया था जो दसवीं लोक सभा के भंग हो जाने पर व्यपगत हो गया। चूंकि मूल अध्यादेश की वैधता का समय समाप्त होने वाला था और संसद का सत्र नहीं चल रहा था इसलिए इसे 27 मार्च, 1996 को पुनःप्रख्यापित किया गया जिससे कि इस समुदाय का अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल रहना जारी रखा जा सके इसी उद्देश्य हेतु इस अध्यादेश को 27 जून, 1996 को एक बार फिर प्रख्यापित किया गया।

अध्यादेश का स्थान लेने हेतु संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन विधेयक, 1996 को 12 जुलाई, 1996 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था और इसे 2.8.96 को सदन की प्रवर समिति को सौंप दिया गया।

5. यह पूछे जाने पर कि क्या कोच राजबंशी समुदाय को एक समुदाय माना गया अथवा अलग अलग दो समुदाय, समिति को सूचित किया गया कि जहां तक राज्य सरकार की सिफारिश का प्रश्न है, इसे समुदाय ही माना गया है।

6. यह पूछे जाने पर कि किसी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि इसके लिए पंचसूची मानदंड अपनाया जाता है अर्थात (1) आदिम लक्षणों के संकेत (2) विशिष्ट सस्कृति (3) भौगोलिक विलंगन (4) पूरे समुदाय के साथ सम्पर्क में झिझक (5) अत्यंत पिछड़ापन।

7. यह ध्यान दिलाए जाने पर कि क्या कोच राजबंशी समुदाय को अनुसूचित जनजाति मानने के लिए सिफारिश किए जाने से पूर्व इन मानदंडों को पूरा किया गया था, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि मूलरूप में जब असम सरकार ने अपनी पहली सिफारिशें भेजी थी तो उन्होंने असम आदिवासी अनुसंधान संस्थान का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें यह निष्कर्ष नहीं निकाला गया था कि यह समुदाय इन सभी पांचों मानदंडों को पूरा करता है। जब यह मामला असम सरकार को भेजा गया कि उनकी सिफारिशों और आदिवासी अनुसंधान संस्थान के निष्कर्षों में विरोधाभास क्यों है, तो उन्होंने बाद में आदिवासी अनुसंधान संस्थान के संशोधित प्रतिवेदन, जिसमें यह निष्कर्ष दिया गया था कि यह समुदाय पंचसूत्री मानदंड की अधिकांश बातों को पूरा करता है, के साथ सिफारिश भेजी।

8. उन कारणों के बारे में जिन्होंने संस्थान को अपने प्रतिवेदन में केवल एक वर्ष के अंतराल में ही अपने निष्कर्षों को उलट देने के लिए बाध्य किया, समिति को बताया गया कि असम सरकार को जनवरी, 1995 में ही परिवर्तन के कारण बताने के लिए कहा गया था। राज्य सरकार ने संस्थान के एक टिप्पण की प्रति भेजी जिसमें कहा गया था कि संशोधित प्रतिवेदन 1994 में आगे किए गए विस्तृत अध्ययन पर आधारित था। संस्थान के दो जांचकर्ताओं ने एक विस्तृत सर्वेक्षण किया। संस्थान के अनुसार दूसरे सर्वेक्षण के लिए चुने गये नमूने वास्तविक स्थिति का अधिक प्रतिनिधित्व करते थे दोनों प्रतिवेदनों के अवलोकन से यह देखा जा सकता है कि दूसरा प्रतिवेदन पहले प्रतिवेदन के मुकाबले अधिक विस्तृत और ब्यौरेवार है।

9. यह पूछे जाने पर क्या यह विशुद्ध रूप से राज्य सरकार का कार्य है अथवा इस संबंध में निर्णय लेने के लिए केन्द्र को भी कुछ करना पड़ता है तो मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि राज्य सरकार की सिफारिश के अलावा वे सामान्यतः भारत के महापंजीयक से सलाह करते हैं क्योंकि उन्हें जनसंख्या आंकड़े जातियों और समुदाय के संबंध में मानव जाति वर्णन और मानव शास्त्र सामग्री के बारे में ज्ञान होना अपेक्षित होता था। महापंजीयक ने पहले अर्थात् 1981 में कोच राजबंशी को अनुसूचित जनजाति के रूप में सम्मिलित करने की सिफारिश नहीं की थी। लेकिन 1995 में असम सरकार से संशोधित रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसे उनको प्रेषित किया गया था और उन्होंने इसका समर्थन किया था।

10. यह पूछे जाने पर क्या राष्ट्रीय स्तर पर कोई जनजातीय अनुसंधान संस्थान है तो उन्होंने इसका नकारात्मक उत्तर दिया और समिति को सूचित किया कि उनके पास क्षेत्रीय स्तर पर भी कोई अनुसंधान संस्थान नहीं है। वह पूर्णरूप में राज्य सरकार और उसके संस्थानों पर निर्भर है।

11. यह बताये जाने पर कि पश्चिम बंगाल में कोच राजबंशी समुदाय अनुसूचित जाति का समुदाय है मेघालय में अनुसूचित जनजाति समुदाय है और बिहार में यह न तो अनुसूचित जाति है न ही अनुसूचित जनजाति है और पूछा कि यह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किस प्रकार भिन्न है तो मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि संविधान की शर्तों के अनुसार वे राज्य सरकारों से जो सामान्यतः किसी प्रकार का सर्वेक्षण अथवा अध्ययन कराते हैं, परामर्श करते हैं और राज्यों के भीतर विद्यमान स्थिति के आधार पर वे विद्यमान सूची में से किसी समुदाय को शामिल करने अथवा निकालने की सिफारिश करते हैं। जहां तक इस विशेष समुदाय का संबंध है यह उस राज्य में विद्यमान स्थिति की न कि किसी अन्य राज्य में विद्यमान स्थिति की छानबीन करेंगे अनुसूचित जनजातीय की सूची में समुदायों का निर्धारण करने का मानदंड विशेष राज्य का था इसमें राष्ट्रीय सूची से कोई सरोकार नहीं था यह केवल राज्य विशेष सूची होती थी। अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति की सूची में एक विशेष समुदाय एक राज्य में हो सकती है और यह दूसरे राज्य में भी हो ऐसा आवश्यक नहीं है।

यह पूछे जाने पर क्या कोच राजबंशी समुदाय को अनुसूचित जनजाति समुदाय के रूप में मान्यता दी गई थी यह असम में लोक सेवाओं और अन्य सामाजिक-आर्थिक शैक्षिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अन्य अनुसूचित जनजातियों को दिए जा रहे लाभों पर किस सीमा तक बुरा प्रभाव डालेगी तो मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि असम सरकार से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर 1991 जनगणना के अनुसार असम की जनसंख्या 2.24 करोड़ थी इसमें से कोच राजबंशी को छोड़कर अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या 28.74 लाख थी जो कुल जनसंख्या का 12.82 प्रतिशत थी। असम सरकार ने अनुमान लगाया था कि कोच राजबंशी समुदाय की जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर दशक वृद्धि दर द्वारा लगभग 15.22 लाख की थी। असम सरकार के अनुमान के आधार पर कोच राजबंशी कुल जनसंख्या का 6.79 प्रतिशत के लगभग बैठती है। अतः यदि इस 6.79 प्रतिशत को 12.82 प्रतिशत अर्थात् विद्यमान अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या में जोड़ दें तो यह 50 प्रतिशत हो जाती है। इस प्रकार जनसंख्या जो आजकल लाभ उठा रही है वह कुल मिलाकर 50 प्रतिशत से अधिक होगी।

12. यह पूछे जाने पर क्या राज्य में इस समुदाय के संबंध में आरक्षण की प्रतिशतता में वृद्धि की जायेगी तो मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार आरक्षण 50 प्रतितश से अधिक नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय स्तर पर जब तक कि संविधान में संशोधन करके और इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा वैध घोषित नहीं किया जाएगा, आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि करने के लिये कोई गुंजाइश नहीं है।

13. यह पूछे जाने पर कि क्या आर॰जी॰आई॰ और असम सरकार के अलावा किसी अन्य आयोग ने समस्या की जांच की है, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने यह बताया कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर आयोग) जिसे कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूची की समीक्षा करनी थी, 1955 में असम में राजबंशी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने की सिफारिश नहीं की थी। बल्कि उसने इसे अन्य पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मण्डल आयोग) ने भी 1980 में इस जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। न तो 1965 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन के लिए गठित श्री लोकुर की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति ने और न ही अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 की जांच के लिये गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कोच राजबंशी जाति को असम की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने की सिफारिश की है।

14. असम सरकार की अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में अन्य समुदायों को सम्मिलित करने संबंधी आंकड़ों के संबंध में मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा यह बताया गया कि विभिन्न समुदाय अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित होने के लिये प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लगभग सात समुदाय हैः—(1) चाय बागान और भूतपूर्व चाय बागान के समुदाय, (2) चटिया, (3) थाई अहोम, (4) मटक, (5) मोरन (6) हाजोंग (7) सिंगुपो जिनका टी आर आई द्वारा समर्थन किया गया और आर॰जी॰आई॰ और राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई। यह क्षेत्र स्वायत्त जिलों से अलग है। लगभग 32 समुदाय और भी थे। अनेक चाय बागान और भूतपूर्व चाय बागान के अनेक समुदायों को इस समय अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किया गया है।

15. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूची में देश में विद्यमान अन्य समुदायों को सम्मिलित करने के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले व्यापक विधेयक के बारे में स्थिति को स्पष्ट करते हुए मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि सूची में संशोधन

करने का मामला अत्यन्त पेचीदा और संवेदनशील है। 1956 में जब सबसे पहले सूची में संशोधन किया गया था तब से सूची में संशोधन करने के लिये सर्वसम्मत राय बनाने के लिये अनेक प्रयास किये गये हैं। परन्तु यह सभी प्रयास विफल हो गये हैं। देश के सभी भागों से लगभग 1200 याचिकायें उनके समक्ष लम्बित थीं। प्रत्येक समुदाय के बारे में यह निर्णय लेना है कि क्या इसे इस सूची में सम्मिलित किया जाये अथवा नहीं। यह मामला विचाराधीन था और वे कोई उपाय निकालने का प्रयास कर रहे थे। एक बार कोई उपाय निकल आये तो वे विभिन्न मामलों पर विचार करेंगे। तत्पश्चात् व्यापक विधेयक तैयार करना सम्भव होगा। परन्तु वह यह बताने की स्थिति में नहीं है कि उपरोक्त प्रक्रिया को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तथापि, उन्होंने सूचित किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 339 (1) के अंतर्गत एक जनजातीय आयोग का गठन किया जा रहा है और मामले का उपाय निकालने के लिये विभिन्न मामलों पर विचार किया जा रहा है।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी प्रवर समिति की चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक दिनांक 24 अक्तूबर, 1996 को 1500 बजे से 1630 बजे तक कमरा संख्या 139, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री अमर रायप्रधान—सभापति

सदस्य

2. श्री द्वारकानाथ दास
3. श्री ललित उरांव
4. श्री फग्गन सिंह कुलवस्ते
5. श्री पवन सिंह घाटोवार
6. श्री पी॰ आर॰ दास मुंशी
7. श्री पिनाकी मिश्र
8. डा॰ जयंत रोंगपी
9. डा॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा

सचिवालय

1. श्री जे॰ पी॰ जैन — अवर सचिव
2. श्री बी॰ एल॰ चावला — सहायक निदेशक

समिति ने 4 से 7 नवम्बर, 1996 तक होने वाले गुवाहाटी और न्यू बोगांईगांव के अपने दौरे के कार्यक्रम पर चर्चा की। समिति के अधिकांश सदस्यों ने 4 से 7 नवम्बर, 1996 के दौरान दौरे पर जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। कुछ विचार विमर्श के बाद समिति ने अपना दौरा 4 से 7 नवम्बर 1996 की बजाय 15 से 18 नवम्बर, 1996 तक करने का निर्णय किया।

3. समिति ने यह निर्णय भी किया कि गुवाहाटी और न्यू बोगांईगांव का दौरा करने के बाद समिति द्वारा असम में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 1996 के संबंध में तत्स्थानिक अध्ययन हेतु निम्नलिखित दो स्थानों का दौरा भी किया जा सकता है:—

1. सिल्चर और डीपू

2. डिब्रूगढ़

4. समिति ने आगे निर्णय किया कि समिति के सदस्यों विशेष तौर से वे सदस्य जो असम के रहने वाले हैं, के साथ परामर्श किया जाए तथा समिति के अध्ययन दौरे के दौरान सुनवाई हेतु संगठनों/संघों/व्यक्तियों के चयन के विषय में उनकी राय ले ली जाए। इस विषय में कल्याण मंत्रालय की राय भी आमंत्रित कर ली जाए।

5. समिति ने सभापति को सदस्यों तथा कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई सूची को ध्यान में रखते हुये उन संगठनों/संघों/व्यक्तियों के चयन हेतु प्राधिकृत किया जिन्हें समिति के प्रस्तावित दौरों के दौरान सुना जाना चाहिये।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी प्रवर समिति की पांचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 13 मार्च, 1997 को 1525 बजे से 1720 बजे तक समिति कक्ष "ई", संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री अमर रायप्रधान — सभापति

सदस्य

2. श्री द्वारकानाथ दास
3. श्री पवन सिंह घाटोवार
4. श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी
5. श्री पिनाकी मिश्र
6. श्री उद्धव बर्मन
7. डा॰ अरुण कुमार शर्मा
8. डा॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा

सचिवालय

1. श्री राम अवतार राम—निदेशक
2. श्री पी॰ एल॰ बावला—सहायक निदेशक

आरम्भ में सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें समिति द्वारा अब तक किये गये कार्य की प्रगति से अवगत कराया।

तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित के मौखिक साक्ष्य लियेः—

क. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (1525 बजे से 1555 बजे तक)

1. श्रीमती आशा दास, सचिव
2. श्री त्रिपुरारी राय, अनुसंधान अधिकारी

ख. भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त (1600 बजे से 1620 बजे तक)

1. डा॰ एम॰ विजयनुनी, भारत के महापंजीयक
2. श्री एस॰ पी॰ शर्मा, उप महापंजीयक (सी एवं टी)
3. डा॰ एम॰ के॰ जैन, उपमहापंजीयक (एसएस)

ग. कल्याण मंत्रालय (1620 बजे से 1720 बजे तक)

5. संगठनों/सं

1. श्री के॰ के॰ बक्शी, सचिव
2. श्री ए॰ के॰ चौधरी, संयुक्त सचिव
3. श्री आर॰ के॰ श्रीवास्तव, निदेशक
4. श्री पी॰ एल॰ यादव, अनुसंधान अधिकारी

साक्ष्य का शब्दशः अभिलेख रखा गया।

3. साक्ष्य के पश्चात् समिति ने प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार करने संबंधी कार्यवाही के भावी कार्यक्रम पर विचार-विमर्श किया। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि प्रारूप प्रतिवेदन पर चर्चा करने और विधेयक को सभा में प्रतिवेदित करने के लिये समिति की अगली बैठकें 10 और 11 अप्रैल, 1997 को होंगी।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

गोपनीय

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी प्रवर समिति की छठी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 10 अप्रैल, 1997 को 15.00 बजे से 16.50 बजे तक समिति कमरा "ई", संसदीय सौध में हुई।

उपस्थित

श्री अमर रायप्रधान—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री द्वारकानाथ दास
3. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते
4. श्री पवन सिंह घाटोवार
5. श्री पिनाकी मिश्र
6. श्री वी॰ कोदंडा रमैय्या
7. श्री उद्धव बर्मन
8. डा॰ अरुण शर्मा
9. डा॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा
10. श्री एस॰ के॰ कारवींधन

सचिवालय

1. श्री जे॰ पी॰ रत्नेश, संयुक्त सचिव
2. श्री राम अवतार राम, निदेशक
3. श्री पी॰ एल॰ चावला, सहायक निदेशक

कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री के॰ के॰ बक्शी, सचिव
2. श्री ए॰ के॰ चौधरी, संयुक्त सचिव
3. डा॰ आर॰ के॰ श्रीवास्तव, निदेशक
4. श्रीमती पी॰ त्रिपाठी, वित्तीय सलाहकार
5. श्री ए॰ चतुर्वेदी, उप सचिव
6. श्री पी॰ एल॰ यादव, अनुसंधान अधिकारी

विधि तथा न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री जेड॰ एस॰ नेगी, संयुक्त सचिव (विधायी परामर्शदाता)
2. श्री एस॰ डी॰ सिंह, सहायक विधायी परामर्शदाता

2053/LS/F—11-A

2. आरंभ में, सभापति ने समिति की बैठक में समिति के सदस्यों के साथ-साथ विधि और न्याय मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने समिति के सदस्यों को परिचालित प्रारूप प्रतिवेदन के विभिन्न पैराओं पर सामान्य चर्चा की।

4. समिति ने समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों पर विचारों का आदान प्रदान किया और विधि और न्याय तथा कल्याण मंत्रालयों के अधिकारियों के विचार सुने। सदस्यों तथा दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाये गए विचारों पर विचार करने के पश्चात् समिति ने संलग्न परिशिष्ट के अनुसार प्रारूप प्रतिवेदन के पैरा संख्या 18,27 और 24 में सर्वसम्मति से संशोधन किया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

पैरा सं०	पूर्व पैरा	संशोधित पैरा
18.	उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद समिति ने देखा है कि असम में कोचराजबंशियों के जनजातीय मूल के होने के काफी संकेत हैं और उनमें अधिकांश जनजातीय विशेषताएं भी विद्यमान हैं। इसके अलावा भारत के महापंजीयक ने भी असम की जनजातियों की सूची में कोचराजबंशियों को शामिल करने में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है। समिति ने यह भी देखा है कि मेघालय में कोच एक अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित है जोकि पूर्व असम का अभिन्न अंग था। इस प्रकार कोच-राजबंशी समुदाय को असम की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का पर्याप्त औचित्य है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती है कि कोच-राजबंशी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करके उन्हें पुरानी आदिमावस्था और झिझक और पिछड़ेपन के बंधन से मुक्त करने की आवश्यकता है ताकि वे सार्वजनिक जीवन की मुख्य धारा में आ सके। तथापि, समिति का मत है कि कुछ अन्य निम्न जातियों/समुदायों ने भी इस नाम को अपना लिया है और कोचराजबंशी के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने पर वे स्वयं के लिए संदर्भित अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के रूप में माने जाने का दावा करेंगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए समिति का सुझाव है कि अधिसूचना में यह स्पष्ट करते हुए पर्याप्त सुरक्षोपाय किए जाने चाहिएं ताकि कोच-राजबंशी समुदाय के केवल उन्हीं सदस्यों को ही जो कि अलग जनजातीय समूहों के हैं जैसा कि कल्याण मंत्रालय द्वारा पहले से ही सूचीबद्ध किया गया है, कोचराजबंशी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के रूप में माना जायेगा।	उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने के बाद समिति ने देखा है कि असम में कोचराजबंशियों के जनजातीय मूल के होने के काफी संकेत हैं और उनमें अधिकांश जनजातीय विशेषतायें भी विद्यमान हैं। इसके अलावा भारत के महापंजीयक ने भी असम की जनजातियों की सूची में कोचराजबंशियों को शामिल करने में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है। समिति ने यह भी देखा है कि मेघालय में कोचराजबंशी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है जो कि भूतपूर्व असम का ही एक अभिन्न अंग था। इसलिए कोचराजबंशी समुदाय को असम की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का पर्याप्त औचित्य है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि कोचराजबंशियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाये ताकि उन्हें सार्वजनिक जीवन की मुख्य धारा में लाया जा सके। समिति का सुझाव है कि विधेयक में यह स्पष्ट करते हुए पर्याप्त सुरक्षोपाय किये जाने चाहिएं ताकि कोचराजबंशी समुदाय के केवल उन्हीं सदस्यों को ही जो कि अलग जनजातीय समूहों के हैं, जैसा कि कल्याण मंत्रालय द्वारा पहले से ही सूचीबद्ध किया गया है, कोचराजबंशी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के रूप में माना जायेगा।

पैरा सं॰	पूर्व पैरा	संशोधित पैरा
21.	साथ ही समिति यह भी महसूस करती है कि यदि कोचराजबंशी लोगों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल कर लिया जाता है तो आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग हकदार हो जायेंगे, जिससे अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान 15 प्रतिशत आरक्षण कोटा (10 प्रतिशत मैदानी तथा 5 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वालों के लिए) कम हो जायेगा जिससे मूल जनजातियां जो तुलनात्मक दृष्टि से कम विकसित हैं, के बीच बहुत प्रतिक्रियाएं तथा अंसतोष, क्षोभ व्याप्त हो जायेगा। समिति देखती है कि इस समय अनुसूचित जनजातियों के लिए 15 प्रतिशत (10 प्रतिशत मैदानों तथा 5 प्रतिशत पहाड़ों में रहने वालों के लिए) 7 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए तथा 17 प्रतिशत अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण है। इस प्रकार आरक्षण कोटा कुल 39 प्रतिशत बनता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कोई भी राज्य 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं कर सकता। समिति यह टिप्पणी करती है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए 11 प्रतिशत और आरक्षण किए जाने की अभी भी गुंजाइश है। समिति का यह विचार है कि सरकार को अनुसूचित जनजातियों के लिए पर्याप्त कोटा बढ़ाने की संभावना का पता लगाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण कोटे में कमी की जा सकती है क्योंकि अत्यधिक राजबंशी चुटियाओं तथा अन्य को अन्य पिछड़ी जाति की सूची से अनुसूचित जाति की सूची में अंतरित किया जायेगा। इस आनुपातिक कोटे को अनुसूचित जनजाति की सूची में भी शामिल किया जा सकता है। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए मूल जनजाति के लोग प्रभावित न हों, समिति ने असम राज्य सरकार एक अलग आरक्षित कोटा बनाने की संभावना का भी पता लगाना चाहिए।	द्वारा केन्द्र को भेजे गए उसके पत्र संख्या टीएडी/एसटी/59/97, दिनांक 17.3.97 (अनुबंधक) में अन्तर्विष्ट उसके विचार नोट किए हैं। इसमें बताया गया है वर्ष 1996-97 के दौरान राज्य की अन्य अनुसूचित जनजातियों (मैदानी) की तुलना में कोचराजबंशी समुदाय की उन्नत स्थिति होने के कारण उसे बड़ी संख्या में मेडिकल सीटें मिल गईं। समिति यह भी महसूस करती है कि यदि कोचराजबंशी लोगो को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल कर लिया जाता है तो आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग हकदार हो जायेंगे जिससे अनुसूचित जनजातियों के लिये वर्तमान 15 प्रतिशत आरक्षण कोटा (10 प्रतिशत मैदानी तथा 5 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वालों के लिए) कम हो जायेगा जिससे मूल जनजातियों, जो तुलनात्मक दृष्टि से कम विकसित हैं, के बीच बहुत प्रतिक्रियाएं तथा असंतोष और क्षोभ व्याप्त हो जायेगा। समिति देखती है कि इस समय अनुसूचित जनजातियों के लिए 15 प्रतिशत (10 प्रतिशत मैदानी तथा 5 प्रतिशत पहाड़ों में रहने वालों के लिए) 7 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए 17 प्रतिशत अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण है। इस प्रकार आरक्षण कोटा कुल 39 प्रतिशत बनता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कोई भी राज्य 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं कर सकता। समिति यह टिप्पणी करती है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए 11 प्रतिशत आरक्षण और किए जाने की अभी भी गुंजाइश है। समिति का यह विचार है कि सरकार को अनुसूचित जनजातियों के लिए पर्याप्त कोटा बढ़ाने की संभावना का पता लगाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण कोटे में कमी की जा सकती है क्योंकि अत्यधिक राजबंशी चुटियाओं तथा अन्य को अन्य पिछड़ी जातियों की सूची से अनुसूचित जनजाति की सूची में अंतरित किया जायेगा। इस आनुपातिक कोटे को अनुसूचित जनजाति की सूची में भी शामिल किया जा सकता है। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए मूल जनजाति के लोग प्रभावित न हों, एक अलग आरक्षित कोटा बनाने की संभावना का भी पता लगाना चाहिए।

पैरा सं॰	पूर्व पैरा	संशोधित पैरा
24.	समिति ने चाय बागान कामगारों अथवा भूतपूर्व चायबागान कामगारों की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मांग पर भी विचार किया। समिति नोट करती है कि इस बात से किसी समुदाय विशेष का नहीं अपितु एक वर्ग के निर्यंत्रक होने का संकेत मिलता है। इनमें से अधिकांश कामगारों को अंग्रेजी बागान मालिकों द्वारा बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्टर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों से मजदूर के रूप में चाय बागानों में काम करने के लिए असम लाया गया था। ये कामगार विभिन्न समुदायों के हैं। समिति का विचार है कि इनमें से अधिकांश कामगार कई दृष्टियों से पिछड़े हुए हैं। वे गरीबी की रेखा से नीचे गुजर-बसर करते होंगे और अनुसूचित जनजाति की सभी विशेषताओं के धारक होंगे। समिति यह भी टिप्पणी करती है कि चाय बागान और चाय बागानों के पूर्व कामगार विभिन्न समुदायों से संबंधित है और अधिकांश जातियां मूलतः असम की नहीं है बल्कि वे लोग लगभग एक शताब्दी अथवा इससे भी अधिक समय पूर्व असम में बस गये होंगे। समिति सिफारिश करती है कि असम सरकार को एक सर्वेक्षण करना चाहिए था और ऐसी जातियों को पहचानकर उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करना चाहिए बशर्ते कि निम्नलिखित राज्यों में उन्हें यह दर्जा प्राप्त हो। 1. अविभाजित असम के सभी राज्य 2. पश्चिम बंगाल 3. बिहार 4. उड़ीसा 5. मध्य प्रदेश 6. महाराष्ट्र 7. आंध्र प्रदेश 8. कर्नाटक	समिति ने अन्य समुदायों विशेषकर चाय बागान कामगारों की मांग पर भी विचार किया। इन कामगारों को अंग्रेजी बागान मालिकों द्वारा बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि अन्य राज्यों से बन्धक मजदूर के रूप में असम लाया गया था। ये सभी कामगार विभिन्न समुदायों के हैं। इनमें से अधिकांश का ऐसे समूहों से संबंध है जो अपने राज्यों में सामाजिक रूप से अथवा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उनके पूर्वजों का भी उन सामाजिक समूहों से संबंध रहा होगा और उन समूहों को उन राज्यों में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। समिति सिफारिश करती है कि चायबागान कामगारों की उपजातियों सहित उन जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए जिन्हें प्रवास के समय और वर्तमान में भी अपने मूल स्थान पर अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। असम की कुछ चायबागान जातियों की सूची, जिन्हें इनके मूल राज्य जहां उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है, के ब्यौरे सहित असम के अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है, संलग्न है। (अनुबन्ध-ख)

अनुबन्ध-क
तत्काल

असम सरकार

मैदानी जनजातियां और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

दिसपुरः गुवाहाटी — 781006

सं॰टी॰ ए डी/एस टी/59/97/5 दिनांक दिसपुर, 17 मार्च, 1997

प्रेषक

श्री पी॰ पी॰ वर्मा, आई॰ ए॰ एस

असम सरकार के आयुक्त और सचिव

सेवा में,

श्री ए॰ के॰ चौधरी,

भारत सरकार के संयुक्त सचिव

कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली—110001

विषय: संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी प्रवर समिति।

संदर्भ—5 मार्च, 1997 का आपका अर्धशासकीय पत्र

महोदय,

उपर्युक्त के संदर्भ में, मुझे आपके उपर्युक्त उद्धृत पत्र में उल्लिखित प्रश्नों के संबंध में राज्य सरकार की टिप्पणियां प्रस्तुत करने का निदेश हुआ है:

1. वर्ष 1996-97 के एम॰ बी॰ बी॰ एस॰ में राज्य के मैदानी जिलों के अनुसूचित जनजातियों, जिसे आमतौर पर अनुसूचित जनजाति (मैदानी) के रूप में जाना जाता है, के विद्यार्थियों के लिए राज्य में राज्य सरकार के अंतर्गत 3 मेडिकल कालेजों में 32 सीटें आरक्षित की गई थीं। इनमें से 25 सीटों पर कोच-राजबंशी समुदाय [जिसे अब असम राज्य में अनुसूचित जनजाति (मैदानी) में सूचीबद्ध किया गया है के 25 विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है। इस स्थिति का कारण राज्य] के अन्य अनुसूचित जनजाति (मैदानी) की तुलना में कोच-राजबंशी की अग्रवर्ती स्थिति है और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है तथा अनुसूचित जनजाति (मैदानी) के अधिकांश लाभों का प्रयोग कोच राजबंशी समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है।

2. असम में कोच राजबंशी समुदाय को हाल ही में अनुसूचित जनजाति (मैदानी) की सूची में शामिल किये जाने तक इसे अन्य पिछड़ा वर्ग माना गया था। उन्हें पिछले 50 वर्षों के दौरान विकास प्रक्रिया द्वारा समाज के अन्य वर्गों की तरह लाभ दिया गया है और यह कहना उचित नहीं होगा कि वे अनुसूचित जनजाति के दर्जे का दावा करने के लिए इस अवधि के दौरान पिछड़े बन गये हैं।

3. पुरातनता, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक पृथक्करण, अन्य समुदायों के साथ संबंध बनाने में सकुचाहट और समग्र पिछड़ेपन के मानदण्ड के संदर्भ में असम के पहाड़ी जिलों में स्थिति अधिक और राज्य के मैदानी जिलों में कम गंभीर है। यह इस परिप्रेक्ष्य में है कि आरम्भ से ही असम राज्य के पहाड़ी जिलों में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध समुदायों को असम के मैदानी जिलों में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध समुदायों से अलग सूचीबद्ध किया गया है।

भवदीय,

(पी॰ पी॰ वर्मा)
आयुक्त तथा सचिव
असम सरकार।

अनुबंध-ख

असम की कुछ उन चाय बागान जनजातियों की सूची, जिन्हें असम के और अधिक पिछड़े वर्ग अधिसूचित किया गया है तथा उन मूल राज्यों के नाम, जहां उनका अनुसूचित जनजातियों का दर्जा था

***

और अधिक अन्य पिछड़े वर्ग	मूल राज्य
1. असुर	बिहार/पश्चिम बंगाल
2. भूमजी/भूमिज	बिहार/पश्चिम बंगाल
3. बाडिया/बाउरी	पश्चिम बंगाल/उड़ीसा
4. बैगा	पश्चिम बंगाल
5. भील/तेलंगा	आंध्र प्रदेश
6. विंजिया	बिहार
7. बिरहस	बिहार/पश्चिम बंगाल
8. बिरिजिया	बिहार/पश्चिम बंगाल
9. चोरो	बिहार/पश्चिम बंगाल
10. घनवर	मध्य प्रदेश
11. गांडा	उड़ीसा (गोंडो)
12. गोरैट	पश्चिम बंगाल/उड़ीसा
13. कोरवाली	पश्चिम बंगाल
14. कोरवा/कोरुआ	मध्य प्रदेश/बिहार/पश्चिम बंगाल
15. कोल	मध्य प्रदेश
16. खरिया	मध्य प्रदेश/पश्चिम बंगाल
17. खोरवार	पश्चिम बंगाल
18. कोया	मध्य प्रदेश
19. लोदा/लोदी	पश्चिम बंगाल
20. महाली/माहली	पश्चिम बंगाली/उड़ीसा
21. माहली	बिहार/पश्चिम बंगाल/उड़ीसा
22. मल पहाड़िया	पश्चिम बंगाल
23. पनिका/तुरी	मध्य प्रदेश
24. नागसिया	पश्चिम बंगाल
25. गोंडस	आंध्र प्रदेश/मध्य प्रदेश/पश्चिम बंगाल
26. मोंडास/मुंडा	आंध्र प्रदेश/बिहार/पश्चिम बंगाल
27. सेवर/सोवार/सूहा	बिहार
28. संथाल्स अथवा संथाल	बिहार/पश्चिम बंगाल
29. उरना/उरावं	बिहार/उड़ीसा
30. भूयान/घाटोवार	घाटोवार/भूइन बिहार (मध्य प्रदेश)
31. भट्टा	भट्टा (मध्य प्रदेश)
32. बेजारा/बंजारा	बंजारा (बिहार)
33. चिकबारिक/बारिक	चिकबारिक (बिहार)

34.	कोवर	कावार (उड़ीसा)
35.	कुम्हार	कुम्हार (मध्य प्रदेश)
36.	काशन/किसान	किसान (बिहार)
37.	लाहर/लोहार	लोहार (पश्चिम बंगाल)
38.	मदारी	मंदारी (उड़ीसा)
39.	मानकी	मनकिडी (उड़ीसा)
40.	मिर्धार/मिर्धा	मिर्धाज (उड़ीसा)
41.	नागबंसी	नागवंशी (मध्य प्रदेश)
42.	परजा/प्रोजा	पोरजा (उड़ीसा)
43.	प्रधान/बिस्वाल	बिस्वाल/परधान (उड़ीसा)
44.	कर्मकार या कम्मार	कमार (मध्य प्रदेश)
45.	सहोरा/सोरिया/सबर/सहारिया	सहारिया (मध्य प्रदेश)
46.	कोंध/खांध/कोंधपान	खांडस (उड़ीसा)
47.	पान/पानो	फान्स (मध्य प्रदेश)
48.	कुर्मा/महतो	चौधरी-बिहार/पश्चिम बंगाल
49.	चोरेई	
50.	सकाचेप	
51.	रूपिनी	
52.	एमोल	
53.	रंगलोंग (अथवा) हलम	

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी प्रवर समिति की सातवीं बैठक का कार्यवाही—सारांश

समिति की बैठक 5 मई, 1997 को 15.30 बजे से 18.00 बजे तक समिति कमरा "सी", संसदीय सौध में हुई।

उपस्थित

श्री अमर रायप्रधान—सभापति

सदस्य

2. श्री द्वारका नाथ दास
3. श्री पवन सिंह घाटोवार
4. श्री पिनाकी मिश्र
5. श्री पी॰ कोदंडरमैया
6. डा॰ जयन्त रंगपी
7. डा॰ अरुण शर्मा
8. डा॰ प्रवीन चन्द्र शर्मा

कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री के॰ के॰ बख्शी — सचिव
2. श्री ए॰ के॰ चौधरी — संयुक्त सचिव
3. श्री आर॰ के॰ श्रीवास्तव — निदेशक
4. श्री पी॰ एल॰ यादव — अनुसंधान अधिकारी

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री जेड॰ एस॰ नेगी — संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
2. श्री एस॰ डी॰ सिंह — सहायक विधायी परामर्शदाता

सचिवालय

1. श्री जे॰ पी॰ रत्नेश — संयुक्त सचिव
2. श्री राम अवतार राम — निदेशक
3. श्री पी॰ एल॰ चावला — सहायक निदेशक

2. आरंभ में, सभापति ने समिति की बैठक में समिति के सदस्यों तथा कल्याण मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात् समिति ने समिति के सदस्यों को भेजे गए प्रारूप प्रतिरूप प्रतिवेदन पर सामान्य चर्चा की। समिति ने विधि और न्याय मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों के विचारों को सुना और समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों पर विचारों का भी आदान-प्रदान किया।

4. समिति ने टिप्पणी की कि विधेयक में संवेदनशील मामला अंतर्ग्रस्त है और असम राज्य में मुख्यतः आदिवासी लोग रहते हैं, जहां अनेक समुदायों ने अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के लिए दावा किया है, वहीं अन्य समुदाय इन्हें सूची में शामिल करने के विरुद्ध हैं। समिति का मत था कि असम की जनता द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों तथा अनुसूचित जनजाति की सूची में कोच-राजबंशी समुदाय को शामिल करने के पक्ष तथा विपक्ष में प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा व्यक्त विचार तथा लिखित में प्राप्त टिप्पणियों को प्रतिवेदन में शामिल किया जाए।

5. समिति ने सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श किया। समिति को बजट सत्र, 1997 के अंतिम सप्ताह में सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। आगे और गहन अध्ययन तथा प्रतिवेदन का पुनः प्रारूप बनाने में अंतर्ग्रस्त समय कारक को ध्यान में रखते हुए उनके लिए यह कार्य पूरा करना तथा निर्धारित तिथि अर्थात् बजट सत्र, 1997 के अंतिम सप्ताह तक सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा। अतः, समिति ने मानसून सत्र, 1997 के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए और अधिक समय बढ़ाए जाने की मांग का निर्णय लिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी प्रवर समिति की आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 5 अगस्त, 1997 को 1500 बजे से 1745 बजे तक समिति कमरा "बी", संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री अमर रायप्रधान—सभापति

सदस्य

2. श्री द्वारकानाथ दास
3. श्री ललित उरांव
4. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते
5. श्री पवन सिंह घाटोवार
6. श्री पिनाकी मिश्र
7. श्री उधव बर्मन
8. श्री पी० कोंदडारमैय्या
9. श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम
10. डा० जयन्त रंगपी
11. डा० अरूण शर्मा

कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री के०के० बख्शी — सचिव
2. श्री ए० के० चौधरी — संयुक्त सचिव
3. श्री आर० के० श्रीवास्तव — निदेशक
4. श्री पी० एल० यादव — अनुसंधान अधिकारी

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री जैड० एस० नेगी — संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार

सचिवालय

1. श्री राम अवतार राम — निदेशक
2. श्री पी० एल० चावला — सहायक निदेशक

2. बैठक के आरम्भ में सभापति ने समिति के सदस्यों और कल्याण मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया।

3. तत्पश्चात् समिति ने अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया तथा सदस्यों और दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाये गये विचारों पर विचार करने के पश्चात् समिति ने कुछ संशोधनों के साथ बहुमत से प्रतिवेदन को स्वीकृत किया जिनके आधार पर विधेयक में संशोधन किया गया जैसाकि संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है।

4. सभापति ने घोषणा की कि प्रतिवेदन का विमत टिप्पण, यदि कोई हो, समिति के सदस्यों द्वारा लोक सभा सचिवालय को अधिक से अधिक गुरुवार, 7 अगस्त, 1997 को 1600 बजे तक भेज दिया जाये।

5. समिति ने 12 अगस्त, 1997 को सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सभापति और उनकी अनुपस्थिति में श्री पवन सिंह घाटोवार को अधिकृत किया।

6. समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समिति द्वारा लिया गया साक्ष्य सभापटल पर रखा जाये और विधेयक के बारे में समिति को प्राप्त ज्ञापन और अभ्यावेदनों को भी संसद सदस्यों के संदर्भ के लिए संसद ग्रंथालय में रखा जाये।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।